कर्नाटक एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

42 वीं वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

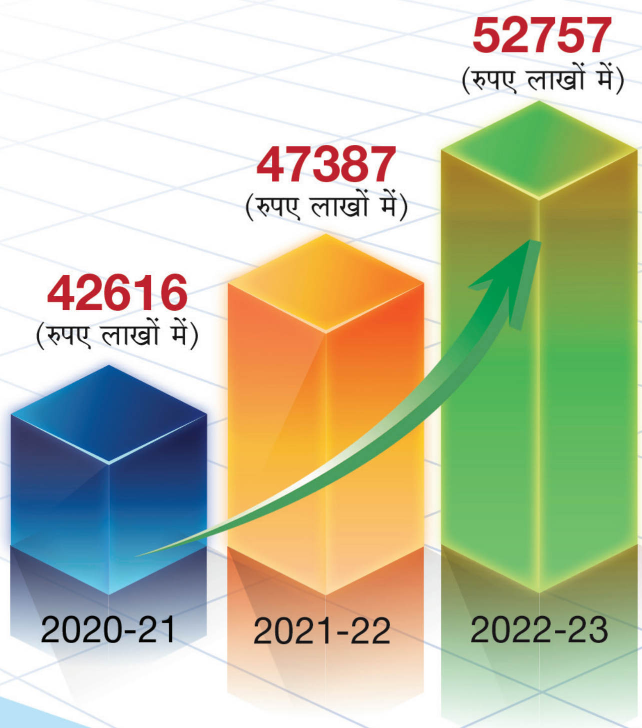

दृष्टि को वास्तविकता में बदलना रु.500+ करोड़ की सबसे अधिक बिक्री

केएपीएल एक आईएसओ 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 तथा 50001:2018 प्रमाणित कंपनी है।

दि. 05.05.2023 को पंजीकृत तथा कॉर्पोरेट कार्यालय के कपिल श्री विनायक मंदिर में संपन्न भगवान श्री विनायक का पुनर्प्रतिष्ठापन तथा शिखर कलश प्रतिष्ठापन समारोह।

श्री टी. के. अनिल कुमार, आईएएस

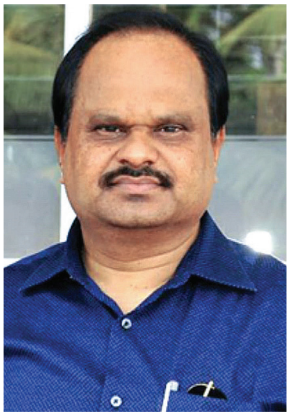

डॉ एम.आर. रवि, आईएएस

श्री सुनिल कुमार कैमाल

श्री विजय कुमार श्रीवास्तव

श्री बी. टी. खानापुरे

डॉ मधुचंदा कर

निदेशक मंडल (यथा 18.07.2023 के अनुसार)

श्री अनिल कुमार टी.के., आईएएस अध्यक्ष – केएपीएल व प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कर्नाटक सरकार, विकास सौधा, बेंगलूर – 560 001	**श्री बी टी खानापुरे** कर्नाटक सरकार के लिए औषधि नियंत्रक पैलेस रोड, बेंगलूर – 560 001
श्री सुनिल कुमार कैमाल प्रबंध निदेशक, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, अर्का द बिज़नेस सेंटर, सं.37, साइट नं.34/4, एनटीटीएफ़ प्रधान मार्ग, दूसरा फेस, पीण्या औद्योगिक क्षेत्र, बेंगलूर – 560 058	**डॉ. मधुचंदा कर** स्वतंत्र निदेशक डीबी–106, साल्टलेक, सेक्टर–1, बिदान नगर(एम) उत्तर–24 पारागणा, कोलकाता – 700 064
डॉ. एम.आर. रवि, आईएएस प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य औद्योगिक एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कार्पोरेशन लिमिटेड, खनिज भवन, चौथा तल, पूर्वी विंग, 49, रेस कोर्स रोड, बेंगलूर – 560 001	**श्री विजय कुमार श्रीवास्तव** उप सचिव, फार्मास्युटिकल्स विभाग रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली – 110 001

सुप्रिया कुलकर्णी
कंपनी सचिव एवं उप महा प्रबन्धक (प्रशासन)

सांविधिक लेखा परीक्षक
योगानंध एंड राम एलएलपी
वर्कफेल्ला
150/1, इन्फेन्ट्री रोड,
कमीशनर कार्यालय के सामने
वसंत नगर, बेंगलूर – 560 001

आंतरिक लेखा परीक्षक
श्री एन विश्वनाथन,
नं.85, विनायका लेआउट
दूसरा स्टेज, विजयनगर
बेंगलूर – 560 040

बैंकर्स
बैंक ऑफ बरोड़ा
मेयो हॉल शाखा एवं
वेस्ट ऑफ कॉर्ड रोड शाखा
बेंगलूरु – 560 001

भारतीय स्टेट बैंक
औद्योगिक वित्त शाखा
रेसिडेंसी रोड,
बेंगलूर – 560 025

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय
अर्का द बिज़नेस सेंटर, सं.37, साइट नं.34/4, एनटीटीएफ़ प्रधान मार्ग, दूसरा फेस,
पीण्या औद्योगिक क्षेत्र, बेंगलूर – 560 058 वेबसाइट : www.kaplindia.com

विषय सूची

विवरण	पृष्ठ सं.
सूचना	4-5
अध्यक्ष का भाषण	6-7
निदेशकों का प्रतिवेदन	8-21
निदेशकों के प्रतिवेदन के लिए परिशिष्ट (सचिवीय लेखापरीक्षक की योग्यता के लिए)	22
सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	23-32
सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	33-36
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ और सीएजी टिप्पणियों का उत्तर	37-38
तुलन पत्र	39-40
लाभ व हानि विवरण	41-42
नकदी प्रवाह विवरण	43-44
इक्विटी में परिवर्तन से संबंधित विवरण	45
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	46-52
टिप्पणी संख्या 2 से 50 तक	53-90
वित्तीय आंकड़े एक नज़र में	91

कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
सीआईएन : U24231KA1981GOI004145
पंजीकृत कार्यालय : अर्का द बिज़नस केन्द्र, सं.37, साइट नं.34/4, एनटीटीएफ
प्रधान मार्ग, दूसरा फेस, पीण्या औद्योगिक क्षेत्र, बेंगलूरु-560 058
दूरभाष सं.080 23571590 वेबसाइट : www.kaplindia.com

एजीएम की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की बयालीसवीं (42) वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 के अपराह्न 1200 बजे को वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) सुविधा के माध्यम से निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए बुलाई की जाएगी:

साधारण व्यवसाय

1. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करने, उन पर विचार करने के साथ-साथ निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को अपनाना।
2. लाभांश घोषित करना।
3. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीएजी द्वारा नियुक्ति के रूप में सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

विशिष्ठ व्यवसाय

4. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक का भुगतान

   निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो एक साधारण संकल्प के रूप में संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना :

   ''संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और के अन्य सभी लागू प्रावधानों और कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (किसी भी सांविधिक संशोधन (नों) या कुछ समय के लिए लागू पुन: अधिनियमन सहित) के प्रावधानों के अनुसरण में मेसर्स् जेएच एसोसिएट्स, जिन्हें 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने के लिए ''लागत लेखा परीक्षक'' के रूप में नियुक्त किया गया है, को देय पारिश्रमिक रु.60,500/- तथा लागू कर का भुगतान करने हेतु एतदद्वारा मंजूर एवं अनुमोदित किया जाता है।''

निदेशक मंडल के आदेश से

(सुप्रिया कुलकर्णी)
कंपनी सचिव व उप महाप्रबंधक (प्रशासन)

स्थान: बेंगलूर
तारीख: 05.09.2023

सेवा में:

सदस्य

टिप्पणी:

1. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय ('एमसीए') ने अपने सामान्य परिपत्र सं.14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र सं.17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र सं.20/2020 दिनांक 5 मई 2020, समय समय पर जारी सभी अन्य परिपत्रों के माध्यम से और अद्यतन परिपत्र 11/2022 दिनांक 28.12.2022 (सामूहिक रूप से ''एमसीए परिपत्र'') के द्वारा वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') आयोजित करने की अनुमति दी है। कॉरपोरेट व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नियामक प्रावधानों और परिपत्रों के अनुरूप, कंपनी की 42वीं वार्षिक आम बैठक वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है। चूंकि यह एजीएम वीसी सुविधा के माध्यम से आयोजित की जा रही है, (इसके बाद इसे 'ई-एजीएम' कहा जाता है) सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रतिनिधि की नियुक्ति की

सुविधा ई-एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए प्रतिनिधि फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं हैं।

2. बयालीसवें ई-एजीएम के लिए माना जाने वाला स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।
3. सदस्य वीसी से जुड़ने के लिए उन्हें प्रदान किए गए लॉग इन क्रेडेंशियल के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं।
4. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में विवरण

बैठक की सूचना में शामिल विशेष कार्य के अंतर्गत मद संख्या 3 के संबंध में विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक का भुगतान।

बोर्ड ने, लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों पर, 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों का लेखा परीक्षा करने के लिए मेसर्स् जेएच एसोसिएट्स को पारिश्रमिक के साथ रुपये 60,500/- तथा लागू कर के साथ, लागत लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त करने की सहर्ष मंजूरी प्रदान की है।

कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक को कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुसमर्थित करने की आवश्यकता है।

तद्नुसार, लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक के अनुसमर्थन के लिए सूचना के मद सं. 4 में निर्धारित एक सामान्य संकल्प पारित करने के लिए सदस्यों के अनुमोदन का अनुरोध किया जाता है।

कोई भी निदेशक, कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, किसी भी तरह से, सूचना के मद सं. 4 में निर्धारित संकल्प से संबंधित नहीं है या रुचि नहीं रखते हैं। बोर्ड सामान्य संकल्प की सिफारिश करता है जैसा कि सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए मद सं.4 में निर्धारित किया गया है।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: बेंगलूर
तारीख: 05.09.2023

(सुप्रिया कुलकर्णी)
कंपनी सचिव व उमप्र (प्रशासन)

क्षेत्र मार्ग-नक्शा

टी वी एस क्रॉस पीण्या की ओर	← एनटीटीएफ प्रधान रस्ता →	एनटीटीएफ सर्कल / पीण्या स्टेज खख की ओर

बीबीएमपी पार्क (ऊपर); केएपीएल कार्पोरेट कार्यालय, अरका द बिजिनेस सेंटर (नीचे); एनटीटीएफ सर्कल, पीण्या स्टेज II, औद्योगिक क्षेत्र

विजन	मिशन
सर्वसामान्य के लिए उचित मूल्यों पर उच्च गुणवत्ता वाली औषधियों एवं स्वास्थ्य सुविधा उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करना।	1. अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुविधाओं का विनिर्माण करना। 2. विपणन प्रयासों को इतना सशक्त बनाना कि हर वर्ष निर्यात एवं निजी व्यापार बाजार में कम से कम 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि के लक्ष्य को हासिल करना। 3. ग्राहकों की संतुष्टि एवं सेवा के लिए उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार लाना। 4. उत्पादन की दर को बढ़ाने के लिए प्रेरणा से ओतप्रोत बहुआयामी कुशलता वाली मानव संसाधन इकाई का विकास करना।

दिनांक 29.09.2023 को बेंगलूरु में सम्पन्न कंपनी की 42वीं वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा संबोधित भाषण

1. निदेशक मण्डल की ओर से और अपनी ओर से मुझे यहाँ कंपनी की वार्षिक आम बैठक में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

2. वित्तीय वर्ष 2022-23 में आपकी कंपनी की बिक्री का प्रदर्शन रु.527.57 करोड़ है। सभी शेयरधारकों को निदेशकों की रिपोर्ट तथा कंपनी के वर्ष 31 मार्च 2023 तक के वित्तीय विवरणों को पहले ही प्रदान किया जा चुका है और यहाँ उपस्थित आप सबकी अनुमति से मैं यह मानता हूँ कि आपने उसे पढ़ लिया है।

1 से 14 सितंबर 2022 को संपन्न हिन्दी पखवाड़ा

3. स्थूल आर्थिक ढांचा

वर्ष 2022-23 के दौरान, भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी की दर 16.1% दर्ज की गई है।

4. प्रचलनात्मक निष्पादन

आपकी कंपनी ने रु.52865 लाख का उत्पादन मूल्य को हासिल किया (गत वर्ष रु.47976 लाख)। कंपनी ने रु.52757 लाख की बिक्री का कारोबार किया (गत वर्ष रु.47387 लाख)।

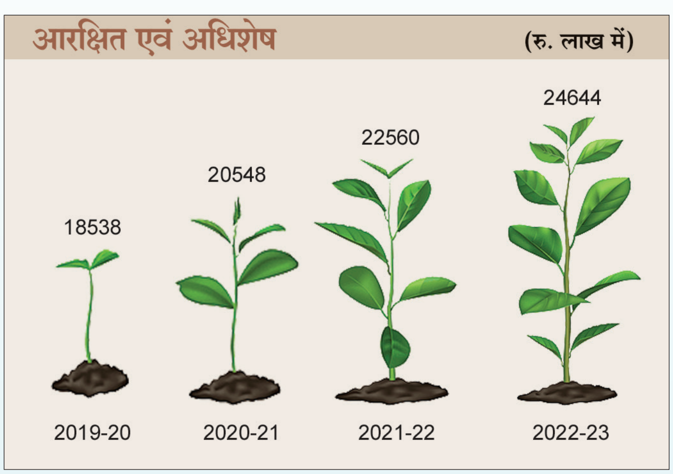

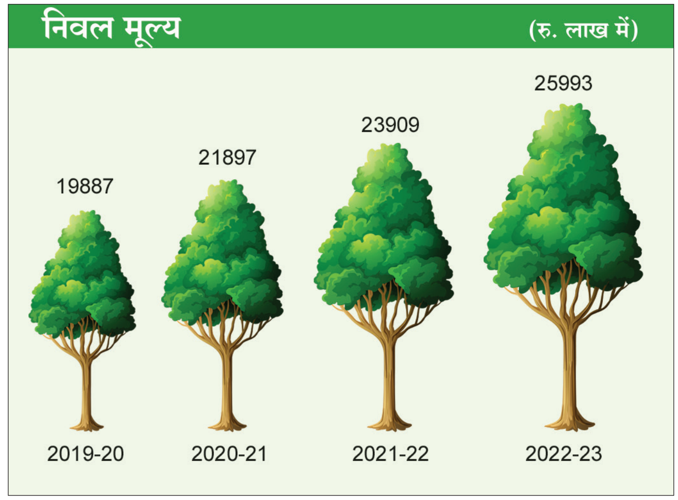

5. वित्तीय परिणाम

आपकी कंपनी ने कर पूर्व लाभ रु.3425 लाख (गत वर्ष रु.3252 लाख) हासिल किया तथा कर के उपरांत लाभ रु.2489 लाख (गत वर्ष रु.2466 लाख) कमाया। कंपनी की प्रत्येक शेयर का बही खाता मूल्य (अंकित मूल्य रु.100) रु.1927 है (गत वर्ष रु.1772)। प्रत्येक रु.100 के अंकित मूल्य पर प्रति शेयर का अर्जन रु.184 रहा।

6. लाभांश

जैसा कि आप जानते हैं, केएपीएल, केन्द्रीय औषधि क्षेत्र की फार्मास्युटिकल्स क्षेत्र में एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि पिछले 32 वर्षों से लगातार लाभांश घोषित करती आ रही है। वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशकों ने गत वर्ष के 15% लाभांश देने की अनुशंसा की है।

7. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कंपनी की कॉर्पोरेट व्यवसाय रणनीति का एक अभिन्न अंग है। 2022-23 में सीएसआर गतिविधियों के रूप में स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया गया।

8. कॉर्पोरेट अभिशासन

कंपनी ने कॉर्पोरेट अभिशासन के क्षेत्र में निरंतर उच्चतम मानकों के स्तर को बनाया रखा है। भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का कंपनी हमेशा ही अनुपालन करती आ रही है।

9. आभार स्वीकृति

9.1 सर्वप्रथम, मैं भारत सरकार, कर्नाटक सरकार और अन्य राज्य सरकारों के उन विभिन्न विभागों के प्रति, जिनका

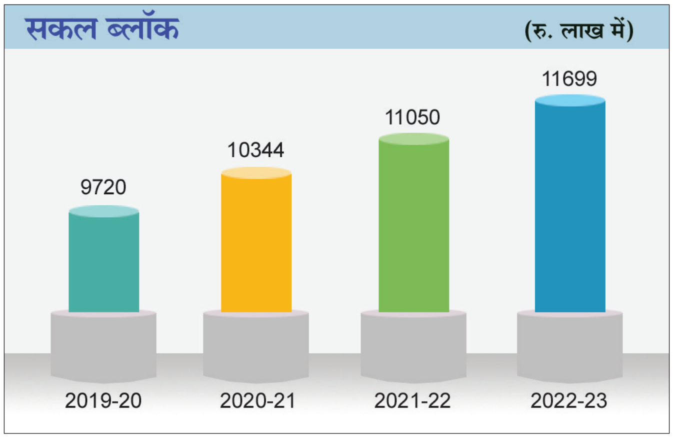

निरंतर समर्थन, मार्गदर्शन और परामर्श कंपनी को प्राप्त होता रहा है, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। ।

9.2 मैं अपने मूल्यवान ग्राहकों का उनके कंपनी के प्रति अटूट विश्वास बनाए रखने के लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगा।

9.3 मैं बोर्ड की ओर से तथा अपने व्यक्तिगत रूप से कंपनी के सभी कर्मचारियों तथा प्रबंधन का जिन्होंने कंपनी द्वारा अच्छे परिणाम को प्राप्त करने में कंपनी की पूर्ण सहायता की, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

9.4 मैं कंपनी के लेखा परीक्षकों तथा कानूनी सलाहकारों द्वारा दिए गए अत्यधिक योगदान के लिए उनके प्रति बहुत आभारी हूँ।

गैर-अधिकारियों के लिए कारख़ाना प्रशिक्षण केंद्र में संपन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम

9.5 मैं, बोर्ड में मौजूद निदेशकों द्वारा कंपनी के शानदार प्रदर्शन व संचालन में सतत व अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

10. मैं आप सभी के समक्ष 31.03.2023 तक के तुलन पत्र तथा उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लाभ व हानि लेखा और निदेशकों की रिपोर्ट को आप सबकी स्वीकृति हेतु अब प्रस्तुत करता हूँ।

स्थान: बेंगलूरु
तारीख: 29.09.2023

अध्यक्ष

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

शेयरधारक
कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

देवियों एवं सज्जनों,

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के व्यवसाय और संचालन पर, हम बोर्ड की ओर से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्न हैं।

1. विशेषताएँ

आपकी कंपनी के प्रदर्शन की विशेषताएं नीचे तालिका-I पर प्रस्तुत किया गया है।

तालिका - I

कार्यनिष्पादन की विशेषताएँ (रुपए लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	2020-2021	2021-2022	2022-2023
1.	उत्पादन*	43464	47976	52865
2.	बिक्री	42616	47387	52757
3.	निर्यात (उपर्युक्त क्रम सं.2 में शामिल किया गया है)	2917	2459	4241
4.	कर पूर्व लाभ	3074	3252	3425
5.	करोपरांत लाभ	2318	2466	2489
6.	आरक्षित एवं अधिशेष	20548	22560	24644
7.	प्रदत्त शेयर पूंजी	1349	1349	1349
8.	लाभांश (%)	30	30	15
9.	प्रति शेयर अर्जन (रु.) (अंकित मूल्य रु.100/-)	172	183	184
10.	शेयर का बही मूल्य (रु.) (अंकित मूल्य रु.100/-)	1623	1772	1927

*ठेका विनिर्माण मूल्य शामिल

2. शेयर पूंजी

कंपनी की अधिकृत पूंजी एवं प्रदत्त पूंजी क्रमशः रु.1500 लाख एवं रु.1349 लाख जारी रही।

3. वित्त

आपकी कंपनी को अपने मौखिक ठोस खुराक (नया एनपी) परियोजना के लिए विजया बैंक (अब बैंक ऑफ बरोड़ा) द्वारा कुल रु.1500 लाख के सावधि ऋण की स्वीकृति प्राप्त है और इसमें से दि.31.03.2023 तक कुल रु.1425 लाख का भुगतान किया गया है और रु.75 लाख बकाया है।

दि.31.03.2023 के अनुसार, कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के रूप में बैंकों की उधारी रु.शून्य लाख थी (गत वर्ष रु.शून्य लाख)। वर्ष के दौरान ब्याज का भार रु.शून्य लाख (गत वर्ष रु.शून्य लाख) रहा।

4. उत्पादन

आपकी कंपनी ने रु.52865 लाख (गत वर्ष रु.47976 लाख) का उत्पादन मूल्य हासिल किया। प्रति कारख़ाना कर्मचारी पर वार्षिक उत्पादन रु.284 लाख (गत वर्ष रु.270 लाख) रहा।

5. क्षमता उपयोग

गत तीन वर्षों के दौरान के क्षमता उपयोग का विवरण तालिका – II में दिया गया है।

तालिका – II

क्षमता उपयोग (% में)

क्रम सं.	विवरण	2020-2021	2021-2022	2022-2023
1	तरल पैरेंटरल्स	137	89	99
2	वॉयल्स	78	78	77
3	गोलियां	133	112	144
4	कैप्सूल्स	196	216	292

76वाँ स्वाधीनता दिवस समारोह के अवसर पर श्री सुनिल कुमार कैमाल, प्रबंध निदेशक ध्वजारोहण करते हैं।

12 जुलाई 2022 को संपन्न फार्मा ट्रेड स्टार पुरस्कार कार्यक्रम।

7 जुलाई 2022 को बेंगलूरु में संपन्न अग्रोवेट स्टार मिलन।

6. बिक्री कारोबार

कंपनी ने पिछले वर्ष 2021-22 के दौरान हासिल रु.47387 लाख की तुलना में रु.52757 लाख का बिक्री कारोबार हासिल किया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी ने में रु.55000 लाख का कारोबार हासिल करने का प्रस्ताव रखा है।

वर्ष 2022-23 के दौरान ब्रांडेड और जेनेरिक सेगमेंट में प्रदर्शन के संबंध में, आपकी कंपनी की बिक्री में **''ग्रेनिल''** ब्रांड के अंतर्गत पिछले वर्ष के रु. 1246 लाख की तुलना में इस वर्ष में रु.1159 लाख की बिक्री हासिल की। **''साइफ़ोलाक''** समूह की बिक्री गतवर्ष की कुल बिक्री रु.470 लाख की तुलना में इस वर्ष में रु.548 लाख रही। **''केप्टोसिन''** की कुल बिक्री रु.245 लाख हासिल की है। **''रेमसीसी''** ब्राण्ड ने गतवर्ष के रु.299 लाख की तुलना में इस वर्ष के रु.330 लाख तक हासिल की है। **''वर्क्लेव''** ब्राण्ड ने गतवर्ष के रु.239 लाख की तुलना में इस वर्ष के रु.263 लाख तक पहुँच गई है। इसके साथ **''पॉप-ई''** ने भी रु.130 लाख की कुल बिक्री हासिल की है। **''ज़िन्फ़े''** समूह की बिक्री गतवर्ष की बिक्री रु.207 लाख की तुलना में इस वर्ष में रु.224 लाख हासिल की है। **''न्यूमोल''** समूह की बिक्री गतवर्ष की बिक्री रु.163 लाख की तुलना में इस वर्ष में रु.176 लाख हासिल की है। अग्रोवेट उत्पाद **''पेन्सबायोटिक''** ने पिछले वर्ष की बिक्री रु.378 लाख की तुलना में रु.331.72 लाख हासिल की। **''काल्विमीन''** ने पिछले वर्ष की बिक्री रु.349 लाख की तुलना में इस वर्ष में रु.496 लाख की बिक्री हासिल की। **''के-लाइव''** की बिक्री गतवर्ष की बिक्री रु.299 लाख की तुलना में इस वर्ष में रु.332 लाख हासिल की। **''सेट्रियाक्स''** की बिक्री गतवर्ष की बिक्री रु.254 लाख की तुलना में इस वर्ष में रु.320 लाख रही और **''कैल-के''** की बिक्री गतवर्ष की बिक्री रु.233 लाख की तुलना में इस वर्ष में रु.263 लाख हासिल की। **''जेंटाबायोटिक''** की बिक्री गतवर्ष की बिक्री रु.206 लाख की तुलना में इस वर्ष में रु.261 लाख हासिल की। **''के-साइथ्रिन''** की बिक्री गतवर्ष की बिक्री रु.266 लाख की तुलना में इस वर्ष में रु.213 लाख हासिल की। फ़ार्मा के अधीन **न्यूमोल, पॉप-ई** और **अपिफीस्ट सिरप** और अग्रोवेट के अधीन **फ्लूवेट, के-फ्लोक्स, टैस्पिन, फ़ेन्ज़ोल, काल्बेण्ड, आईवरमेक इंजेक्शन तथा सल्फेसिस बोलस** और के प्रत्येक की बिक्री रु.110 लाख से अधिक रही।

पीण्या संयंत्र में कर्मचारीगण योग में भाग ले रहे हैं।

बिक्री कारोबार के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दी गई तालिका – III में दिए गए हैं।

तालिका III

बिक्री कारोबार रु. लाखों में

क्र. सं.	विवरण	2020-2021	2021-2022	2022-2023
1	तरल पैरेंटरल्स	5542	3948	4751
2	तरल ओरल्स और ड्राई सिरप	1323	1212	3672
3	वॉयल्स	8584	12450	11944
4	गोलियां	14154	15409	22022
5	कैप्सूल्स	2138	2685	4645
6	अन्य	10875	11683	5723
	कुल	**42616**	**47387**	**52757**

7. नए उत्पाद

कंपनी ने निम्नलिखित उत्पादों का शुभारंभ किया:

1. फार्मा:

क) एंटाफ़ सिरप 200 मि.ली. - अल्सर ठीक करने वाला आयुर्वेदिक संयोजन
ख) एंटाफ़ टैबलेट 1000 का जार - अल्सर ठीक करने वाला आयुर्वेदिक संयोजन
ग) अप्पिकैप सिरप 200 मि.ली. - ऐपेटाइज़र आयुर्वेदिक संयोजन
घ) ब्लोप्योर सिरप 200 मि.ली. - हर्बल रक्त शोधक
ङ) डीलका 200 मि.ली. - मूत्र क्षारकारक
च) डाइकॉन टैबलेट 60's - डायरिया रोधी
छ) एक्सोल टैबलेट 1000's और 100's – हेपेटोप्रोटेक्टिव
ज) के-ग्रैन पाउडर 100 ग्राम – रेचक
झ) के-थ्रिन टैबलेट और सिरप - प्लेटलेट बूस्टर
ञ) न्यूमोल-एच टैबलेट 10x10 और 1000's - एनाल्जेसिक आयुर्वेदिक संयोजन
ट) ज़िनफे एक्सटी टैबलेट 10x10 - हेमेटिनिक

2. अग्रोवेट:

क) फ़ेन्सोल पेट
ख) कैल्विट पेट

ग) के लाइव पेट

घ) माइट-आउट शैम्पू

ङ) कपोक्सर शैम्पू

8. निर्यात

आपकी कंपनी ने गतवर्ष के रु.2459 लाख की तुलना में रु.4241 लाख का निर्यात कारोबार हासिल किया है। कुल 17 देशों पर निर्यात किया गया है, यथा मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपीन्स, नामीबिया, उगांडा, म्यांमार, यमन, दक्षिण अफ्रीका, फिजी, बोत्सवाना, ज़िम्बाब्वे, मोज़ाम्बिक, ज़ाम्बिया, भूटान, सूडान, श्रीलंका, उज़्बेकिस्तान तथा कंपनी ने अपनी औषधियों को कम्बोडिया, ब्राज़ील, पेरू जैसे कुछ अतिरिक्त देशों में निर्यात करने की योजना बनाई है।

9. वित्तीय परिणाम:

वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय परिणामों का सारांश निम्नलिखित तालिका – IV में दर्शाया गया है:

तालिका – IV

वित्तीय परिणाम (रु.लाख में)

विवरण	2020-2021	2021-2022	2022-2023
ब्याज, मूल्यह्रास और कर पूर्व लाभ	3903	4119	4770
घटाएँ : ब्याज और अन्य वित्तीय प्रभार	90	107	588
नकद लाभ	3813	4012	4182
घटाएँ : मूल्यह्रास	739	760	757
कर पूर्व लाभ	3074	3252	3425
घटाएँ : करादान के लिए प्रावधान	756	786	936
कर के उपरांत लाभ एवं समायोजन	2318	2466	2489

10. वर्ष के दौरान हासिल किए गए प्रमुख अनुपात तालिका – V में दर्शाया जाता है:

तालिका – V

प्रमुख अनुपात

विवरण	2020-2021	2021-2022	2022-2023
प्रति शेयर अर्जन (रु.) (अंकित मूल्य रु.100/-)	172	183	184
शेयर का बही मूल्य (रु.) (अंकित मूल्य रु.100/-)	1623	1772	1927
सकल स्थाई परिसंपत्तियों का कारोबार (%)	412	429	451
कारोबार की वित्तीय लागत (%)	0.21	0.23	1.11

12 जुलाई 2022 को सुश्री एस.अपर्णा, आई.ए.एस., सचिव, फार्मास्युटिकल्स विभाग के कॉर्पोरेट कार्यालय के संदर्शन के दौरान श्री सुनिल कुमार कैमाल, प्रबंध निदेशक उनका स्वागत करते हैं।

06 मार्च 2023 को श्री एन.युवराज, आई.ए.एस., संयुक्त सचिव, फार्मास्युटिकल्स विभाग के केएपीएल कॉर्पोरेट कार्यालय के संदर्शन के दौरान श्री सुनिल कुमार कैमाल, प्रबंध निदेशक उनका स्वागत करते हैं।

11. लाभांश

आपकी कंपनी गत 32 वर्षों से लाभांश घोषित करती आ रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की प्रदत्त पूंजी की 15% की दर से लाभांश संस्तुत करने में आपके निदेशकों को अत्यंत हर्ष हो रहा है।

12. आरक्षित और अधिशेष

आपके निदेशकों ने सामान्य आरक्षित में रु.2000 लाख अंतरित करने का प्रस्ताव किया है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि दिनांक 31.03.2023 के अनुसार कंपनी की संचयी आरक्षित और अधिशेष रु.24644 लाख रहे। उक्त आरक्षित और अधिशेष राशि रु.1349 लाख प्रदत्त इक्विटी पूंजी की 18.27 गुना रही। इस प्रकार आपकी कंपनी की दिनांक 31.03.2023 तक का निवल मूल्य रु.25993 लाख रहा।

13. मालसूची और ऋणदार

कच्चा माल, प्रगतिशील कार्य एवं निर्मित माल सम्मिलित मालसूचियों का कुल मूल्य रु.7262 लाख रहा, जो कुल टर्नओवर का लगभग 13.76% (गतवर्ष 17.39%) रहा। दिनांक 31.03.2023 को कंपनी के ऋणदार रु.12312 लाख रहा, जो कंपनी के 85 दिवसों की बिक्री के समान है।

14. समझौता ज्ञापन के अनुरूप कार्य निष्पादन

कंपनी प्रतिवर्ष समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करती है। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर वर्ष 2022-23 के लिए समझौता ज्ञापन के तहत कंपनी का प्रदर्शन ''अच्छा'' है।

15. सार्वजनिक राजकोष में योगदान

आपकी कंपनी ने केंद्र और राज्य सरकारों के राजकोषों में आयकर, सीमा शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर, आदि के रूप में इस वर्ष में रु.12163 लाख (गतवर्ष रु.10158 लाख) का योगदान दिया है।

16. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रोत्साहन

भारत सरकार ने आदेश सं.एस.ओ.581(6) दि.23.03.2012 तथा एस.ओ. दि.14.11.2018 के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए नई सार्वजनिक प्रापण नीति अधिसूचित की है। उक्त आदेश के अनुसार, किसी भी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को अपने कुल वार्षिक खरीद में से न्यूनतम 25% खरीद को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीदना चाहिए, जिसमें से 20% के आरक्षण अनुसूचित जाती/अनुसूची जनजाति के उद्यमियों द्वारा चालित यूनिटों के लिए होगा। वर्ष 2022-23 के दौरान आपकी कंपनी ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से रु.5010.73 लाख तक के मूल्यवाले माल खरीदा है।

17. विदेशी यात्रा

वर्ष 2022-23 के दौरान व्यापारिक उद्देश्यों से कंपनी के किसी भी कर्मचारी को विदेशों में प्रतिनियुक्त नहीं किया गया। अतः इस संबंध में कंपनी द्वारा शून्य रुपए की खर्च की गई है।

18. मानव संसाधन

दिनांक 31.03.2023 के अनुसार कंपनी के कुल जनशक्ति 748 (नियमित एवं एफटीसी) रही, जिनमें 260 अधिकारी और 488 गैर-अधिकारी वर्ग के हैं।

19. मानव संसाधन विकास

कर्मचारी कंपनी की सबसे मूल्यवान मूर्त परिसंपत्तियाँ हैं। हमने कार्य के अनुकूल माहौल सृजित किया है। कल की व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए लोगों की दक्षताओं में निवेश करना बहुत महत्वपूर्ण है। नवीनतम बदलते परिदृश्य के साथ तालमेल रखने के लिए और आगे बढ़ने और एक सफल संगठन के रूप में उभरने के लिए मानव संसाधनों के ज्ञान और कौशल को अद्यतन करना अनिवार्य है, जिसके लिए कंपनी ने विभिन्न पहल की हैं।

8 मार्च 2023 को केएपीएल कारखाना और धारवाड़ संयंत्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।

कंपनी के कर्मचारियों को अन्य पेशेवरों के साथ परस्पर प्रभाव उत्पन्न करने और बेहतर क्षमता और कौशल हासिल करने के लिए दोनों आंतरिक रूप में और संस्थानों / परामर्शदाताओं के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना जारी रखती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 183.75 मानवदिवसों तक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष के दौरान प्रशिक्षण और विकास के लिए रु.3.74 लाख की राशि खर्च की गई।

20. अजा एवं अजजा उम्मीदवारों की प्रतिनिधित्व

दिनांक 31.03.2023 के अनुसार अ.जा. / अ.ज.जा. संवर्ग के कर्मचारियों की कुल संख्या 78 रही। (गतवर्ष 86 कर्मचारी).

21. अल्पसंख्यकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों की प्रतिनिधित्व

31.03.2023 तक कंपनी में अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारियों की कुल संख्या 23 (गतवर्ष 23 कर्मचारी) थी।

31.03.2023 तक कंपनी में दिव्यांग वर्ग के कर्मचारियों की कुल संख्या 6 (गतवर्ष 6 कर्मचारी) थी।

22. मानवीय संबंध

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी में औद्योगिक संबंधों का परिदृश्य शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण तथा स्वस्थ रहा।

23. कर्मचारी कल्याण

कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न कल्याण सुविधाओं को जारी रखती है। वर्ष के दौरान कल्याण और अन्य सुविधाओं के प्रावधान पर रु.942 लाख (2021-22 के दौरान रु.861 लाख) व्यय किया गया।

24. कार्यस्थल पर महिलाओं पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन

कार्यस्थल पर महिलाओं पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी में यौन उत्पीड़न विरोधी नीति अमल में है। यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। उक्त नीति की परिधि में सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदात्मक, अस्थाई, प्रशिक्षु) सम्मिलित हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त यौन उत्पीड़न से संबन्धित शिकायतों तथा उनके निपटान का सारांश निम्नप्रकार है।

प्राप्त शिकायतों की संख्या	:	शून्य
निपटाए गए शिकायतों की संख्या	:	लागू नहीं

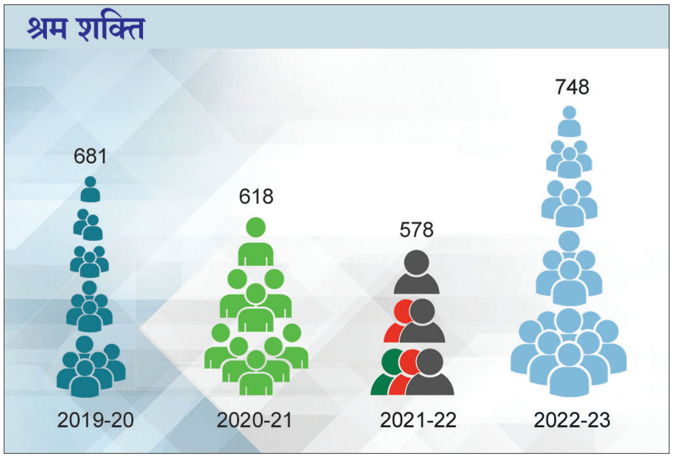

25. वार्षिक विवरण का सार

31 मार्च, 2023 के अनुसार कंपनी का वार्षिक विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है।

http://www.kaplindia.com/wp-content/uploads/2022/09/FORM MGT 7.pdf

26. बोर्ड की बैठकें

वर्ष 2022-23 के दौरान, 21.07.2022, 30.09.2022, 02.12.2022 तथा 17.03.2023 को बोर्ड की चार बैठकें बुलाई गईं।

27. निदेशकों की नियुक्ति

कंपनी के संस्था के बहिर्नियम तथा संस्था के अंतर्नियम के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की जाती है। केवल एक ही कार्यात्मक निदेशक हैं, जो प्रबंध निदेशक हैं और अन्य सभी निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक हैं (सरकार द्वारा नामित हैं)। प्रबंध निदेशक का वेतन भारत सरकार द्वारा मौजूदा मानकों के अनुरूप निर्धारित किया जाता है।

स्वतंत्र निदेशक

कंपनी के संस्था के बहिर्नियम तथा संस्था के अंतर्नियम के प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की गई है।

28. जोखिम प्रबंधन नीति

कंपनी की अपनी जोखिम प्रबंधन नीति है। जोखिमों की पहचान की जाती है तथा इनके शमन हेतु योजना तैयार कर इन पर कार्रवाई की जाती है।

29. सतर्कता

पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा वस्तुनिष्ठता कंपनी की सभी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का आधार बनती है। कंपनी के संस्था के बहिर्नियम तथा संस्था के अंतर्नियम के प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

30. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के अनुसार कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के अनुसार दिए जानेवाले कर्मचारियों का विवरण शून्य है।

31. निदेशक मण्डल के उत्तरदायित्व का कथन

आपके निदेशकों से उनकी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार तत्संबंधी विभागाध्यक्षों तथा लेखा परीक्षकों से प्राप्त सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के आधार पर आपके निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) के संदर्भ में निम्नलिखित कथन प्रस्तुत करते हैं:

31.1 कि वार्षिक लेखा जोखा तैयार करने में सभी अनुमान्य लेखा मानकों के भौतिक सम्प्रेषण से संबन्धित उपयुक्त स्पष्टीकरणों सहित पूर्ण अनुपालन किया गया है।

31.2 कि ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें लगातार लागू किया गया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों और उस अवधि के लिए कंपनी का लाभ और हानि की सही और निष्पक्ष स्थिति दी जा सके।

5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रबंध निदेशक श्री सुनील कुमार कैमाल द्वारा वृक्षारोपण।

31.3 कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की जाती है।

31.4 कि 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक खातों को लाभकारी संस्था के रूप में तैयार किया गया है।

31.5 कि कंपनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली बनाई है जिसका कंपनी को अनुपालन करना होता है तथा यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली अपने में पर्याप्त है एवं यह प्रभावकारी ढंग से कार्य कर रही है।

31.6 कि सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु समुचित प्रणालियाँ लागू की गई तथा उक्त प्रणालियाँ अपने में पर्याप्त है एवं यह प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

32. कंपनी व्यवहार मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं.जीएसआर/(ई) दिनांक 05.06.2013 के संदर्भ में सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान से छूट दिया गया है।

33. सुरक्षा

आपको यह सूचित किया जाता है कि वर्ष के दौरान कंपनी में कोई प्राणघातक दुर्घटना नहीं हुई है। कंपनी सुरक्षा संचालन के सुरक्षा उपायों पर अपने ध्यान केन्द्रित रखती रही है। कर्मचारियों को सुरक्षा सुविधाएं प्रदान की गई है।

34. पर्यावरण सुरक्षा और निर्वहणीयता उपाय

पर्यावरण सुरक्षा और निर्वहणीयता हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

कारखाने में भूनिर्माण और लॉन की तैयारी और बागबानी का अनुरक्षण।

35. सावधि जमा राशियाँ

आपकी कंपनी ने जनता से कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं किया है और इस प्रकार, तुलनपत्र की तिथि के अनुसार मूलधन या ब्याज की कोई राशि बकाया नहीं थी।

36. मनोरंजन एवं प्रचार कार्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने मनोरंजन पर रु.9.70 लाख और विज्ञापन और प्रचार कार्यों पर रु.36.74 लाख खर्च किए हैं।

37. बोर्ड में परिवर्तन

37.1 बोर्ड ने निम्नलिखित नवनियुक्त निदेशकों का बोर्ड में स्वागत किया।

क्र.सं.	नाम	प्रभावी तिथि
01	श्री कृष्ण कुमार पिल्ली, आईटीएस	24.01.2022
02	श्री सुमित गर्ग	09.12.2022

13 अप्रैल, 2022 को केएपीएल के कर्मचारियों के लिए अनेगुंडी रिज़ॉर्ट में पिकनिक

37.2 निम्नलिखित निदेशक को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से कार्यकाल समाप्त किया जाता है:

क्र.सं.	नाम	प्रभावी तिथि
01	श्री कृष्ण कुमार पिल्ली	09.12.2022

बोर्ड ने उक्त निवर्तमान निदेशकों द्वारा बोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान प्रदान की गई सेवाओं की गहरी सराहना व्यक्त की।

38. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा विनिमय अर्जन एवं व्यय :

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा 3(एम) के अधीन निर्धारित अनुसार कंपनी का विवरण इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध – ख में सम्मिलित किया गया है।

39. सम्बद्ध पार्टी लेनदेन

फोर्म एओसी-2 में धारा 188 की उप धारा (1) के संदर्भ में ठेकेदारों के विवरण या सम्बद्ध पार्टियों के साथ किए गए ठेकों के बारे में जानकारी शून्य है।

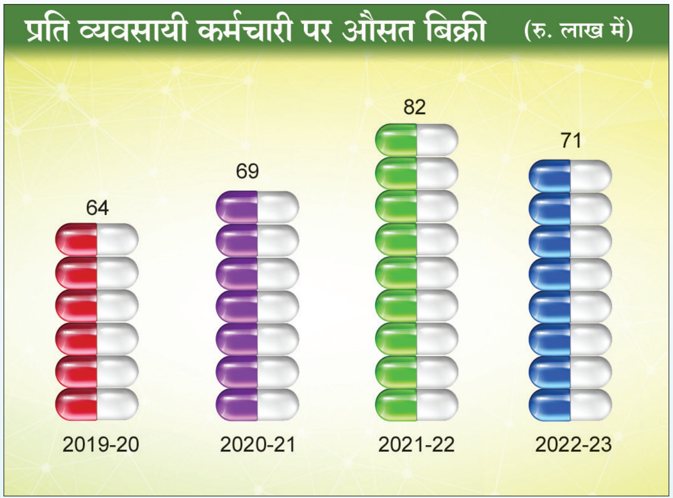

40. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्तियाँ की है। प्रबंध निदेशक, कंपनी सचिव और उप महाप्रबंधक (वित्त) की नियुक्तियाँ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के रूप में की गई हैं।

41. ऊर्जा संरक्षण उपाय

इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

बेंगलूर संयंत्र :

1) स्ट्रीट लाइट के लिए 20 नग एलईडी लैंप उपलब्ध कराए गए।
2) पुरानी संपीड़ित एयरलाइन को नई संपीड़ित लाइन से बदलने के कारण ऊर्जा हानि कम हो गई।
3) उत्पादन क्षेत्र में सीएफएल लैंप को एलईडी लैंप से बदल दिया गया।

42. वार्षिक आम बैठक

कंपनी की 41वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार दिनांक 2 दिसंबर 2022 को बुलाई गई।

43. राजभाषा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी एवं सफल कार्यान्वयन के लिए अत्यंत प्रयास किए गए हैं। कार्यशालाएं, निबंध लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रपत्र एवं परिपत्र, सूचनाएँ, आदि द्विभाषी बनाए गए हैं। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को हिन्दी में प्रकाशित किया गया।

44. सामूहिक सामाजिक दायित्व एवं निर्वहणीय विकास

कंपनी की व्यावसायिक रणनीतियों में सामूहिक सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एक अभिन्न अंग है। एक जिम्मेदार सामूहिक नागरिक के रूप में, हम अपनी सभी सामाजिक एवं पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को निभाते हैं। निदेशक मंडल ने कंपनी को सीएसआर नीति को मंजूरी दे दी है। स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड की सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया गया है तथा इसमें कर्नाटक के औषधि नियंत्रक और प्रबंध निदेशक, केएपीएल अन्य सदस्य हैं। सीएसआर के तहत शामिल की गई गतिविधियाँ अनुबंध – ख पर संलग्न हैं।

प्रति शेयर अर्जन (रु.)

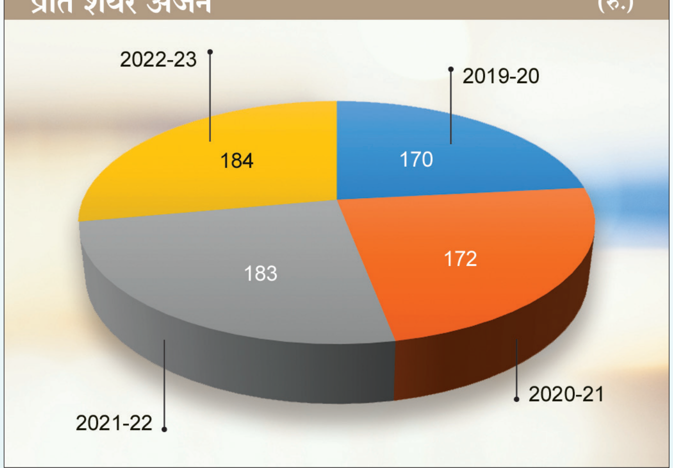

श्री रमेश जी, मुख्य सतर्कता अधिकारी डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर दीप प्रज्वलित करते हुए दर्शित हैं।

केएपीएल के प्रबंध निदेशक श्री सुनील कुमार कैमाल को सम्मानित करते हैं एससी/एसटी संघ के पदाधिकारीगण।

45. लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मेसर्स् योगानन्ध एंड राम एलएलपी, सनदी लेखाकार को वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के खातों के लेखा परीक्षा के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में कंपनी का सनद लेखाकर नियुक्त किया गया।

46. लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स् जे एच एंड एसोशिएट्स को वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के नियमनों की लागत लेखा के संबंध में लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट उचित समय पर भारत सरकार को दायर की जाएगी।

47. सचिवीय लेखापरीक्षक

कंपनी ने वर्ष के लिए श्री के एन नागेश राव, कंपनी सचिव को सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति पर उसे संलग्न किया जाएगा।

48. भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक द्वारा लेखे पर टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अधीन दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की समीक्षा सहित टिप्पणियों को उनकी प्राप्ति पर संलग्न किया जाएगा।

49. कंप्यूटरीकरण गतिविधियां

वर्ष 2022-23 के दौरान, निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की गईं :

क) आईआईएस में लागत केंद्रवार लेखा प्रणाली विकसित और कार्यान्वित की गई।
ख) कारखाने में कैंटीन प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की गई।

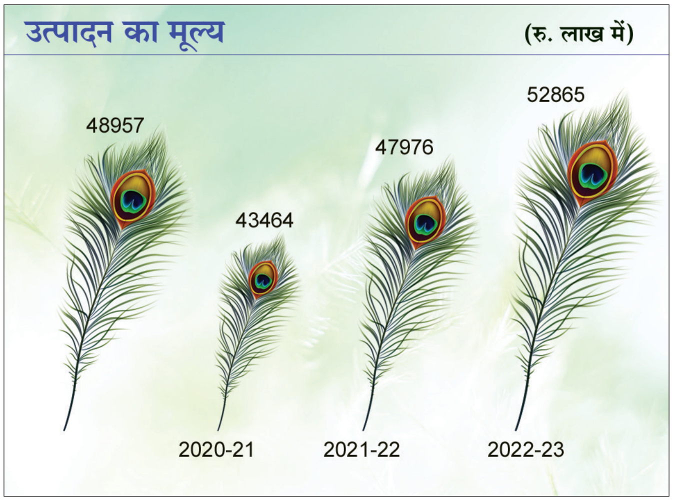

व.प्रबंधक/सहा.म.प्रबंधक और एससी/एसटी कर्मचारी संघ के लिए कारखाना प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

ग) भारत सरकार - राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) की सलाह के अनुसार साइबर सुरक्षा के लिए मुख्यालय और कारखाने में 2 नग हनी पॉट सिस्टम लागू किए गए।

घ) कारखाने में ऊर्जा उपयोग की निगरानी के लिए ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) स्थापित की गई।

ङ) आईआईएस सिस्टम को खरीद, स्टोर और वित्त मॉड्यूल में थोक दवा परियोजना हेतु लेनदेन करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है।

च) आईआईएस में आयुष उत्पादन लेनदेन कार्यान्वित किया गया।

50. प्रबंधन की परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट:

समीक्षाधीन वर्ष के लिए प्रबंधन की परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट को अलग-अलग खंड में प्रस्तुत किया गया है, जो वार्षिक रिपोर्ट के अंश के रूप में अनुबंध - ग में संलग्न है।

51. सामान्य

1. नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित किए गए कोई ऐसा आदेश नहीं है, जो भविष्य में लाभकारी संस्था की स्थित और कंपनी के संचालन को प्रभावित करते हैं।
2. लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा समिति या बोरेड को कोई धोखाधड़ी की सूचना रिपोर्ट नहीं की गई है।
3. कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं है।
4. दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।
5. किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ एकमुश्त निपटान का कोई उदाहरण नहीं था।

52. आभार स्वीकृति

52.1 आपके निदेशक कंपनी के अभिलेखों में भारत सरकार का, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स विभाग और भारत सरकार के अन्य विभागों व कर्नाटक सरकार को, विशेष रूप से औषध नियंत्रक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, कर्नाटक राज्य औषधि रसद और गोदाम सोसाइटी, कर्नाटक राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड के प्रति उनके सक्रिय समर्थन व सहयोग के लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं।

52.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक और पदेन सदस्य, मेसर्स् योगानन्ध एंड राम एलएलपी, सनदी लेखाकार, सांविधिक लेखापरीक्षक, श्री विश्वनाथन, आंतरिक लेखापरीक्षक, मेसर्स् जे एच एंड एसोशिएट्स, लागत लेखापरीक्षक, श्री के एन नागेश राव, सचिवीय लेखापरीक्षक के साथ-साथ कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल व अन्य के प्रति कंपनी के निदेशक अपना आभार व्यक्त करते हैं।

52.3 यह मण्डल मेसर्स् बैंक ऑफ बरोड़ा, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड व यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता है।

52.4 आपके निदेशकगण भारत और विदेशों के अपने सभी बहुमूल्य ग्राहकों तथा आपूर्तिकर्ताओं के प्रति उनके सहयोग व विश्वास के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम भविष्य में भी उनसे सतत सहयोग की अपेक्षा करते हैं।

52.5 आपके निदेशकगण कर्मचारियों के प्रति हर स्तर पर उनकी समर्पित कार्यनिष्ठा के लिए, जिनके बिना इतने बेहतर परिणामों को हासिल कर पाना संभव नहीं था, अपनी सराहना व्यक्त करते हैं।

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

स्थान : बेंगलूरु	**(डॉ. मधुचंदा कर)**	**(सुनील कुमार कैमाल)**
तारीख : 18.07.2023	निदेशक	प्रबंध निदेशक

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के अनुपालन संबंधी सूचना

1. ऊर्जा संरक्षण

इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

ऊर्जा और ईंधन का खपत

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
विद्युत		
क. क्रय (यूनिटों में)	9001599	8112120
कुल राशि (रु.)	84468145	72478800
दर / यूनिट (रु.)	9.38	8.93
ख. स्व उत्पादन		
i. डीज़ल जनरेटर इकाइयों के माध्यम से	47965	178496
प्रयुक्त डीज़ल की मात्रा लीटर में	12000	72000
डीज़ल लागत (रु.)	1022874	5557938
प्रतिलीटर डीज़ल आॅइल का यूनिट	4.00	2.48
लागत/यूनिट (रु.)	21.33	31.14
ii. कोयला		
मात्रा (टनों में)	-	-
कुल राशि (रु.)	-	-
औसत दर (रु.)	-	-
iii. फर्नेस आॅयल		(अप्रैल-2021 से दिसंबर-2021 तक)
मात्रा (लीटरों में)	-	186500
कुल राशि (रु.)	-	7405862
औसत दर (रु.)	-	39.71
iv. सौर ऊर्जा उत्पादन, स्वयं की उत्पादन इकाइयाँ उत्पन्न		
मात्रा	180312.50	174737
कुल राशि (रु.)	1003439.06	972413
दर/यूनिट (रु.)	5.57	5.57
ग. पाइप्ड प्राकृतिक गैस		(अक्तूबर-2021 से अप्रैल-2022 तक)
एमएमबीटीयू में खपत मात्रा	13556.57	5177.87
कुल लागत (रु.)	21773023	7147260
लागत/यूनिट (रु.)	1606.09	1380.35

खपत, उत्पादन मूल्य प्रति लाख:

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
विद्युत:		
रुपए	1636	1647
यूनिट	175	160
पाइप्ड प्राकृतिक गैस:		
रुपए	411.86	-
यूनिट (एमएमबीटीयू)	0.26	-

1ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2022ರಂದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಪಿಲ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವುದು.

2. प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार अनुसंधान और विकास (आर एंड डी गतिविधियां)

अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के साथ रणनीतिक गठबंधन पर विचार किया जा रहा है। कंपनी ने भारी मात्रा में कोई औषधि की तैयारी नहीं की है। हालांकि आपकी कंपनी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए वर्ष दर वर्ष में नए सूत्रीकरण (फार्मूले) तैयार कर रही है। वर्ष के लिए इन गतिविधियों पर किया गया व्यय रु. 137.98 लाख है।

3. उपयोग में लाया गया व अर्जित किया गया कुल विदेशी विनिमय

(रु.लाख में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
कुल विदेशी विनिमय उपयोग में लाया व अर्जित किया गया		
कच्चा माल/स्पेयर पार्ट्स और पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर	-	-
व्यापारिक यात्रा, सदस्यता, उपभोज्य भंडार, पुनर्विक्रय के लिए सामान, निर्यात बिक्री पर कमीशन, आदि के लिए विदेशी मुद्राओं में खर्च	43.62	67.48
वर्ष के दौरान लाभांश के रूप में विदेशी मुद्रा में प्रेषण	-	-
कुल अर्जित विदेशी विनिमय (एफ़ओबी मूल्य)	3920	2128

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

स्थान: बेंगलूरु	**(डॉ.मधुचंदा कर)**	**(सुनील कुमार कैमाल)**
तारीख: 18.07.2023	निदेशक	प्रबंध निदेशक

1. अभिशासन की नीतिसंहिती पर कंपनी का दार्शनिक विचार:

निगमित अभिशासन पर केएपीएल का दर्शन सर्वोच्च स्तर की पारदर्शिता, प्रतिबद्धता, संचालन के सभी मुद्दों पर समानता तथा अपने पण्यधारकों के साथ सभी तरह के व्यवहारों, जिसमें कि पण्यधारक कर्मचारी सरकार और ऋणदाता आदि सम्मिलित हैं, को प्राप्त करने की शुरूआत करना है। केएपीएल निगमित अभिशासन के उत्तम मानदंडों को प्राप्त करने तथा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

2. निदेशक मण्डल:

क) 31 मार्च 2023 के अनुसार, बोर्ड के 6 निदेशक रहे, जिनमें से एक पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक, एक अंशकालिक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्युटिकल विभाग से एक अंशकालिक गैर-कार्यकारी निदेशक और कर्नाटक सरकार से दो गैर-कार्यकारी निदेशक और एक स्वतंत्र निदेशक इस निदेशक मण्डल में शामिल हैं।

ख) वर्ष 2022-23 के दौरान 21.07.2022, 30.09.2022, 02.12.2022 तथा 17.03.2023 को बोर्ड की चार बैठकें बुलाई गईं।

ग) निदेशक मण्डल का गठन तथा सम्बद्ध सूचना:

निदेशक का नाम	संवर्ग	उपस्थिति के साथ बोर्ड की बैठकों की संख्या	विगत वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	दि.31.3.2023 के अनुसार बाहरी निदेशकत्वों की संख्या	दि.31.3.2023 के अनुसार बाहरी मण्डल समिति में सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या
श्री अनिल कुमार टी के, आईएएस	अध्यक्ष	4/4	हाँ	3	शून्य
श्री सुनील कुमार कैमाल	प्रबंध निदेशक	4/4	हाँ	शून्य	शून्य
डॉ एम.आर. रवि, आईएएस	गैर-कार्यकारी निदेशक	1/4	हाँ	9	शून्य
श्री कृष्ण कुमार पिल्ली, आईटीएस	गैर-कार्यकारी निदेशक	1/3	हाँ	शून्य	शून्य
श्री बी टी खानापुरे	गैर-कार्यकारी निदेशक	4/4	हाँ	शून्य	शून्य
डॉ मधुचंदा कर	स्वतंत्र निदेशक	4/4	हाँ	शून्य	शून्य
श्री सुमित गर्ग	गैर-कार्यकारी निदेशक	1/1	नहीं	शून्य	शून्य

गैर-कार्यकारी निदेशकों का कंपनी अथवा इसके प्रबंधन मण्डल के साथ कोई भौतिक या आर्थिक संबंध या व्यवयाय नहीं है। इन्हें कंपनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं होता।

घ) आचार-संहिता:

आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने मण्डल के सभी सदस्यों, वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापारिक आचार संहिता के मानदंडों को बनाये रखने तथा सांविधिक आवश्यकताओं के साथ उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु आचार संहिता बनाई है। आचार संहिता को आपकी कंपनी की वेबसाइट www.kaplindia.com में प्रदर्शित किया गया है।

3. लेखा परीक्षा समिति:

आज की तारीख तक कंपनी की प्रदत्त पूंजी रु. 13.49 करोड़ है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है।

4. प्रकटन

i. निदेशकों का पारिश्रमिक:

पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक को देय पारिश्रमिक और उनकी सेवा की शर्तें केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रबंध निदेशक को प्रदत्त पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है:

14 जून 2022 को एनजीओ एमकेएल बालगा द्वारा कारखाना प्रशिक्षण केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।

रु. लाखों में

निदेशक का नाम	वेतन	लाभ	पीएफ योगदान	अनुलाभ	कुल
श्री सुनील कुमार कैमाल	41.63	-	3.49	3.71	48.83

अंशकालिक निदेशकों को बोर्ड की बैठकों, लेखा परीक्षा समिति की बैठकों और सीएसआर बैठकों में भाग लेने के लिए भुगतान किए गए बैठक शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक/कमीशन का भुगतान नहीं किया जाता है जो निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	बोर्ड की बैठक हेतु दिया गया बैठक शुल्क (रु.)	लेखा परीक्षा समिति की बैठक हेतु दिया गया बैठक शुल्क (रु.)	सीएसआर समिति की बैठक हेतु दिया गया बैठक शुल्क (रु.)
01	श्री अनिल कुमार टी के, आईएएस	4000	-	-
02	डॉ एम.आर. रवि, आईएएस	1000	-	-
03	श्री सुनील कुमार कैमाल	-	-	-
04	श्री कृष्ण कुमार पिल्ली, आईटीएस	1000	-	-
05	श्री बी टी खानापुरे	4000	1000	1000
06	डॉ मधुचंदा कर	60000	20000	10000
07	श्री सुमित गर्ग	1000	-	-

कंपनी में भारत सरकार/केएसआईआईडीसी के नामित सदस्य के रूप में अंशकालिक निदेशक शेयरों का धारण करते हैं।

5. वार्षिक आम बैठकें:

क) निम्नलिखित अनुसार पिछली तीन वार्षिक आम बैठकें सम्पन्न हुईं:

वित्तीय वर्ष	तारीख	समय	स्थान
2021-22	02.12.2022	1200 बजे	निगमित कार्यालय, बेंगलूरु
2020-21	17.01.2022	1145 बजे	निगमित कार्यालय, बेंगलूरु
2019-20	25.09.2020	1230 बजे	निगमित कार्यालय, बेंगलूरु

इन पिछली वार्षिक आम बैठकों में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किए गए। पिछले वर्ष डाक बैलेट के ज़रिए कोई प्रस्ताव नहीं आया और न ही इस वर्ष भी किसी डाक बैलेट प्रतीक्षित है।

6. संचार का माध्यम:

क) वार्षिक वित्तीय परिणामों को कंपनी की वेबसाइट www.kaplindia.com में प्रदर्शित किया जाता है।

संयंत्र स्थल: प्लॉट नं.14, दूसरा फेस, पीण्या औद्योगिक क्षेत्र, बेंगलूरु – 560 058

धारवाड़ आयुष संयंत्र: प्लॉट नं.429/1/2ए, कोटूर गाँव, पी.बी. रोड, एनएच-4, बेलूर, धारवाड़ – 560 011 (कर्नाटक)

ख) पत्राचार का पता:

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता है:

आर्का दि बिज़नस सेंटर
प्लॉट नं.37, साइट नं. 34/4, एनटीटीएफ़ मेन रोड,
पीण्या औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा फेस, बेंगलूरु – 560 058

शेयरधारक उपर्युक्त पते पर पत्राचार कर सकते हैं।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

स्थान: बेंगलूरु
तारीख: 18.07.2023

(डॉ. मधुचंदा कर)
निदेशक

(सुनील कुमार कैमाल)
प्रबंध निदेशक

कर्नाटक एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बेंगलूर

वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर गतिविधि

क्रम सं.	पहचान की गई सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले को निर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम किए गए थे	परियोजना या कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (बजट)	परियोजनाओं या कार्यक्रमों के खर्च की गई राशि: उप शीर्ष (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवरहेड्स:	समीक्षाधीन अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से*
1	2	3	4	5	6	7	8
1	स्वास्थ्य शिविर	स्वास्थ्य	कर्नाटक	-	8,54,000.00	-	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, चिक्काबल्लापुर, कर्नाटक
2	स्वास्थ्य/रक्तदान शिविर	स्वास्थ्य	कर्नाटक	-	15,20,000.00	-	एनजीओ - जीवन आधार मेडिकल फाउंडेशन, कलबुर्गी
3	कैंसर रोगियों के लिए प्रशामक देखभाल	स्वास्थ्य	कर्नाटक	-	9,90,000.00	-	एनजीओ - फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बेंगलूरु
4	एनीमिया चलेओ जाओ	स्वास्थ्य	कर्नाटक	-		-	
5	स्मार्ट बोर्ड	शिक्षा	कर्नाटक	-	7,50,000.00	-	एसडीएमसी प्राथमिक सरकार. स्कूल, बेंगलूरु
6	स्मार्ट बोर्ड	शिक्षा	कर्नाटक	-	7,50,000.00	-	सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल, बेंगलूरु
7	ब्रेल एम्बॉसर	शिक्षा	कर्नाटक	-	4,98,000.00	-	एनजीओ, स्नेहदीप ट्रस्ट फॉर डिसेबल्ड, रानीबेन्नूर
8	स्वास्थ्य/शिक्षा	शिक्षा	कर्नाटक	-	9,56,000.00	-	एनजीओ, स्वामी विवेकानंद सोशल सर्विस ट्रस्ट, बेंगलूरु
	कुल				**63,18,000.00**		

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

स्थान: बेंगलूरु
तारीख: 18.07.2023

(डॉ. मधुचंदा कर)
निदेशक

(सुनील कुमार कैमाल)
प्रबंध निदेशक

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण - एक अवलोकन

फार्मास्युटिकल उद्योग

भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग परिमाण के मामले में विश्व में तीसरा बड़ा और मूल्य की दृष्टि से चौदहवाँ सबसे बड़ा है।

भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग (औषधियों और चिकित्सा उपकरणों सहित) का वर्तमान बाजार आकार लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। फार्मास्युटिकल उद्योग के 2024 तक 65 अरब डॉलर और 2030 तक 130 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है (भारत दुनिया में कम लागत वाले टीकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है)। कम कीमत और उच्च गुणवत्ता के कारण, भारतीय औषधियाँ दुनिया भर में पसंद की जाती हैं, इस तरह से देश का नामकरण ''दुनिया का औषधालय'' हुआ है। वर्तमान में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% योगदान देता है।

कंपनी:

कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) को विभिन्न सरकारी अस्पतालों और अन्य संस्थानों में जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराने के मूल उद्देश्य के साथ निगमित किया गया था।

कंपनी के पास ड्राई पाउडर इंजेक्टेबल्स, लिक्विड इंजेक्टेबल्स, टैबलेट्स, कैप्सूल, ड्राई सिरप और सस्पेंशन के लिए विनिर्माण सुविधाएं हैं। खंडवार प्रदर्शन का विवरण बोर्ड की रिपोर्ट का अंश होता है।

स्वॉट विश्लेषण

कंपनी की वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत है और कंपनी अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए अपने स्वयं के आंतरिक रूप से उत्पन्न निधि का उपयोग कर रही है।

कंपनी ने हमेशा 'निरंतर सुधार' और विकास पथ की अवधारणा में विश्वास किया और समय-समय पर नवीनतम बेहतर विनिर्माण मानकों को पूरा करने के लिए अपनी विभिन्न विनिर्माण सुविधाओं और प्रणालियों को उन्नत किया और वर्तमान तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखा। सभी फार्मा उपक्रमों में से केवल केएपीएल को ही डब्ल्यूएचओ जीएमपी अनुमोदन का गौरव प्राप्त है।

कंपनी की सुविधाएं विभिन्न देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों तथा पीआईसी मलेशिया द्वारा अनुमोदित हैं। केएपीएल के उत्पाद 25 से अधिक देशों में पंजीकृत हैं और वर्तमान में यह 17 विभिन्न देशों को निर्यात किया जाता है।

कंपनी को निम्नलिखित उत्पाद रेंज को कवर करने वाले उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला मिली है:

एंटीबायोटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डायबिटिक, हैमैटिनिक्स, एंटी माइग्रेन, एनएसएआईडीएस, सामान्य दवाएं, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, पशु स्वास्थ्य उत्पाद, कृषि रासायनिक उत्पाद और आयुर्वेदिक।

जोखिम और चिंताएं

कंपनी को मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सरकार द्वारा अनिवार्य मूल्य नियंत्रण, विनियामक परिवर्तन और गहन प्रतिस्पर्धा आदि शामिल हैं।

दृष्टिकोण

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता में वृद्धि, चिरकालिक बीमारियों की अधिक घटनाओं और धीरे-धीरे व्यापक बीमा कवरेज से भारत के फार्मास्युटिकल बाज़ार में वृद्धि होने की उम्मीद है।

कंपनी आयुर्वेदिक उत्पादों सहित उत्पाद पोर्टफोलियो के निर्माण और विस्तार के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी अपने अतिरिक्त उत्पादों को लगातार पंजीकृत कर रही है, जहां यह पहले से ही निर्यात कर रहा है और भविष्य के व्यावसायिक उत्पादन के लिए नए देशों में भी पंजीकरण की संभावना तलाश रही है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता:

कंपनी का मानना है कि आंतरिक नियंत्रण अभिशासन की एक आवश्यक पूर्वपिक्षा है और सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण ढांचा है, जिसे वित्तीय और परिचालनीय नियंत्रणों की पर्याप्तता, प्रभावशीलता और दक्षता का लगातार आकलन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

परिचालन प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा

पिछले तीन वर्षों के प्रदर्शन के तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं:

(रु. लाखों में)

विवरण	उत्पादन मूल्य	बिक्री टर्नओवर	कर पूर्व लाभ	कर के उपरांत लाभ
2020-21	43464	42616	3074	2318
2021-22	47976	47387	3252	2466
2022-23	52865	52757	3425	2489

मानव संसाधन, औद्योगिक संबंधों के मोर्चे पर महत्वपूर्ण विकास, जिसमें कार्यरत लोगों की संख्या भी शामिल है।

कंपनी कौशल और दक्षताओं के उन्नयन के लिए समय-समय पर कर्मचारियों को अपेक्षित प्रशिक्षण आयोजित करती है। कंपनी अपने कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध रखती है और अपनी स्थापना के समय से लेकर कर्मचारी अशांति या हड़ताल के कारण एक भी मानवघंटा नष्ट नहीं हुआ। 31.03.2023 के अनुसार श्रमशक्ति की कुल संख्या 748 है। (दोनों नियमित और निश्चित अवधि के अनुबंध कर्मचारी शामिल)

पर्यावरण संरक्षण

एक पर्यावरण संरक्षण उपाय के रूप में, कंपनी अपने निगमित कार्यालय और उसके आसपास वृक्षारोपण करती है और कारखाने में खुले क्षेत्र में उद्यान का अनुरक्षण करती है। ई-कचरे के उत्पादन को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर आयोजित किए जाते हैं।

तकनीकी संरक्षण, अक्षय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण और निगमित सामाजिक जिम्मेदारी से संबंधित विवरण, निदेशक की रिपोर्ट का एक अंश है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

स्थान: बेंगलूरु
तारीख: 18.07.2023

(डॉ. मधुचंदा कर)
निदेशक

(सुनील कुमार कैमाल)
प्रबंध निदेशक

2022-23 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षकों की योग्यता

पैरा नं.	लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
8.1	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर भारत सरकार के दिशानिर्देश, 2010 का अनुपालन नहीं किया, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित लगातार बोर्ड की बैठकों में दो अवसरों पर तीन महीने के बीच का अंतराल इससे अधिक था।	लेखापरीक्षा अवलोकन नोट कर लिया गया है। भविष्य में, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर भारत सरकार के दिशानिर्देश, 2010 के अनुपालन का उचित ध्यान रखा जाएगा।
8.2	वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने रिक्ति नहीं भरी और एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की। अत:, कंपनी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर भारत सरकार के दिशानिर्देश, 2010 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत आवश्यक स्वतंत्र निदेशक के रूप में बोर्ड के कम से कम एक तिहाई सदस्यों को रखने की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकी।	कंपनी के संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम के प्रावधानों के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति भारत सरकार के पास है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था। भारत सरकार ने अभी तक केवल एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की है।
8.3	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर भारत सरकार के दिशानिर्देश, 2010 द्वारा अनिवार्य चार के स्थान पर लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकें आयोजित कीं। इसके अलावा, दो स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, कंपनी वैध रूप से लेखापरीक्षा समिति तथा नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन, बैठकों का आयोजन और संचालन नहीं कर सकी।	लेखापरीक्षा अवलोकन नोट कर लिया गया। भविष्य में, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर भारत सरकार के दिशानिर्देश, 2010 के अनुपालन का उचित ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा, कंपनी के संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम के प्रावधानों के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति भारत सरकार के पास है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त होने पर एक और स्वतंत्र निदेशक के साथ लेखापरीक्षा तथा नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

स्थान: बेंगलूरु
तारीख: 29.09.2023

(डॉ. मधुचंदा कर)
निदेशक

(सुनील कुमार कैमाल)
प्रबंध निदेशक

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बेंगलूरु
के सदस्यों को

एकल इंड एएस वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट:

राय:

हमने कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (कंपनी) के एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों, जिसमें दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए (अन्य व्यापक आय सहित) लाभ व हानि की विवरणी, इक्विटी में परिवर्तन के विवरण, नकद प्रवाह विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ सम्मिलित हैं, की लेखापरीक्षा की है।

हमारी राय में व हमारी पूर्ण जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर उपर्युक्त एकल इंड एएस वित्तीय विवरण यथा अपेक्षित रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित जानकारी देता है और 31 मार्च,2023 तक के कंपनी के कार्य मामलों तथा उक्त तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए उनके लाभ, इक्विटी में परिवर्तन व उसके नकद प्रवाह का भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही व उचित विचार देता है।

राय के लिए आधार:

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ खंड में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए आचार संहिता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं तत्संबंध में बनाए गए प्रासंगिक नियमों के अधीन स्वतंत्रता की आवश्यकताएं जो भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी लेखा परीक्षा के राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए अभिशासन के साथ प्रभारित और उन पर प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, की धारा 134 (5) (अधिनियम) में वर्णित मामलों में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इन एकल इंड एएस वित्तीय विवरणी, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित कंपनी की वित्तीय स्थितिऔर वित्तीय कार्यनिष्पादन निष्पक्ष स्थिति प्रकट करती है, को तैयार करने के संबंध में उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा करने और जालसाजियों और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने और उसका पता लगाने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और प्रयोग करने, ऐसे निर्णय और अनुमान करने जो उचित और विवेकपूर्ण हों, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने जो लेखांकन अभिलेखों की सत्यता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तरीके से कार्य कर रहे थे, सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करनेवाले तथा तथ्यात्मक गलतबयानी, चाहे छल-कपट या त्रुटि से मुक्त वित्तीय विवरणी को तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित हों, के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षण भी शामिल हैं।

वित्तीय विवरणी को तैयार करने में, एक लाभकारी संगठन के रूप में प्रकटीकरण, यथा लागू, संबंधित विषयों से संबंधित मामलों और लेखांकन के लाभकारी संगठन के आधार पर जारी रहने हेतु कंपनी दक्षता का आकलन करने के लिए निदेशक मण्डल जिम्मेदार है जब तक कि निदेशक मण्डल या तो कंपनी के कार्य को समाप्त या इसके संचालन को बंद नहीं किया जाता है, या ऐसा करने के लिए इसके अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल भी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां :

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण समग्र रूप से महत्वपूर्ण दुरुपयोग से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार आयोजित एक लेखा परीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। गलतियाँ, जो धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि अगर, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर की गई हो,उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा के अंश के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। आगे हम:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानकर उनका आकलन करने,चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो,उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करने,और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं,जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो।धोखाधड़ी से उत्पन्न होने वाली महत्वपूर्ण नुकसान का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक होते हैं, जिसमें धोखाधड़ी के रूप में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का अधिभावन शामिल हो।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने हेतु लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं, जो परिस्थितियों में उचित हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहतहम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता है।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन के लाभकारी संगठन के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालने के लिए भी जिम्मेदार हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या सामाग्री अनिश्चितता घटनाओं या शर्तों से संबंधित है जो कि एक लाभकारी संगठन के रूप में जारी रखने की इकाई की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकता है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि इस तरह के प्रकट राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त है। हमारे निष्कर्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं, हालांकि, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियाँ इसे एक लाभकारी संगठन के रूप में जारी रहने पर रोक लगा सकती है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करके क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं, इसका भी मूल्यांकन किया जाता है।

हम, अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम एक कथन के साथ अभिशासन के उन आरोपों को भी प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है,और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ सूचित करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित रूप से, जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय सोचा जा सकता है।

अभिशासन के साथ प्रभारित के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं।हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकते नहीं हैं या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में,हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) द्वारा यथा अपेक्षित, हम ''अनुबंध –क'' में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार कंपनी के बही खातों और अभिलेखों की ऐसी जाँच के आधार पर जैसा कि हम उचित समझते हैं, हम एक विवरण संलग्न करते हैं तथा हमें दी गयी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम अनुबंध - ख के रूप में हमारी अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जो कंपनी के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों तथा अतिरिक्त निर्देशों में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण होते हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथाअपेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क. हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए, जो आवश्यक था, वह सारी जानकारी और स्पष्टीकरण हमने अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास में मांगा व प्राप्त किया।

   ख. हमारी राय में, कंपनी के कानून द्वारा यथाअपेक्षित उचित लेखा पुस्तिका रखी गई है जैसा कि उन पुस्तिकाओं की हमारी जांच से प्रतीत होता तथा उचित विवरण जो हमारी लेखापरीक्षा उद्देश्य के लिए पर्याप्त है।

ग. इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहार में लाए गए तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरणी, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकद प्रवाह विवरण, उक्त उद्देश्य के लिए बनाए गए खाते की प्रासंगिक पुस्तकों के अनुरूप हैं।

घ. हमारी राय में, उपरोक्त इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठनीय अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का अनुपालन करते हैं।

ङ. एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कॉरपोरेट व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता से संबन्धित अधिनियम की धारा 164(2) कंपनी के लिए लागू नहीं होता।

च. एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कॉरपोरेट व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होता।

छ. कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया अनुबंध-ग में हमारी अलग रिपोर्ट का संदर्भ लें।

ज. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमे के प्रभाव का खुलासा किया है। - वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.33क का संदर्भ लें;

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई दीर्घावधि अनुबंध नहीं थे, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वाभास नुकसान है।

iii. कंपनी में, कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

iv. कंपनी ने वर्ष के दौरान लाभांश की घोषणा और भुगतान किया है जो अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।

v. लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बहीखाते बनाए रखने के लिए कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, जिसमें लेखापरीक्षा ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को अभिलेख करने की सुविधा है, 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है और तदनुसार, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

कृते **योगानन्ध एंड राम एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन:005157एस/एस200052

मनोज कुमार जैन
भागीदार
सदस्यता सं.218610
यूडीआईएन: 23218610BGXKED3897

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 18 जुलाई 2023

अनुबंध – क : कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की समदिनांक रिपोर्ट के संबंध में

(31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी समदिनांक रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (11) के संदर्भ में, यथा लागू सीमा तक, भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण

i. कंपनी के परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में:

क. (अ) कंपनी मात्रात्मक विवरण और परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेख बनाए हुए है।

(आ) कंपनी अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेख बनाए रख रही है।

ख. इसकी अचल परिसंपत्तियाँ के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रबंधन द्वारा तीन वर्षों की अवधि में सभी परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में कंपनी के आकार और अचल परिसंपत्तियों की प्रकृति के संबंध में भौतिक सत्यापन की आवधिकता उचित है। कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान कुछ अचल परिसंपत्तियों का सत्यापन किया गया और इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गई।

ग. सभी अचल परिसंपत्तियाँ के शीर्ष विलेख कंपनी के नाम पर हैं।

घ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त परिसंपत्तियाँ या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ङ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी परिसंपत्ति को रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii. अ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा वर्ष में एक बार मालसूची का भौतिक सत्यापन किया गया है और कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गई हैं। हालांकि, कंपनी के आकार को देखते हुए, शाखाओं में निर्मित माल के सत्यापन की आवृत्ति उचित या पर्याप्त नहीं है।

आ. जैसा कि वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 19 में बताया गया है, कंपनी को व्यापार में स्टॉक की सुरक्षा और समान कदम पर बही ऋण के आधार पर कंपनी को बैंकों से कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर की गई है और समान कदम पर अवधि के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को प्रभारित की गई अचल परिसंपत्तियों के अलावा अन्य अचल परिसंपत्तियों की संपार्श्विक सुरक्षा मंजूर की गई है। कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों के साथ दायर त्रैमासिक विवरणी कंपनी के खाते की पुस्तकों के अनुरूप हैं।

iii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या कोई ऋण या अग्रिम, सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में निवेश नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(iii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

iv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा नहीं दी है, और इसलिए आदेश के खंड 3 (iv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

v. कंपनी ने किसी भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है जिसे जमा माना जाता है और इसलिए आदेश के खंड 3 (v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

vi. केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत अभिलेखों का अनुरक्षण निर्धारित किया है। कंपनी सामान्य रूप से निर्दिष्ट के अनुसार उचित अभिलेख बनाए रखती है।

vii. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार सांविधिक देय राशि के संबंध में कंपनी नियमित रूप से वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर और अन्य सांविधिक बकाए सहित निर्विवाद सांविधिक देय राशि को तत्संबंधी प्राधिकार को जमा कर रही है।

31 मार्च 2023 पर उनके अदा करने की तारीख से छे महीनों के अंतर्गत आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर और अन्य सांविधिक बकाए सहित निर्विवाद सांविधिक देय राशि देय नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखितों को छोड़कर, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर के बकाए सहित निर्विवाद सांविधिक देय राशि देय नहीं है :

संविधि/प्राधिकार का नाम	बकाए की प्रकृति	अवधि	मंच जहां विवाद लंबित है	राशि लाख रुपए में*
वैट अधिनियम – बिहार	खाद्य पूरक पर बिक्री कर, गेज और बैंडेज की बिक्री	वि.वर्ष 1999-2000	जेसीसीटी, पटना	7.33
सीएसटी अधिनियम – बिहार	खाद्य पूरक पर बिक्री कर, गेज और बैंडेज की बिक्री	वि.वर्ष 1999-2000	जेसीसीटी, पटना	0.19
वैट अधिनियम – बिहार	खाद्य पूरक पर बिक्री कर, गेज और बैंडेज की बिक्री	वि.वर्ष 2000-2001	जेसीसीटी, पटना	7.14
सीएसटी अधिनियम – बिहार	खाद्य पूरक पर बिक्री कर, गेज और बैंडेज की बिक्री	वि.वर्ष 2000-2001	जेसीसीटी, पटना	3.73

viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में आत्मसमर्पित या प्रकट की गई पूर्व में दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।

ix. क. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में, कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से ऋण या अन्य उधार के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा इच्छुक दोषी घोषित नहीं किया गया है।

ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

घ. कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई किसी भी निधि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

ङ. चूंकि कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां नहीं हैं, इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (ङ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

च. चूंकि कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होगी।

x. क. कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण लिखतों सहित आरंभिक पब्लिक ऑफर या अन्य पब्लिक ऑफर के माध्यम से धन नहीं जुटाया है। इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख. वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से, या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई तरजीही आवंटन या निजी अंतरण नहीं किया है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (x) (ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xi. क. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

ख. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक केंद्र सरकार के पास कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में लेखापरीक्षकों द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

ग. हमें सूचित किया गया है कि चूंकि कंपनी असूचीबद्ध कंपनी है, इसलिए कंपनी ने व्हिसल ब्लोअर रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित नहीं किया है।

xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, तदनुसार आदेश का खंड 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता।

xiii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है, जहां लागू हो, संबंधित पक्षकारों के साथ सभी लेनदेन के लिए और संबंधित पक्षकार लेनदेन के विवरण को वित्तीय विवरणों में लागू लेखांकन मानकों द्वारा यथाआवश्यक प्रकट किया गया है।

xiv. क. कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

ख. हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के तहत अवधि के लिए हमारे द्वारा विचार किया गया है।

xv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xvi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-खक के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, रिपोर्ट करने की आवश्यकता पर आदेश के खंड 3 (xvi) (क), (ख), (ग) और (घ) लागू नहीं है।

xvii. कंपनी ने हमारे लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष में और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद हानि नहीं उठाई है।

xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

xix. वित्तीय विवरणों में टिप्पणी संख्या 49 में प्रकट वित्तीय अनुपातों के आधार पर, वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देयताओं के भुगतान की उम्र और अपेक्षित तिथियां, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी, और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी परीक्षा के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जो हमें विश्वास दिलाता है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, यह दर्शाता है कि कंपनी के तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंदर देय होने पर तुलन पत्र की तारीख में मौजूद अपनी देयताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं देती है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंदर सभी देयताएँ देय हैं, कंपनी द्वारा उन्हें देय होने पर रद्द कर दी जाएगी।

xx. क. चालू परियोजनाओं के इतर अन्य के संबंध में, उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में, कंपनी अधिनियम (अधिनियम) की अनुसूची तखख में निर्दिष्ट निधि में कोई अव्ययित राशि स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 38 में इस मामले का प्कटीकरण किया गया है।

ख. चालू परियोजनाओं के संबंध में कोई अव्ययित राशि नहीं है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में एक विशेष खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

xxi. चूंकि कंपनी समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं करती है, इसलिए आदेश के खंड 3 (xxi) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

कृते **योगानन्ध एंड राम एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन:005157एस/एस200052

मनोज कुमार जैन
भागीदार
सदस्यता सं.218610
यूडीआईएन: 23218610BGXKED3897

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 18 जुलाई 2023

अनुबंध – ख : कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की समदिनांक रिपोर्ट के संबंध में

(31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी समदिनांक रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप धारा 5 के तहत आवश्यक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के निर्देश पर कथन

क्रम सं.	निर्देश	हमारा उत्तर
I.	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है?यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाए।	हां, कंपनी के पास लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए आईटी प्रणाली उपलब्ध हैं।
II.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋणों की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को उधार/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं?यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जा जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (ऋणदाता एक सरकारी कंपनी होने के मामले में, यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो किसी ऋण का पुनर्गठन किया है और न ही उधार/ऋण/ब्याज आदि को माफ किया है/बट्टे खाते में डाला है।
III.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य योग्य निधियों (अनुदान/अनुवृत्ति आदि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची दें।	कंपनी ने केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के तहत कोई निधि प्राप्त/प्राप्य योग्य नहीं है।

कृते **योगानन्ध एंड राम एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन:005157एस/एस200052

मनोज कुमार जैन
भागीदार
सदस्यता सं.218610
यूडीआईएन: 23218610BGXKED3897

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 18 जुलाई 2023

अनुबंध–ग : कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के एकल इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की समदिनांक रिपोर्ट के संबंध में

(31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी समदिनांक रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के तहत पैराग्राफ 3(च) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2023 के अनुसार कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (''कंपनी'') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-जोखा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल इंड-एएस वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के साथ किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं अनुरक्षण के लिए जवाबदेह है। इस जवाबदेही में, कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षित अनुसार पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण, जोकि कंपनी की नीतियों, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधडी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाना एवं रोकथाम, लेखा अभिलेखों की यथार्थता और पर्याप्तता, विश्वसनीय वित्तीय विवरणों की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय को विवेकपूर्ण एवं सशक्त रूप में संचालन सुनिश्चित करना भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी राय व्यक्त करनी है। हमने अपनी लेखा परीक्षा को आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी (दिशानिर्देश टिप्पणी) तथा लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होने के अनुसार किया है।

उन मानकों और दिशानिर्देश टिप्पणियों की यह अपेक्षा होती है कि हम नीतिगत आवश्यकताओं का पालन करें और योजना बनाएँ तथा उचित आश्वासन / विश्वास प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें चाहे वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित हों तथा ऐसे नियंत्रण सभी यथार्थ मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हो।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभाविकता प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, मौजूदा भौतिक कमजोरियों की जोखिम का आकलन करना, आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन एवं परिचालन प्रभाविकता को मूल्यांकित करना शामिल है। एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के यथार्थ गलत अनुमान की जोखिम, चाहे वह धोखा या त्रुटि से हो, का आकलन करने सहित चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखा परीक्षा राय के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त एवं उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं कि -

1) समुचित विवरणों के साथ सही अभिलेखों के अनुरक्षण को कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन तथा स्वभाव को यथार्थतः एवं प्रतिबिंबित करने के संबंध में प्रदान करता है;

2) आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिएआवश्यक लेनदेन अभिलेखित किए जाने और प्रबंधन एवं कंपनी के निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार कंपनी की प्राप्ति एवं व्यय तैयार किए जाने का समुचित आश्वासन प्रदान करता है; और

3) वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डालनेवाले कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण के रोकथाम या समय पर पता लगाना, उपयोग, या स्वभाव के संबंध में समुचित आश्वासन प्रदान करता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की कपटसंधि या अनुचित प्रबंधन प्रत्यादिष्टी सहित त्रुटि या धोखाधडी की वजह से भौतिक गलत बयान हो सकते हैं और पता लगाया नहीं जाता। इसके अलावा, भावी समय के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन के अनुमान उस जोखिम पर निर्भर होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन, या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन बिगड जाने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है।

राय

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने सभी यथार्थ मामलों में परिचालनीय पर्याप्त वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा मार्च 31, 2023 के अनुसार प्रभावी रूप से परिचालनीय वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपनाया है, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी के अधीन निर्धारित अनुसार उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है।

कृते **योगानन्ध एंड राम एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन:005157एस/एस200052

मनोज कुमार जैन
भागीदार
सदस्यता सं.218610
यूडीआईएन: 23218610BGXKED3897

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 18 जुलाई 2023

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी
(प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014
के नियम सं.9 के अनुसार

कर्नाटक एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के सदस्यों को,

1. मैंने कर्नाटक एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, जिसका सीआईएन : U24231KA1981GOI004145 है, (इसके बाद कंपनी वर्णित होगा) द्वारा अनुपालन हेतु अन्वयन के सांविधिक प्रावधानों तथा सुशासन के प्रचलनों के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। उक्त सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार से की गई है कि यह मुझे निगम आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन हेतु पर्याप्त आधार प्रदान करवाता है तथा मुझे इन विषयों पर अपनी राय प्रकट करने का आधार प्रदान करवाता है।

2. कंपनी द्वारा अनुरक्षित कंपनी के खातों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रारूपों तथा प्रस्तुत विवरणियों एवं अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर तथा सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं तथा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मुझे दी गई जानकारियों के आधार पर तथा अनुबंध के रूप में इसके साथ लगे अलग पत्र स्वरूप हम निमनपरकर से रिपोर्ट करता हूँ कि मेरी राय में, कंपनी के पास, दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा के दौरान सूचीबद्ध प्रावधानों के साथ तथा यह मानते हुए की कंपनी की अपनी एक प्रचलित समुचित बोर्ड-प्रक्रिया एवं नियम अनुपालन व्यवस्था है।

3. मैंने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित खातों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रारूपों तथा दायर विवरणियों एवं अन्य अभिलेखों की लेखापरीक्षा निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसरण में की है:

   (क) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली ;

   (ख) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली ;

   (ग) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम ;

   (घ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्य ऋण के विस्तार के अंतर्गत विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम;

   (ङ) औषधि और कान्तिवर्धक अधिनियम, 1940 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम;

   (च) फार्मास्युटिकल उत्पादों के निर्माण, परीक्षण और समग्र गुणवत्ता नियंत्रण के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए अच्छा विनिर्माण अभ्यास (जीएमपी) का दस्तावेज़ीकरण और प्रमाणन;

   (छ) औषधि और जादुई उपचार (विवादास्पद विज्ञापन) अधिनियम, 1954 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम;

   (ज) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995;

   (झ) पेटेंट अधिनियम, 1970;

   (ञ) ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999

   (ट) निदेशकों की नियुक्ति एवं संरचना से संबन्धित सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन, 2010 पर मार्गदर्शन।

4. मैंने मंडल के निदेशकों की बैठकों तथा आम बैठकों पर भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी एसएस-1 तथा एसएस-2 नामक सचिवालय मानकों के अन्वयक खंडों के अनुपालन की जांच की है।

5. मैंने कंपनी पर लागू होनेवाले वित्तीय कानून, जैसे प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर के अनुपालन की परीक्षा नहीं की है, क्योंकि यह सांविधिक वित्तीय लेखा परीक्षकों एवं अन्य संबन्धित पदाधिकारियों की समीक्षा के विषय हैं।

6. समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने उक्त उद्धृत अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देशों के सभी प्रावधानों आदि का निम्नलिखित पैरा 8 में दी गई शर्तों के अनुपालन में किया है।

7. पैरा 8 में उल्लिखित अर्हताओं के संदर्भ में मैं निम्नानुसार रिपोर्ट करता हूँ : -

7.1 आगे रिपोर्ट किया जाता है कि -

(अ) वर्ष के दौरान मंडल एवं समिति की बैठकों हेतु समुचित अग्रिम सूचनाएँ निदेशकों को जारी की गई थीं ; ऐसी सूचनाओं के साथ कार्यसूची मदों तथा संबन्धित बैठकों के कार्यवृत्तों के मसौदे आदि भी उन्हें भेजे गए थे; कंपनी निदेशकों के लिए बैठकों से पूर्व बैठक की कार्यसूची मदों की जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए तथा बैठकों उनके सार्थक प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु एक व्यवस्था अपनाती है। बैठकों में सदस्यों की असहमतियों, यदि कोई हो, को ग्रहण किया जाता है तथा उन्हें कार्यवृत्त के अंश के रूप में रिकार्ड करते हुए कंपनी के अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं।

(आ) कंपनी ने सदस्यों तथा निदेशकों की बैठकों के संचालन एवं आयोजन में समुचित बोर्ड प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है; कंपनी ने सदस्यों की बैठकों की कार्यवाही, बोर्ड एवं समिति के निदेशकों की बैठकों की सारा, ई-वोटिंग के द्वारा पारित प्रस्तावों, यदि कोई हो, को अभिलेखित करने हेतु समुचित कार्यवृत्त रखे हैं, इसका पूरा विवरण आम बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाता है।

(इ) मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी रखने और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के साथ कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

7.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन को अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया जाता है।

7.3 निम्नप्रकार की कोई घटना नहीं घटी है:

(i) शेयरों या डिबेंचरों या स्वेट इक्विटी के सार्वजनिक और अधिमान्य निर्गम;

(ii) प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद मोचन;

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 के अनुसरण में सदस्यों द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय;

(iv) विलेयन, समामेलन, पुनर्निर्माण, आदि;

(v) विदेशी तकनीकी सहयोग ।

8. अर्हताए:

8.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर भारत सरकार के दिशानिर्देश, 2010 का अनुपालन नहीं किया, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित लगातार बोर्ड की बैठकों में दो अवसरों पर तीन महीने के बीच का अंतराल इससे अधिक था।

8.2 वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने रिक्ति नहीं भरी और एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की। अत:, कंपनी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर भारत सरकार के दिशानिर्देश, 2010 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत आवश्यक स्वतंत्र निदेशक के रूप में बोर्ड के कम से कम एक तिहाई सदस्यों को रखने की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकी।

8.3 कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर भारत सरकार के दिशानिर्देश, 2010 द्वारा अनिवार्य चार के स्थान पर लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकें आयोजित कीं। इसके अलावा, दो स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, कंपनी वैध रूप से लेखापरीक्षा समिति तथा नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन, बैठकों का आयोजन और संचालन नहीं कर सकी।

स्थान : बेंगलूर
तारीख : 5 सितंबर, 2023
यूडीआईएन नं. F003000E000939012
सहकर्मी समीक्षा विशिष्ट आईडी नं. I2014KR1122000

के एन नागेश राव
व्यवसायी कंपनी सचिव
एफ़सीएस 3000 सीपी 12681

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध

कर्नाटक एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के सदस्यों को,

इस पत्र के साथ समदिनांक सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट को पढ़ा जाना है।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव और कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है कि इन सचिवीय अभिलेखों पर और मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर अनुपालन पर अपनी राय व्यक्त करना है।
2. मैंने सचिवीय अभिलेखों की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। मेरा मानना है कि मैंने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे मेरी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. मैंने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और बहीखातों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां भी आवश्यक हो, मैंने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन के साथ-साथ घटनाओं पर प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन नहीं है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के व्यवहार का संचालन किया है।

स्थान : बेंगलूर
तारीख : 5 सितंबर, 2023
यूडीआईएन नं. F003000E000939012
सहकर्मी समीक्षा विशिष्ट आईडी नं. I2014KR1122000

के एन नागेश राव
व्यवसायी कंपनी सचिव
एफ़सीएस 3000 सीपी 12681

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)
डी जी ए सी आर भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002
DGACR Building, Indraprastha Estate, New Delhi-110 002

No. CAW/1-27/KAPL/2023-24/ 130-131 Date: 31.08.2023

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड,
अर्का-व्यापार केंद्र, प्लॉट न 37,
साइट न. 34/4, एन.टी.टी.एफ. मेन रोड,
पीन्या औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा चरण,
बैंगलोर-560058

विषय: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 (6)(b) के अंतर्गत **कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड** के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां।

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत **कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड** के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर "Non Review Certificate" भेजा जा रहा है।

इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 31.08.23

निदेशक (CAW)

संलग्न: यथोपरि

Ph. : 91-11-23702422
Fax : 91-11-23702271
E-mail : dgace@cag.gov.in
Website : https://cag.gov.in/cen/new-delhi-iii/ten

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स् कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बेंगलूरु के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स् **कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड,** बेंगलूरु के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार किए गए हैं तथा इसके लिए कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक इन वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित मानकों के अनुसरण में अधिनियम की धारा 143 के अधीन स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा अपनी 18 जुलाई 2023 दिनांकित संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से,अधिनियम 143(6)(क) के अधीन मेसर्स् **कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड,** बेंगलूरु के दि.31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के अनुपूरक लेखा परीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
तथा उनकी ओर से

(राजीव कुमार पांडे)
लेखा परीक्षा के महानिदेशक
(केन्द्रीय व्यय)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 31.08.2023

(रुपए लाखों में)

विवरण	टिप्पण नं.	यथा 31 मार्च 2023 को	यथा 31 मार्च 2022 को
परिसंपत्तियाँ			
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	2A	7688.24	7759.45
(ख) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	2A	3.15	-
(ग) प्रगतिशील पूंजी कार्य	2B	923.94	33.90
(घ) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	37	995.14	308.51
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
- ऋण	3	0.02	0.06
- अन्य	4	419.35	425.70
(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	5	–	89.93
(छ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	6	2765.56	54.95
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		12795.40	**8672.50**
चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) वस्तुसूचियाँ	7	7262.01	8239.67
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
- प्राप्य व्यापार	8	12312.07	14839.19
- नकद एवं नकद समतुल्य	9	1478.26	1164.63
- उपर्युक्त के इतर बैंक में शेष	10	4788.02	3325.48
- ऋण	11	98.33	112.29
- अन्य	12	208.08	165.44
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	13	217.41	265.10
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	14	1887.20	1950.31
कुल चालू परिसंपत्तियाँ		**28251.38**	**30062.11**
कुल परिसंपत्तियाँ		**41046.78**	**38734.61**

(रुपए लाखों में)

विवरण	टिप्पण नं.	यथा 31 मार्च 2023 को	यथा 31 मार्च 2022 को
इक्विटी एवं देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	15	1349.00	1349.00
(ख) अन्य इक्विटी	16	24644.28	22559.68
कुल इक्विटी		**25993.28**	**23908.68**
देयताएं			
गैर-चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
- उधार	17	-	75.00
- पट्टा देयताएँ	37	554.37	225.04
(ख) प्रावधान	18	512.96	686.83
(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	5	27.73	-
कुल गैर-चालू देयताएं		**1095.06**	**986.87**
चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
- उधार	19	75.68	300.68
- व्यापार देनदारियाँ	20		
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय		2420.65	2647.00
(ii) अन्यों को देय		7144.67	6211.86
- पट्टा देयताएँ	37	68.25	83.72
- अन्य वित्तीय देयताएँ	21	794.42	714.06
(ख) अन्य चालू देयताएँ	22	3069.12	3373.01
(ग) प्रावधान	23	385.65	508.73
कुल चालू देयताएं		**13958.44**	**13839.06**
कुल इक्विटी एवं देयताएं		**41046.78**	**38734.61**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और तत्संबंधी नं.1 से 50 की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

यह समदिनांक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में
संदर्भित तुलन पत्र है
कृते योगानन्ध राम एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन : 005157एस/एस200052

मनोज कुमार जैन
भागीदार
सदस्यता सं.218610

तारीख : 18 जुलाई 2023
स्थान : बेंगलूरु

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से
कर्नाटक एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
सीआईएन: U24231KA1981GOI004145

सुनिल कुमार कैमाल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 0008528088

डॉ. मधुचंदा कर
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन: 09519016

जगदीश सी
उप महाप्रबंधक - वित्त

सुप्रिया कुल्कर्णी
कंपनी सचिव

(रुपए लाखों में)

विवरण	टिप्पण नं.	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
राजस्व:			
I. परिचालनों से राजस्व	24	52889.66	47532.24
II. अन्य आय	25	749.68	392.16
III. कुल आय (I + II)		**53639.34**	**47924.40**
IV. व्यय:			
उपभोज्य सामग्रियों की लागत	26	22973.60	21796.53
व्यापार में स्टॉक का क्रय		6326.02	5001.08
निर्मित माल, प्रगतिशील कार्य और एवं व्यापार में स्टॉक में परिवर्तन	27	(377.13)	(602.65)
कर्मचारी लाभ व्यय	28	8049.24	7208.28
वित्तीय लागत	29	587.88	107.42
मूल्यह्रास एवं ऋणमुक्ति व्यय	30	757.19	813.95
अन्य व्यय	31	11897.14	10348.17
कुल व्यय (IV)		**50213.94**	**44672.78**
V. असाधारण वस्तुओं और कर पूर्व लाभ (III-IV)		3425.40	3251.62
VI. असाधारण वस्तु		–	–
VII. कर पूर्व लाभ (V - VI)		**3425.40**	**3251.62**
VIII. कर संबंधी व्यय:			
क) चालू कर		876.47	953.18
ख) आस्थगित कर		117.49	(167.14)
ग) पूर्व वर्षों के लिए कर समायोजन		(57.35)	(0.24)
कुल कर संबंधी व्यय		936.61	785.80
IX. वर्ष के लिए लाभ (VII-VIII)		**2488.79**	**2465.82**

(रुपए लाखों में)

विवरण	टिप्पण नं.	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
X. अन्य व्यापक आय	32		
क (i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे		0.68	(65.76)
(ii) उन मद से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(0.17)	16.55
		0.51	**(49.21)**
XI. वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (IX + X)		**2489.30**	**2416.61**
XII. प्रत्येक रु.100/– के प्रति इक्विटी शेयर अर्जन			
मूल और तनुकृत	36	184.49	182.79

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और तत्संबंधी नं.1 से 50 की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग हैं।

यह समदिनांक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में
संदर्भित लाभ व हानि विवरण है
कृते योगानन्ध राम एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन : 005157एस/एस200052

मनोज कुमार जैन
भागीदार
सदस्यता सं.218610

तारीख : 18 जुलाई 2023
स्थान : बेंगलूरु

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से
कर्नाटक एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
सीआईएन: U24231KA1981GOI004145

सुनिल कुमार कैमाल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 0008528088

डॉ. मधुचंदा कर
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन: 09519016

जगदीश सी
उप महाप्रबंधक – वित्त

सुप्रिया कुल्कर्णी
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ	3425.40	3251.62
गैर नकद और गैर परिचालन मदों के लिए समायोजन:		
मूल्यह्रास और परिशोधन	757.19	813.95
पट्टा पुनर्मापन शुल्क	37.29	0.00
पट्टे पर ब्याज	20.88	25.38
बैंकों से प्राप्त ब्याज	(212.41)	(219.98)
अलग से विचार किया गया ब्याज व्यय	25.14	64.35
अंकुर मामले पर ब्याज का प्रावधान	509.78	0.00
अतिरिक्त प्रावधान वापस किया गया	(38.14)	(2.24)
आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	0.00	178.31
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	143.33	149.31
धीमी गति चालू/गैर-चालू मालसूची के लिए प्रावधान/(वापस ले लिया)	29.92	12.59
अवास्तविक विदेशी मुद्रा हानि (लाभ)	(10.25)	(4.25)
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से हानि (लाभ)	(4.95)	2.40
विविध क्रेडिट शेष वापस लिखे गए	(340.70)	(0.32)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ:	**4342.48**	**4271.12**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन		
मालसूचियों में कमी / (वृद्धि)	947.74	(1954.14)
प्राप्य व्यापार और अन्य प्राप्य में कमी / (वृद्धि)	631.09	(7361.70)
व्यापार देनदारियों और अन्य देयताओं में (कमी) /वृद्धि	55.55	3290.86
परिचालनों से उत्पन्न नकद	**5,976.86**	**(1,753.86)**
प्रदत्त आयकर	(771.49)	(863.52)
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकद	**5,205.37**	**(2,617.38)**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
पीपीई, प्रगतिशील पूंजी कार्य, पूंजी अग्रिम की खरीद	(2464.18)	(602.79)
पीपीई की बिक्री से अभिगम	9.17	39.53
प्राप्त सरकारी अनुदान		
बैंकों से प्राप्त ब्याज	212.41	219.98
निवेश गतिविधियों से निवल नकद	**(2242.60)**	**(343.28)**

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
प्रदत्त ब्याज	(25.14)	(64.35)
दीर्घावधि उधार का पुनर्भुगतान	(75.00)	(300.00)
अल्पावधि उधार में वृद्धि / (कमी)	(225.00)	0.68
पट्टे पर दी गई भूमि के लिए पंजीकरण शुल्क	(350.15)	(2.59)
पट्टा देनदारियों का भुगतान	(52.23)	(51.28)
पट्टे पर ब्याज	(54.38)	(25.38)
इक्विटी शेयरों पर प्रदत्त लाभांश	(404.70)	(404.70)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद	**(1186.60)**	**(847.62)**
घ. नकद एवं नकद समतुल्य में निवल बदलाव (क+ख+ग)	**1,776.17**	**(3,808.28)**
वर्ष के प्रारम्भ में नकद एवं नकद समतुल्य	4490.11	8298.39
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य	6266.28	4490.11
तुलन पत्र में नकद और नकद समतुल्य का मिलान		
तुलन पत्र के अनुसार नकद और नकद समतुल्य	1,478.26	1,164.63
जोड़ें : इंड एएस 7 नकद प्रवाह विवरणी में परिभाषित अनुसार नकद एवं नकद समतुल्य के अनुसार माना न गया बैंक शेष	4,788.02	3,325.48
निवल नकद और नकद समतुल्य	**6,266.28**	**4,490.11**
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य में शामिल (टिप्पणी सं.9 तथा 10 भी देखें)		
क) हाथ में नकद	0.34	0.50
ख) नकद क्रेडिट में	910.70	473.87
ग) सावधि जमा खाते में	4,987.47	3,890.16
घ) सावधि जमा खाते में – मार्जिन राशि	367.77	125.58

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और तत्संबंधी नं.1 से 50 की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग हैं।

यह समदिनांक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संदर्भित नकदी प्रवाह विवरण है
कृते योगानन्ध राम एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन : 005157एस/एस200052

मनोज कुमार जैन
भागीदार
सदस्यता सं.218610

तारीख : 18 जुलाई 2023
स्थान : बेंगलूरु

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से
कर्नाटक एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
सीआईएन: U24231KA1981GOI004145

सुनिल कुमार कैमाल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 0008528088

डॉ. मधुचंदा कर
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन: 09519016

जगदीश सी
उप महाप्रबंधक – वित्त

सुप्रिया कुल्कर्णी
कंपनी सचिव

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार		31 मार्च 2022 के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
रु.100/- के अंकित मूल्य में जारी एवं अभिदा तथा पूर्ण रूप में प्रदत्त इक्विटी शेयर वर्ष की शुरुआत में शेष	1349000	1349.00	1349000	1349.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-	-	-
अवधि के अंत में शेष	**1349000**	**1349.00**	**1349000**	**1349.00**

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	आरक्षित और अधिशेष					कुल अन्य इक्विटी
	प्रतिधारित अर्जन	अन्य आरक्षित				
	लाभ और हानि विवरण के अनुसार अधिशेष	सामान्य आरक्षित	सीएसआर निधि आरक्षित	संपोषणीय विकास निधि आरक्षित	अन्य व्यापक आय	
1 अप्रैल 2022 को शेष राशि	392.79	22176.51			(9.62)	22559.68
वर्ष के लिए लाभ	2488.79					2488.79
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (टिप्पणी 32 देखें)					0.51	0.51
कुल व्यापक आय	2488.79				0.51	2489.30
सामान्य आरक्षित को अंतरित	(2,000.00)	2000.00				
अंतिम लाभांश	(404.70)					404.70
31 मार्च 2023 को शेष राशि	**476.88**	**24176.51**			**(9.11)**	**24644.28**

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	आरक्षित और अधिशेष					कुल अन्य इक्विटी
	प्रतिधारित अर्जन	अन्य आरक्षित				
	लाभ और हानि विवरण के अनुसार अधिशेष	सामान्य आरक्षित	सीएसआर निधि आरक्षित	संपोषणीय विकास निधि आरक्षित	अन्य व्यापक आय	
1 अप्रैल 2021 को शेष राशि	331.67	20066.94	92.91	16.66	39.59	20547.77
वर्ष के लिए लाभ	2465.82					2465.82
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (टिप्पणी 32 देखें)					(49.21)	(49.21)
कुल व्यापक आय	2465.82				(49.21)	2416.61
सामान्य आरक्षित को अंतरित	(2,000.00)	2109.57	(92.91)	(16.66)		0.00
अंतिम लाभांश	404.70					404.70
31 मार्च 2022 को शेष राशि	**392.69**	**22176.51**	**-**	**-**	**(9.62)**	**22559.68**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और तत्संबंधी नं.1 से 50 की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग हैं।

यह समदिनांक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संदर्भित इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरण है
कृते योगानन्ध राम एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन : 005157एस/एस200052
मनोज कुमार जैन
भागीदार
सदस्यता सं.218610

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से
कर्नाटक एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
सीआईएन: U24231KA1981GOI004145

सुनिल कुमार कैमाल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 0008528088

डॉ. मधुचंदा कर
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन: 09519016

जगदीश सी
उप महाप्रबंधक - वित्त

सुप्रिया कुलकर्णी
कंपनी सचिव

तारीख : 18 जुलाई 2023
स्थान : बेंगलूरु

विहंगावलोकन तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नितियाँ

1.1 कंपनी का एक विहंगावलोकन:

कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ('केएपीएल') भारत में अधिवासित एक सरकारी कंपनी है और इसे सीआईएन नं. U24231KA1981GOI004145 के साथ भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निगमित किया गया है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अरका दि बिज़नस सेंटर, प्लॉट नं.37, साइट नं.34/4, एनटीटीएफ़ प्रधान मार्ग, द्वितीय चरण, पीण्या औद्योगिक क्षेत्र, बेंगलूरु – 560058 पर स्थित है। कंपनी एक मिनी रत्न श्रेणी – ख सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और भारत सरकार के रसायन मंत्रालय के औषधि विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है।

केएपीएल वर्ष 1981 में स्थापित है, जो प्रधान रूप में विभिन्न जीवन रक्षक और आवश्यक औषधियों के विनिर्माण और विपणन के व्यवसाय में लगा हुआ है। कंपनी ने ड्राइ पाउडर वॉयल्स, तरल पैरेंटल्स, गोलियाँ, कैप्सूल्स आदि के विनिर्माण के लिए वर्ष 1984 के दौरान बेंगलूरु में स्थित अपने विनिर्माण संयंत्र में अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया। 18 जुलाई, 2023 को निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अधिकृत हैं।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ:

1.2 वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

उक्त वित्तीय विवरणों को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015, यथासंशोधित, के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरणों को संबंधित भारतीय लेखांकन मानक द्वारा निम्नलिखित भौतिक वस्तुओं को छोड़कर अपेक्षित उचित मूल्य पर मापी गई लेखांकन के आकस्मिक आधार पर ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत तैयार किया गया है:

- कुछ वित्तीय साधन (टिप्पणी 1.17 का संदर्भ लें)
- परिभाषित लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ (टिप्पणी 1.8 का संदर्भ लें).

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए में प्रस्तुत किया जाता है और सभी मूल्यों को निकटतम लाख में पूर्णांक किया जाता है, सिवाय जहां संकेत दिया गया हो।

1.3 अनुमानों का उपयोग:

वित्तीय विवरण की तैयारी में भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप प्रबंधन को परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रभावित करनेवाली राशि के संबंध में और आकस्मिक परिसंपत्तियों और देनदारियों का प्रकटीकरण करने तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा को वित्तीय विवरण की तारीख में अनुमानों, निर्णयों तथा धारणाओं को बनाने की आवश्यकता होती है। वास्तविक परिणाम अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान और भविष्य की अवधि में संभावित रूप से पहचाना जाता है।

1.4 राजस्व मान्यता:

- बिक्री से प्राप्त राजस्व को पहचाना जाता है जब ग्राहक बिक्री अनुबंध के संदर्भ में माल का नियंत्रण प्राप्त करता है और ऋण लाइसेंस रूपांतरण अनुबंध के मामले में, जब रूपांतरण अनुबंध के तहत माल का नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है। तदनुसार,

  i) ''एफ़.ओ.आर. गंतव्य स्थान'' बिक्री अनुबंधों के मामले में, जहां ग्राहक से पावती/वितरण का प्रमाण पत्र हाथ में उपलब्ध नहीं है, बिक्री को गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए प्रेषित माल के लिए अनुमानित औसत समय के आधार पर मान्यता प्राप्त है। वित्तीय वर्ष के अंत में बिक्री लेनदेन के संबंध में, ग्राहकों से पावती द्वारा प्राप्त वास्तविक डिलीवरी/वितरण के प्रमाण पत्र को भी माना जाता है।

  ii) ''एफओबी'' बिक्री अनुबंधों के मामले में, सवार माल के लदान की तारीख के आधार पर बिक्री को मान्यता दी जाती है।

  iii) बिक्री वापसी को बिक्री वापसी वर्ष में हिसाब रखा जाता है।

  iv) बिक्री को निवल वापसी, जीएसटी और लागू व्यापार छूट और भत्ते पर कथित किया जाता है।

  v) माल की बिक्री के मामले में, बिक्री को अंतिम ग्राहक द्वारा उत्पाद के नियंत्रण प्राप्त करने पर मान्यता दी जाती है।

- ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि (ईआईआर) का उपयोग करके पहचाना जाता है। ईआईआर वह दर है जो वित्तीय साधन की अपेक्षित उपयोगी जीवन पर अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को छूट देता है या जहां वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि के लिए उचित अवधि होती है।

1.5 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

- पीपीई को अधिग्रहण या निर्माण कम संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, की लागत पर किया जाता है। यदि पूंजीकरण मानदंड पूरे किए जाते हैं और अपेक्षित उपयोग के लिए परिसंपत्ति को उसकी कार्यशील स्थिति में लाने के लिए सीधे अन्य जिम्मेदार लागत हो लागत में खरीद मूल्य, गैर-वापसी योग्य कर और शुल्क, उधार लागत का समावेश होता है।
- निर्माण अवधि के दौरान परियोजना के लिए पहचाने जाने वाले सभी प्रत्यक्ष व्यय पूंजीकृत हैं। परियोजना गतिविधियों के संबंध में जो उत्पादन के साथ समवर्ती रूप से किए जाते हैं, प्रशासन और पर्यवेक्षण पर व्यय (उत्पादन और निर्माण के बीच का पता लगाने योग्य नहीं है) राजस्व के लिए शुल्क लिया जाता है।
- पीपीई पर मूल्यह्रास सीधी रेखा विधि पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खख के भाग ग के तहत निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर प्रदान किया जाता है, केवल कुछ उपयोग की गई परिसंपत्तियों के मामले में, जिनके लिए तकनीकी सलाह के आधार पर उपयोगी जीवन का निर्धारण किया गया है। मूल्यह्रास की गणना संस्थापन की तिथि से यथानुपात आधार पर की जाती है जब तक कि परिसंपत्ति बेची नहीं जाती है या अन्यथा निपटाई जाती है।
- खरीद के वर्ष में व्यक्तिगत रूप से रु.10,000/- या उससे कम की परिसंपत्तियाँ पूरी तरह से मूल्यह्रास हैं।
- मूल्यह्रास की गणना संस्थापन की तिथि से लेकर जब तक कि परिसंपत्ति बेची नहीं जाती है या अन्यथा निपटाई जाती है तब तक की जाती है। जहां पीपीई की किसी वस्तु की लागत महत्वपूर्ण होती है और उसके अलग-अलग उपयोगी जीवन होते हैं, उन्हें अलग-अलग घटकों के रूप में माना जाता है और उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर अवमूल्यन किया जाता है।
- प्रगतिशील पूंजी कार्य में पीपीई की लागत शामिल होती है जो रिपोर्टिंग तिथि पर उनके इच्छित उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं। तुलनपत्र की तारीख के अनुसार पीपीई के अधिग्रहण की दिशा में अग्रिम भुगतान को अन्य अप्रचलित परिसंपत्तियाँ के अधीन प्रकट किया जाता है।
- किसी परिसंपत्ति की मान्यता से उत्पन्न कोई लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

1.6 सरकारी अनुदान

क. सरकारी अनुदानों को तभी मान्यता दी जाती है तब यह एक उचित आश्वासन हो कि उनसे जुड़ी शर्तों का पालन किया जाएगा और अनुदान प्राप्त किया जाएगा।

ख. राजस्व से संबंधित सरकारी अनुदानों को लाभ और हानि के विवरण से व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है।

ग. परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को परिसंपत्तियों के वहन मूल्य की गणना करते समय अनुदान की कटौती करके मान्यता दी जाती है।

1.7 मालसूचियों का मूल्यांकन

क. कच्चे माल को कम लागत में किया जाता है और निवल वसूली योग्य मूल्य होता है। निर्मित माल के उत्पादन में उपयोग के लिए रखी गई सामग्री को लागत से नीचे नहीं लिखा गया है यदि तैयार उत्पाद जिसमें उन्हें शामिल किया जाएगा, तो उन्हें लागत या उससे अधिक कीमत पर बेचे जाने की उम्मीद है। लागत का निर्धारण फर्स्ट-इन-फर्स्ट आउट आधार पर किया जाता है। लागत में कर, शुल्क और माल ढुलाई और यह माल और सेवा कर (जीएसटी) का निवल शामिल हैं। अप्रचलित के रूप में पहचाने जाने वाले कच्चे माल के लिए प्रावधान किए जाते हैं।

ख. प्रगतिशील कार्य को न्यून लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। लागत सामग्री लागत और प्रत्यक्ष श्रम का नियत प्रतिशत और उचित निश्चित और परिवर्तनीय उत्पादन ओवरहेड्स का प्रतिनिधित्व करती है।

ग. निर्मित माल को न्यून लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। लागत सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और उचित निश्चित और चर उत्पादन ओवरहेड्स का प्रतिनिधित्व करती है।

घ. इकाई मूल्य रु.5000/- और उससे अधिक के पुर्जों और औजारों के स्टॉक को (भौतिकता पर आधारित) भूमि की कीमत पर मूल्यांकित किया जाता है और वर्ष के अंत में इसकी गणना की जाती है।

ङ. डॉक्टरों के सैंपल के शेष माल की कीमत शून्य लगाई गई है। डॉक्टरी सैंपल की कीमत को उपभोक्ता माल के अंतर्गत सम्मिलित/खाते में जमा किया गया है।

1.8 कर्मचारी लाभ:

क) परिभाषित अंशदान योजना: कंपनी की ओर से परिभाषित अंशदान योजनाओं के लिए वर्ष के लिए प्रदत्त/देय, जैसे कि मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के लिए देय अंशदान का लाभ और हानि विवरण में प्रोद्भवन आधार पर प्रभारित किया जाता है। कंपनी के मासिक योगदान से परे इस योजना के तहत कोई और दायित्व नहीं है।

ख) परिभाषित हितलाभ योजना: उपदान और दीर्घकालिक लाभ जैसे कि अवकाश और बीमारी लाभ, जो परिभाषित लाभ हैं, एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए तुलनपत्र की तिथि में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अर्जित किया जाता है। पुनर्मापन, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानि शामिल हैं, को तुरंत तुलनपत्र में एक समान डेबिट या क्रेडिट के साथ मान्यता प्राप्त है जिसे अन्य व्यापक आय के माध्यम से कमाई की अवधि में मान्यता प्राप्त है। बाद के समय में लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है।

वित्त पोषित योजनाओं के मामले में, निवल आधार पर दायित्व को पहचानने के लिए परिभाषित लाभ योजना के तहत योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य सकल दायित्वों से कम हो जाता है।

ग) अल्पावधि कर्मचारी लाभ: अन्य अल्पकालिक लाभों के संबंध में व्यय, उस अवधि के लिए भुगतान की गई राशि या देय राशि के आधार पर पहचाना जाता है, जिसके दौरान कर्मचारी सेवा प्रदान करता है।

घ) सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना: भारत सरकार के आदेशों के अनुसरण में, कंपनी ने दि.01.01.2017 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों या कर्मचारियों के जावनसाथी (कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु होने के मामले में) के ल्रिए केएपीएल सेवा निवृत्ति उपरांत बीमा योजना नामक एक योजना प्रारम्भ की है। आदेश के अनुसार, अधिकतम अंशदान कर पूर्व लाभ का 1.50% है। तदनुसार, कंपनी लाभप्रदता के आधार पर प्रत्येक वर्ष प्रदान कर रही है।

1.9 विदेशी मुद्रा लेनदेन

- **प्रारम्भिक पहचान:**

प्रारंभिक मान्यता पर, कंपनी द्वारा दर्ज की गई विदेशी मुद्राओं में लेनदेन कार्यात्मक मुद्रा (यानी भारतीय रुपए) में दर्ज किए जाते हैं, विदेशी मुद्रा राशि, जो लेनदेन की तिथि में कार्यात्मक मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच स्पॉट विनिमय दर को लागू करना है। वर्ष के दौरान बसे विदेशी मुद्रा लेनदेन पर होने वाले विनिमय अंतर को लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त है।

- **रिपोर्टिंग तिथि पर विदेशी मुद्रा वस्तुओं का मापन:**

कंपनी की विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं को बंद विनिमय दरों पर अंतरित किया जाता है। इन लेन-देन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त है।

गैर-मौद्रिक मद, जो विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है, लेनदेन की तिथि में विनिमय दर का उपयोग करके अंतरित किया जाता है।

1.10 कराधान

आयकर व्यय में चालू कर (यानी लागू आयकर कानून के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर की राशि) और आस्थगित कर प्रभार या ऋण (वर्ष के लिए कर लेखा योग्य आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर के कर प्रभाव को दर्शाता है) शामिल है। लाभ और हानि के बाहर मान्यता दी गई वस्तुओं से संबंधित वर्तमान आयकर और आस्थगित करों को लाभ या हानि (या तो अन्य व्यापक आय या इक्विटी में) के बाहर मान्यता प्राप्त है।

आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट और संबंधित आस्थगित कर देनदारियों या परिसंपत्तियों को कर की दरों का उपयोग करके मान्यता प्राप्त है जो अधिनियमित किया गया है या तुलनपत्र की तारीख से अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस हद तक पहचाना जाता है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होना संभावित है, जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर नुकसान को आगे बढ़ाया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि अब यह सम्भावना नहीं रह जाती है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किया जाता है और उन्हें इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित हो जाता है कि भविष्य में कर योग्य लाभ से आस्थगित कर संपत्ति को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी।

कंपनी चालू (वर्ष दर वर्ष के आधार पर) और आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को समाप्त करती है, जहां यह कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है और समान कराधान प्राधिकरण से संबंधित आस्थगित कर हैं।

1.11 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना वर्ष के लिए इक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के उपरांत निवल लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है।

प्रति शेयर कम किया हुआ आय की गणना के उद्देश्य के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के लिए वर्ष के लिए निवल लाभ या हानि और वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके सभी पतला संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

1.12 प्रावधान और आकस्मिकताएँ

कंपनी एक प्रावधान बनाती है जब एक अतीत की घटना के परिणामस्वरूप एक वर्तमान दायित्व होता है जिसे संभवतः संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होती है और एक विश्वसनीय अनुमान दायित्व की राशि से बनाया जा सकता है। आकस्मिक दायित्व के लिए प्रकटीकरण तब किया जाता है जब एक संभावित दायित्व या एक वर्तमान दायित्व होता है, लेकिन संभवतः संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता नहीं होगी या जिसे मज़बूती से मापा नहीं जा सकता है। जहां अतीत के दायित्व या वर्तमान दायित्व होते हैं जिनके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ होती है, कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण तब किया जाता है जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है।

1.13 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

कंपनी प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख का आकलन करती है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि परिसंपत्ति की हानि हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। यदि परिसंपत्ति की ऐसी वसूली योग्य राशि या नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि, जो परिसंपत्ति से संबंधित वहन राशि से कम है, तो वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि तक कम हो जाती है। कमी को क्षति हानि के रूप में माना जाता है और लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। यदि तुलन पत्र की तिथि में संकेत है कि यदि पहले से मूल्यांकन की गई क्षति हानि मौजूद नहीं है, तो पुनर्प्राप्त करने योग्य राशि फिर से दी गई है और परिसंपत्ति पुनर्प्राप्त करने योग्य राशि पर परिलक्षित ऐतिहासिक लागत की अधिकतम परिलक्षित होती है।

1.14 पट्टे

पट्टेदार के रूप में:

एक पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। अनुबंध एक पट्टा है, या इसमें शामिल है, यदि अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को विचार के बदले में समय की अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह निर्धारित करना कि क्या कोई व्यवस्था पट्टा है (या इसमें शामिल है) पट्टे की शुरुआत में व्यवस्था के सार पर आधारित है। यदि व्यवस्था की पूर्ति एक विशिष्ट परिसंपत्तियों या संपत्तियों के उपयोग पर निर्भर है और व्यवस्था परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार प्रकट करती है, तो व्यवस्था एक पट्टा है, या इसमें शामिल है, भले ही वह अधिकार किसी व्यवस्था में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट न हो।

पट्टा प्रारंभ होने की तिथि पर, कंपनी उपयोग के अधिकार (आरओयू) वाली परिसंपत्ति को और बारह महीने या उससे कम (अल्पकालिक पट्टों) और कम मूल्य के पट्टों की अवधि वाले पट्टों को छोड़कर, सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए एक समान पट्टा देयता जिसमें यह एक पट्टेदार है, को मान्यता देती है। इन अल्पकालिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए, कंपनी पट्टे के भुगतान को एक व्यय के रूप में मान्यता देती है। उपयोग के अधिकार की परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टे की प्रारंभ होने की तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है और साथ ही किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को घटाकर किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को शामिल किया जाता है। बाद में उन्हें लागत कम संचित मूल्यह्रास और क्षति हानियों पर मापा जाता है।

उपयोग के अधिकार (आरओयू) वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से पट्टे की अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर एक सीधी रेखा की पद्धति को अपनाकर किया जाता है। पट्टे की देयता को प्रारंभ में भविष्य के पट्टे के भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या, यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इन पट्टों के अधिवास के देश में वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है। पट्टे की देयताओं को संबंधित परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार के अनुरूप समायोजन के साथ पुनः मापा जाता है यदि कंपनी अपने आकलन में बदलाव करती है कि चाहे वह विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी। पट्टा देयता और आरओयू परिसंपत्ति को अलग-अलग तुलन पत्र में प्रस्तुत किया गया है और पट्टे के भुगतान को नकदी प्रवाह के वित्तपोषण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

1.15 नकद एवं नकद समतुल्य

नकद में हाथ पर उपलब्ध नकद और बैंकों के साथ मांग जमा राशि शामिल हैं। नकद समतुल्य में अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक शेष राशि अत्यधिक तरल निवेश जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में वारिवर्तनीय हैं और जो महत्वहीन के अधीन हैं, शामिल हैं।

1.16 नकदी प्रवाह विवरण

अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके नकदी प्रवाह की सूचना दी जाती है, जिससे कर पूर्व लाभ को गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन और पिछले या भविष्य के नकद प्राप्तियों या भुगतान के किसी भी अवहेलना या प्रोद्भवन के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के संचालन, वित्तपोषण और निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह अलग हो जाता है।

1.17 वित्तीय साधन

एक वित्तीय साधन कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और एक वित्तीय देयता या किसी अन्य इकाई के इक्विटी साधन को सृजित करता है। गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों में शामिल है:

- वित्तीय परिसंपत्तियाँ, जिसमें नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, कर्मचारी और अन्य अग्रिम और अर्ह चालू और अप्रचलित परिसंपत्तियाँ शामिल हैं; वित्तीय परिसंपत्तियों को तब विमान्यता की जाती है जब वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार हस्तांतरित किए जाते हैं। ऐसे मामलों में जहां वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार न तो हस्तांतरित किए जाते हैं और न ही बरकरार रखे जाते हैं, वित्तीय परिसंपत्तियों को तभी विमान्यता दी जाती है जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्तियों पर नियंत्रण बरकरार नहीं रखा हो।

- वित्तीय देनदारियां, जिनमें दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण और उधार, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्राप्य व्यापार, अर्ह चालू और अप्रचलित देनदारियां शामिल हैं।

प्रारंभिक मान्यता और मापन

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को पहचानती है जब यह उपकरण के अनुबंध प्रावधानों के लिए एक पार्टी बन जाती है। सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है, व्यापार रसीदों को छोड़कर जो लेनदेन मूल्य पर शुरू में मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं होने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण या मुद्दे के लिए सीधे जिम्मेदार हैं, जो लेनदेन लागत प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य में जोड़ दी जाती है।

अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय साधनों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

क) परिशोधन लागत पर की गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ
ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफ़वीटीओसीआई)
ग) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफ़वीटीपीएल)
घ) वित्तीय दायित्व

क) परिशोधन लागत पर की गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो वित्तीय परिसंपत्तियाँ अनुवर्ती में परिशोधन लागत पर मापी जाती हैं:

i) परिसंपत्ति को एक व्यावसायिक मॉडल के अंदर सम्पन्न किया जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करने के लिए संपत्ति रखना है, और

ii) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर सृजित करती हैं, जो मूल रूप से मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान मूल राशि पर बकाया है।

प्रारंभिक मापन के उपरांत, इस तरह की वित्तीय परिसंपत्तियों को अनुवर्ती में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफ़वीटीओसीआई)

वित्तीय परिसंपत्तियाँ एफ़वीटीओसीआई पर ले जाई जाती हैं, यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे किए जाते हैं:

i) व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य दोनों संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर हासिल किया जाता है; और
ii) परिसंपत्तियों की संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करती है।

इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां कंपनी ने अपने व्यापार मॉडल के आधार पर एक अपरिवर्तनीय चयन किया है, अपने निवेश के लिए जिन्हें इक्विटी उपकरणों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उचित मूल्य में बाद के बदलावों को अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है।

ग) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफ़वीटीपीएल)

एक वित्तीय परिसंपत्ति जो उपरोक्त श्रेणियों में से किसी में वर्गीकृत नहीं है, बाद में लाभ या हानि के माध्यम से उचित माना जाता है।

घ) वित्तीय दायित्व

वित्तीय देनदारियों को बाद में ईआईआर का उपयोग करके परिशोधन लागत पर किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार, कंपनी माप और क्षति हानि की मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है।

कंपनी क्षति हानि भत्ते की मान्यता के लिए निम्नलिखितों पर 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का अनुसरण करती है:

- व्यापार प्राप्य या अनुबंध राजस्व प्राप्य योग्य; तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में लेनदेन से उत्पन्न सभी पट्टे के प्राप्य योग्य

सरलीकृत दृष्टिकोण के आवेदन से कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रारंभिक रिपोर्टिंग से प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर जीवन भर ईसीएल के आधार पर क्षति हानि भत्ते को मान्यता देता है।

वित्तीय साधनों की विमान्यता

कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति की पहचान करती है, जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी के लिए संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाता है या यह वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित कर देता है और हस्तांतरण भारतीय लेखा मानक 109 के तहत अर्हता प्राप्त करता है। एक वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता का एक अंश) कंपनी के तुलनपत्र से पहचाना जाता है जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व को ख़ारिज किया जाता है या रद्द या समाप्त हो जाता है।

1.18 कृषि गतिविधि

कंपनी कृषि उपज को तभी मान्यता देती है, जब और केवल तभी, कि कंपनी पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों को नियंत्रित करती है, यदि यह संभव है कि ऐसी परिसंपत्तियों से जुड़े भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और मजबूती से परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को मापा जा सकता है।

एक जैविक परिसंपत्ति को प्रारम्भिक मान्यता के साथ – साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उसके उचित मूल्य पर बेचने की लागत को घटाकर मापा जाता है। एक इकाई की जैविक संपत्ति से काटे गए कृषि उत्पाद को फसल के बिन्दु पर बेचने के लिए उचित मूल्य को कम लागत पर मापा जा सकता है।

कृषि उत्पाद को बेचने के लिए कम लागत पर उचित मूल्य पर प्रारम्भिक मान्यता पर उत्पन्न होनेवाले लाभ या हानि को उस अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है जिसमें यह उत्पन्न होता है।

आज की तारीख में कंपनी के कदबगेरे भूमि में औषधीय पौधों की एक चोटी मी मात्रा विकसित कर रही है। एक बार राजस्व योगदान रु.10.00 लाख से अधिक हो जाने पर पहचानना शुरू कर देगी।

1.19 पुनर्वर्गीकरण / पुनर्समूहीकरण

तुलन पत्र तथा लाभ और हानि विवरण में कुछ मदों के प्रभाव के बारे में अधिक विश्वसनीय और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए, कंपनी ने कुछ मदों के वर्गीकरण को बदल दिया है। इस तरह के चालू वर्ष के समूहीकरण / वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहीकृत या पुनर्वर्गीकृत किया गया है। इन पुनर्वर्गीकरण / पुनर्समूहीकरण के कारण इक्विटी या निवल लाभ / (हानि) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

टिप्पणी 2क : संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

(अन्यथा उल्लेख न किया गया है, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	लागत या मान्य लागत				संचित मूल्यह्रास और परिशोधन				निवल मूल कीमत	
	1 अप्रैल 2022 पर	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान विचलन/ समायोजन	31 मार्च 2023 पर	1 अप्रैल 2022 पर	वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	वर्ष के दौरान विचलन	31 मार्च 2023 पर	31 मार्च 2023 पर	31 मार्च 2022 पर
मूर्त परिसंपत्तियां, स्वामित्ववाली										
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	493.48	0.00	0.00	493.48	0.00	0.00	-	0.00	493.48	493.48
भवन	3768.11	122.61	0.00	3890.72	659.35	154.45	-	813.80	3076.92	3108.76
संयंत्र और उपस्कर	6217.45	402.36	0.00	6619.81	2383.75	490.43	-	2874.18	3745.63	3833.70
फर्नीचर व फिक्सचर	345.79	23.13	0.00	368.92	121.72	36.00	-	157.72	211.20	224.07
कार्यालय उपकरण	53.28	14.20	0.00	67.48	27.66	10.59	-	38.25	29.23	25.62
कंप्यूटर	141.15	35.10	0.00	176.25	79.49	29.61	-	109.10	67.15	61.66
कैंटीन उपकरण	6.41	27.12	0.00	33.53	4.79	4.58	-	9.37	24.16	1.62
मोटर वाहन	24.40	39.47	18.40	45.47	13.86	5.32	14.18	5.00	40.47	10.54
उप कुल	11050.07	663.99	18.40	11695.66	3290.62	730.98	14.18	4007.42	7688.24	7759.45
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	0.00	3.31	0.00	3.31	0.00	0.16	-	0.16	3.15	0.00
उप कुल	0.00	3.31	0.00	3.31	0.00	0.16	0.00	0.16	3.15	0.00
प्रगतिशील पूंजी कार्य	33.90	890.04	0.00	923.94	0.00	0.00	-	0.00	923.94	33.90
उप कुल	33.90	890.04	0.00	923.94	0.00	0.00	-	0.00	923.94	33.90
कुल	11083.97	1557.34	18.40	12622.91	3290.62	731.14	14.18	4007.58	8615.33	7793.35
पिछले वर्ष	10497.62	809.51	223.16	11083.97	2545.72	759.83	14.93	3290.62	7793.35	

(वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी 46 से 47 का संदर्भ भी लें)

टिप्पणी : 1. धारवाड़ भूमि 26 गुंटा कम होने के कारण रु.34.94 लाख की राशि कम की गई, जो कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम से वसूली योग्य है।

2ख. प्रगतिशील पूंजी कार्य (सीडब्लयूआईपी) के उम्र बढ़ने की अनुसूची:

(अन्यथा उल्लेख न किया गया हे, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

प्रगतिशील पूंजी कार्य (सीडब्लयूआईपी) के उम्र बढ़ने की अनुसूची

31 मार्च 2023 के अनुसार	सीडब्लयूआईपी में अवधि के लिए राशि				कुल
	1 वर्ष के कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिशील परियोजना	890.04	33.90	–	–	923.94
अस्थाई रूप मे निलंबित परियोजना	–	–	–	–	–
कुल	890.04	33.90	0.00	0.00	923.94

31 मार्च 2022 के अनुसार	सीडब्लयूआईपी में अवधि के लिए राशि				कुल
	1 वर्ष के कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिशील परियोजना	33.90	–	–	–	33.90
अस्थाई रूप मे निलंबित परियोजना	–	–	–	–	–
कुल	33.90	0.00	0.00	0.00	33.90

टिप्पणी: 1. ऐसी कोई परियोजना नहीं है जो मूल योजनाओं की तुलना में अतिदेय प्रगतिशील पूँजी है।
2. ऐसी कोई परियोजना नहीं है जो मूल योजनाओं की तुलना में अपनी लागत से अधिक हो गई है।

(अन्यथा उल्लेख न किया गया हे, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

	विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
3	**गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ – ऋण** (परिशोधित लागत पर)		
	कर्मचारियों को अग्रिम	0.02	0.06
		0.02	**0.06**
4	**गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ – अन्य** (परिशोधित लागत पर)		
	सरकारी विभागों के साथ जमा राशि	150.71	123.32
	किराया जमा राशि	61.28	53.26
	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश	5.29	–
	सामूहिक अवकाश नकदीकरण योजना बीमा पॉलिसी – (प्रावधान का निवल)	202.07	249.12
		419.35	**425.70**
5	**आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ/(देयताएं) (निवल)** **आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ**		
	क) संदिग्ध ऋण, दावे आदि के प्रावधान	36.07	132.52
	ख) छुट्टी वेतन	175.34	126.01
	ग) उपदान	80.30	66.09
	घ) अन्य	161.98	235.35
		453.69	**559.97**
	आस्थगित कर देयताएं		
	क) स्थाई परिसंपत्तियाँ – मूल्य अंतर अवलेखन	481.42	470.04
		481.42	**470.04**
		(27.73)	**89.93**
6	**अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियाँ** (असुरक्षित, प्राप्य मान्य)		
	पूंजी अग्रिम	939.52	32.68
	पूर्वदत्त व्यय	66.04	22.27
	सावधि जमा निधि खाते में 12 महीनों से अधिक परिपक्वता के साथ	1760.00	–
		2765.56	**54.95**
7	**मालसूचियाँ** (कम लागत और निवल वसूलीय योग्य मूल्य पर)		
	केएपीएल में कच्चे माल	2684.11	3853.00
	ऋण लाइसेंस पार्टियों के पास कच्चे माल	29.33	13.12
	घटाएँ : अप्रचलन के लिए प्रावधान	(127.85)	(97.93)
		2585.59	**3768.19**

(अन्यथा उल्लेख न किया गया हे, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

	विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
	भंडार और पुर्जे	74.56	70.20
	प्रगतिशील कार्य	1177.84	528.66
	निर्मित माल	2107.01	2527.31
	व्यापार स्टॉक	730.84	557.71
	मार्गस्थ माल		
	कच्चा माल	74.25	242.26
	निर्मित माल	372.50	487.64
	व्यापार स्टॉक	139.42	57.70
		7262.01	**8239.67**
8	**प्राप्य व्यापार** (परिशोधित लागत पर)		
	क) प्राप्य व्यापार योग्य मान्य - सुरक्षित	481.16	94.90
	ख) प्राप्य व्यापार योग्य मान्य - असुरक्षित	11830.91	14744.29
	ग) प्राप्य व्यापार, जो क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि रखती है	669.89	526.55
	घटाएँ: प्राप्य व्यापार, जो क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि रखती है, के लिए प्रावधान	(669.89)	(526.55)
		12312.07	**14839.19**
8.1	विविध देनदार' में सरकारी संस्थाओं / निकायों से देय रु.8448.76 लाख (गतवर्ष रु.11547.23 लाख) शामिल है, जिसके संबंध में शेष राशि के पुष्टीकरण की प्रतीक्षा है।		
8.2	सरकारी संस्थानों/निकायों के अलावा अन्य प्राप्य व्यापार के लिए कंपनी द्वारा मांगी गई ऐसी प्राप्तियों के कुल रु.4250.94 लाख (पिछले वर्ष रु.3642.57 लाख) शेष राशि की पुष्टि की प्रतीक्षा है, उन मामलों में जहां प्राप्य से प्राप्त पुष्टिकरणों में अंतर देखा गया है, कंपनी ने आवश्यक सुलह करने के बाद, वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए खातों की पुस्तकों के अनुसार शेष राशि को अपनाया है।		
8.3	हालांकि, कंपनी की राय में, शेष राशि की पुष्टि प्राप्त न होने से कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।		

(अन्यथा उल्लेख न किया गया हे, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

प्राप्य व्यापार के उम्र बढ़ने की अनुसूची

31 मार्च 2023 के अनुसार	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद प्राप्य व्यापार – प्राप्य मान्य	9858.95	933.70	1190.48	328.94	0.00	12312.07
(ii) निर्विवाद प्राप्य व्यापार – जो क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण रखती वृद्धि है	0.00	0.00	0.00	0.00	669.89	669.89
घटाएँ: प्राप्य व्यापार, जो क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि रखती है, के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	(669.89)	(669.89)
कुल	**9858.95**	**933.70**	**1190.48**	**328.94**	**0.00**	**12312.07**

31 मार्च 2022 के अनुसार	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद प्राप्य व्यापार – प्राप्य मान्य	11124.71	1528.98	1399.06	728.58	57.86	14839.19
(ii) निर्विवाद प्राप्य व्यापार – जो क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण रखती वृद्धि है	0.36	0.00	7.54	7.29	511.36	526.55
घटाएँ: प्राप्य व्यापार, जो क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि रखती है, के लिए प्रावधान	(0.36)	0.00	(7.54)	(7.29)	(511.36)	(526.55)
कुल	**11124.71**	**1528.98**	**1399.06**	**728.58**	**57.86**	**14839.19**

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
9. नकद एवं नकद समतुल्य (परिशोधित लागत पर)		
हाथ में शेष नकद	0.34	0.50
बैंकों में शेष		
चालू खाते में	910.70	473.87
सावधि जमा निधि खाते में		
3 महीने से कम की मियाद वाले	567.22	690.26
(कर्मचारियों के कल्याण के लिए गठित कल्याण निधि के संबंध में बैंक ऑफ बरोडा, बेंगलूर के साथ रखी हुई रु.7.22 लाख (गत वर्ष रु.6.87 लाख) की राशि को सावधि जमा खाते में शामिल किया गया है।)		
	1478.26	**1164.63**

(अन्यथा उल्लेख न किया गया हे, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

	विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
10	**अन्य बैंक शेष राशियाँ** (परिशोधित लागत पर)		
	सावधि जमाराशि – 3 महीने से अधिक, लेकिन 12 महीने से कम की मियाद वाले	4420.25	3199.90
	सावधि जमाराशि (मार्जिन राशि) – 12 महीने से कम की परिपक्वता के साथ (बैंक ऑफ बड़ौदा में धारणाधिकार के रूप में चिह्नित रु.367.77 लाख (गत वर्ष रु.80.84 लाख) की सावधि जमा राशि)	367.77	125.58
		4788.02	**3325.48**
11	**चालू ऋण तथा अग्रिम** (परिशोधित लागत पर)		
	असुरक्षित, प्राप्य मान्य		
	फील्ड कर्मचारियों को अग्रदाय सहित कर्मचारियों को अग्रिम	61.35	74.03
	अन्य अग्रिम	36.98	38.26
	(धारवाड़ भूमि 26 गुंटा कम होने के कारण रु.34.94 लाख की राशि कम की गई, जो कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम से वसूली योग्य है।)		
		98.33	**112.29**
12	**चालू – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ**		
	सरकारी विभाओं के साथ जमा राशि (12.1 को देखें)		
	प्राप्य मान्य	99.60	112.81
	संदिग्ध मान्य	7.12	7.12
		106.73	**119.93**
	घटाएँ : संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	(7.12)	(7.12)
		99.60	**112.81**
	सावधि जमा राशि पर अर्जित ब्याज	90.09	35.85
	अन्य प्राप्य	18.39	194.59
	घटाएँ : प्रावधान – अन्य प्राप्य	–	(177.81)
		18.39	**16.78**
		208.08	**165.44**

(अन्यथा उल्लेख न किया गया हे, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

	विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
12.1	सरकारी विभागों (चालू और गैर चालू) के साथ जमा के संबंध में शेष रु.111.97 लाख की राशि की पुष्टि की प्रतीक्षा है (पिछले वर्ष 119.94 लाख रुपये)। उन मामलों में जहां प्राप्त पुष्टिकरणों में अंतर पाया जाता है, कंपनी ने आवश्यक सुलह करने के बाद, वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए लेखा पुस्तकों के अनुसार शेष राशि को अपनाया है। हालांकि, कंपनी की राय में, शेष राशि की पुष्टि प्राप्त न होने से कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।		
12.2	सिटी सिविल और सेशन कोर्ट ने मध्यस्थता कार्यवाही के निर्णय को बरकरार रखा और इसलिए मेसर्स अंकुर ड्रग्स लिमिटेड से प्राप्त 177.81 लाख रुपये के उत्पाद शुल्क को वापस दिया गया है।		
13	**वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)**		
	अग्रिम आयकर और टीडीएस	871.18	850.30
	घटाएँ: आयकर के लिए प्रावधान	(876.47)	(953.18)
		(5.29)	**(102.88)**
	आयकर वापसी योग्य	222.70	367.98
		217.41	**265.10**
14	**अन्य कर परिसंपत्तियाँ**		
	सरकारी प्राधिकारियों के साथ शेष (जीएसटी/उत्पाद शुल्क/वैट)	1776.07	1831.63
	आपूर्ति और अन्य के लिए अग्रिम	15.34	41.38
	पूर्वदत्त व्यय	95.79	77.30
		1887.20	**1950.31**
14.1	सरकारी प्राधिकारियों के साथ शेष (जीएसटी/उत्पाद शुल्क/वैट) राशि में रु.79.56 लाख (गतवर्ष रु.79.56 लाख) सम्मिलित है। उप/सहायक जीएसटी आयुक्त (मण्डल - IV), गोवा के कार्यालय से वापसी प्राप्य योग्य है। वसूली के लिए वि.वर्ष 2018-19 में आवेदन दायर किया गया है और तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई प्रगति पर है।		
15	**शेयर पूंजी:**		
	प्राधिकृत		
	15,00,000 (गत वर्ष 15,00,000) प्रत्येक रु.100/- रुपए के इक्विटी शेयर	1500.00	1500.00
		1500.00	**1500.00**
	जारी, अभिदत्त एवं पूर्णतया प्रदत्त:		
	13,49,000 (गत वर्ष 13,49,000) प्रत्येक रु.100/- रुपए के इक्विटी शेयर	1349.00	1349.00
		1349.00	**1349.00**

(अन्यथा उल्लेख न किया गया हे, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

(i) वर्ष के आरंभ में और वर्ष के अंत तक बकाया शेयरों की संख्या का मिलान

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार		31 मार्च 2022 के अनुसार	
	शेयर की संख्या	राशि	शेयर की संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में	1349000	1349.00	1349000	1349.00
जोड़ : वर्ष के दौरान जारी शेयरों की संख्या	–	–	–	–
वर्ष के अंत में	1349000	1349.00	1349000	1349.00

(ii) इक्विटी शेयरों के विभिन्न वर्गों के अधिकार, हकदारी और दायित्वों का उल्लेख यहां नीचे दिया गया है:

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका मूल्य रु. 100 प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक शेयरधारक एक वोट का हकदार है। निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

मार्च 31,2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, इक्विटी शेयरधारकों को वितरण के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश 15 रुपये (पिछले वर्ष – 30 रुपये) प्रति शेयर है।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद, यदि कोई हो, कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(iii) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के परिपत्र संख्या एफ संख्या 5/2/2016- नीति दिनांक 27.05.2016 के अनुसार, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक सीपीएसई न्यूनतम वार्षिक लाभांश 30 का भुगतान करेगा। मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन पीएटी का प्रतिशत या निवल मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

कंपनी ने विभिन्न पूंजी प्रतिबद्धताओं के कारण वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2021-22 तक 3945 लाख रुपये के लाभांश का कम भुगतान किया है। दीपम के दिशानिर्देशों के पैरा 5.3 के अनुसार, कंपनी ने हर वर्ष प्रशासनिक मंत्रालय से अनुमोदन मांगा है।

(iv) कंपनी के 5% से अधिक इक्विटी शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों का विवरण:

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार		31 मार्च 2022 के अनुसार	
	शेयर की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयर की संख्या	कुल शेयरों का %
भारत के राष्ट्रपति	798180	59.17%	798180	59.17%
केएसआईआईडीसी लिमिटेड	550820	40.83%	550820	40.83%
कुल	**1349000**	**100.00%**	**1349000**	**100.00%**

(अन्यथा उल्लेख न किया गया हे, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

(v) वर्ष के अंत में प्रवर्तकों द्वारा रखे गए शेयर

प्रवर्तक का नाम	31 मार्च 2023 के अनुसार		31 मार्च 2022 के अनुसार		वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	धारित शेयरों की संख्या	कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का %	धारित शेयरों की संख्या	कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का %	
भारत के राष्ट्रपति	7,98,180	59.17%	7,98,180	59.17%	0.00
केएसआईआईडीसी लिमिटेड	5,50,820	40.83%	5,50,820	40.83%	0.00

(vi) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के परिपत्र संख्या एफ संख्या 5/2/2016 – नीति दिनांक 27.05.2016 के अनुसार, जिसमें यह कहा गया था कि प्रत्येक सीपीएसई बोनस शेयर जारी करेगा यदि उनके परिभाषित भंडार और अधिशेष इसकी चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के बराबर या 10 गुना से अधिक है। कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई बोनस शेयर जारी नहीं किया है।

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
16. अन्य इक्विटी		
सामान्य आरक्षित		
प्रारंभिक शेष	22176.51	20066.94
जोड़ें : लाभ और हानि में अधिशेष से अंतरण	2000.00	2000.00
जोड़ें : सीएसआर निधि आरक्षित से अंतरण	–	92.91
जोड़ें: संपोषणीय विकास निधि आरक्षित से अंतरण	–	16.66
अंतिम शेष	**24176.51**	**22176.51**
सीएसआर निधि आरक्षित		
प्रारंभिक शेष	0.00	92.91
घटाएँ : सामान्य आरक्षण में अंतरण	0.00	92.91
अंतिम शेष	**0.00**	**0.00**
संपोषणीय विकास कोष प्रारक्षण		
प्रारंभिक शेष	0.00	16.66
घटाएँ : सामान्य आरक्षण में अंतरण	0.00	16.66
अंतिम शेष	**0.00**	**0.00**
प्रतिधारित अर्जन		
प्रारंभिक शेष	392.79	331.67
जोड़ें : वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि)	2488.79	2465.82
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि	2881.58	2797.49
विनियोजन		
सामान्य आरक्षित को हस्तांतरित	2000.00	2000.00
अंतिम लाभांश	404.70	404.70
	2404.70	2404.70
अंतिम शेष	**476.88**	**392.79**

(अन्यथा उल्लेख न किया गया हे, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

	विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
	अन्य व्यापक आय		
	परिभाषित लाभ योजनाओं पर अस्वीकृति लाभ/(हानि)		
	प्रारंभिक शेष	(9.62)	39.59
	जोड़ें या (घटाएँ): वे मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	0.68	(65.76)
	जोड़ें या (घटाएँ : उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	(0.17)	16.55
	अंतिम शेष	**(9.11)**	**(9.62)**
	कुल अन्य इक्विटी	**24644.28**	**22559.68**
17	**गैर चालू उधार**		
	बैंक ऑफ बरोड़ा से: सुरक्षित (टिप्पणी सं.19 को देखें)		
	सावधि ऋण:	0.00	75.00
		0.00	**75.00**
	कार्यशील पूंजी सीमाओं के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ समान समय के आधार पर विशिष्ट अचल परिसंपत्तियों का दृष्टि बंधक और कंपनी की अन्य अचल परिसंपत्तियों की निरंतर सुरक्षा के विरुद्ध सुरक्षित।		
	चालू रु.75.68 लाख (टिप्पणी सं.19 को देखें) (गत वर्ष 300.68 लाख)		
	अप्रचलित रु. शून्य (गत वर्ष रु.75.00 लाख)		
	चुकौती की समयावधि		
	जुलाई, 2018 से शुरू होने वाली प्रत्येक रु.25 लाख की 60 समान मासिक किश्तें - ब्याज दर - 10.30%-31 मार्च 2023 के अनुसार 3 किश्तें चुकानी शेष हैं। उपरोक्त अवधि के ऋण की अदायगी में कोई चूक नहीं है।		
18	**गैर चालू प्रावधान**		
	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (टिप्पणी 23 को भी देखें):		
	उपदान	140.04	332.36
	बीमारी छुट्टी	372.92	354.47
		512.96	**686.83**
19	**वर्तमान उधार**		
	सुरक्षित ऋण मांग पर चुकाने योग्य		
	बैंकों से कार्यशील पूंजी ऋण	0.00	0.00
	दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वता (टिप्पणी 17 को भी देखें):	75.68	300.68
		75.68	**300.68**

अनुसूचित बैंकों से कार्यशील पूंजी की सुविधाएं व्यापार में स्टॉक के अनुमानों के विरुद्ध सुरक्षित हैं और समान समय के आधार पर बुक ऋण हैं और बैंक ऑफ बरोड़ा को पारि पासु आधार पर सावधि ऋण के लिए निर्धारित अचल परिसंपत्तियों के अलावा अन्य अचल संपत्तियों की संपार्श्विक प्रतिभूति सुरक्षित हैं। नकद क्रेडिट के तहत डेबिट शेष दृष्टि बंधक लेखे का प्रकटीकरण को नकद और बैंक शेष के तहत किया जाता है। ब्याज दर लिबोर (LIBOR) से जुड़ी हुई है।

(अन्यथा उल्लेख न किया गया हे, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

चालू परिसंपत्तियों के विरुद्ध सुरक्षित उधार

तिमाही	बैंक का नाम	प्रदत्त प्रतिभू का विवरण	बहीखाते के अनुसार राशि	तिमाही विवरण में रिपोर्ट की गई राशि	राशि में अंतर	महत्वपूर्ण विसंगतियों का कारण
जून 22	बैंक ऑफ बरोड़ा एवं भारतीय स्टेट बैंक	पारि पासु आधार पर मालसूची एवं बही ऋण	21147	19791	1356	शामिल अवधि से परे देनदारियाँ
सितंबर 22	बैंक ऑफ बरोड़ा एवं भारतीय स्टेट बैंक	पारि पासु आधार पर मालसूची एवं बही ऋण	24565	22487	2078	शामिल अवधि से परे देनदारियाँ
दिसंबर-22	बैंक ऑफ बरोड़ा एवं भारतीय स्टेट बैंक	पारि पासु आधार पर मालसूची एवं बही ऋण	26255	23822	2433	शामिल अवधि से परे देनदारियाँ
मार्च-23	बैंक ऑफ बरोड़ा एवं भारतीय स्टेट बैंक	पारि पासु आधार पर मालसूची एवं बही ऋण	19574	17882	1692	बैंक को प्राक्कलित राशि दी गई है/ शामिल अवधि से परे देनदारियाँ

	विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
20	**व्यापार देनदारियां**		
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय	2420.65	2647.00
	अन्य लेनदार	7144.67	6211.86
		9565.32	**8858.86**
20.1	व्यापार देनदारियों के लिए शेष राशि की पुष्टि के लिए अनुरोध परिचालित किया गया था और कुछ प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। रु.8811.53 लाख तक की कुल राशि की पुष्टि की प्रतीक्षा है। उन मामलों में जो अंतर पुष्टि में देखा गया है, कंपनी ने आवश्यक सुलह करने के बाद वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए खातों की पुस्तकों के अनुसार शेष राशि को अपनाया है। हालांकि, कंपनी की राय में, शेष राशि की पुष्टि न होने से कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।		
20.2	**विवरण**	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
	वर्ष के अंत तक बकाया मूलधन राशि	2420.65	2647.00
	वर्ष के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज की राशि	-	-
	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ-साथ वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद भुगतान की राशि।	-	-

(अन्यथा उल्लेख न किया गया हे, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज के बिना भुगतान करने में विलम्ब की अवधि के लिए देय एवं देय ब्याज की राशि।	-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृत करने के उद्देश्य से आगे के वर्षों में शेष देय और देय ब्याज की राशि, ऐसी तारीख तक जब उपरोक्त के रूप में ब्याज बकाया वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान किया जाता है	-	-

20.3 मेसर्स अंकुर ड्रग्स एंड फार्मा लिमिटेड के मामले में नगर सिविल एवं सेशन न्यायालय द्वारा मध्यस्थता के फैसले को बरकरार रखे जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान व्यापार देनदारियों में रु. 509.78 लाख शामिल करने का प्रावधान किया गया।

व्यापार देय उम्र बढ़ने की अनुसूची

31.03.2023 के अनुसार		भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
		1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	एमएसएमई	2,420.65	0.00	0.00	0.00	2,420.65
(ii)	अन्य	6,147.26	22.58	42.18	932.65	7,144.67
(iii)	विवादित बकाया - अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**8567.91**	**22.58**	**42.18**	**932.65**	**9565.32**

31.03.2022 के अनुसार		भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
		1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	एमएसएमई	2,647.00	0.00	0.00	0.00	2,647.00
(ii)	अन्य	5,494.50	43.70	49.77	203.76	5,791.73
(iii)	विवादित बकाया - अन्य	0.00	0.00	0.00	420.13	420.13
	कुल	**8,141.50**	**43.70**	**49.77**	**623.89**	**8.858.86**

21 अन्य चालू वित्तीय देयताएं

(परिशोधित लागत पर)

प्राप्त ईएमडी और सुरक्षा जमा (उसपर ब्याज सम्मिलित)	426.33	572.67
पूंजीगत व्यय के लिए लेनदार	368.09	141.39
	794.42	**714.06**

(अन्यथा उल्लेख न किया गया है, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

विवरण	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
22 अन्य चालू देयताएं		
भुगतान करने योग्य सांविधिक देय	364.47	281.27
ग्राहकों से अग्रिम	636.24	996.07
बकाया खर्च	2044.87	2072.08
अन्य देय	23.54	23.59
	3069.12	**3373.01**
22.1 अन्य देय में रु.13.91 लाख (गत वर्ष रु.13.61 लाख), जो कार्यकारी कल्याण निधि के लिए देय राशि रु.5.23 लाख (गत वर्ष रु.4.80 लाख) और गैर-कार्यकारी कल्याण निधि के लिए देय राशि रु.8.69 लाख (गत वर्ष रु.8.81 लाख) है, जिन्हें प्रबंधन और कर्मचारियों के सदस्यों से गठित समिति द्वारा प्रशासित किया जाता है। इन रु.8.69 लाख (गत वर्ष रु.8.81 लाख) गैर-कार्यकारी कल्याण कोष में से रु.7.22 लाख (गत वर्ष रु.6.87 लाख) की राशि को बैंक ऑफ बरोड़ा, बेंगलूरु के साथ सावधि जमा के रूप में धारित की जाती है।		
23 वर्तमान प्रावधान		
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (टिप्पणी सं.18 को भी देखें)		
बीमारी छुट्टी	19.68	32.64
उपदान	**122.72**	**129.84**
सेवानिवृत्ति के बाद स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रावधान	5.00	5.00
प्रावधान अन्य		
आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	238.25	341.25
	385.65	508.73

(अन्यथा उल्लेख न किया गया हे, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
24	**परिचालनों से राजस्व:**		
	(क) उत्पादों की बिक्री		
	घरेलू	48516.77	44928.85
	निर्यात	4240.57	2458.57
		52757.34	**47387.42**
	(ख) अन्य परिचालन राजस्व		
	ऋण लाइसेंस - श्रम	99.58	114.60
	स्क्रैप बिक्री	32.74	30.22
		132.32	144.82
		52889.66	**47532.24**
	भारतीय ले.मा.115 के संबंध में प्रकटीकरण		
	अनुबंधित मूल्य	53279.92	48387.65
	समायोजन		
	- छूट	26.01	16.57
	- बिक्री वापसी	294.67	522.82
	- परिनिर्धारित नुकसानी	201.90	460.84
		52757.34	**47387.42**
25	**अन्य आय**		
	बैंकों से ब्याज	212.41	219.98
	अन्यों से ब्याज	9.24	7.24
	निर्यात प्रोत्साहन	50.81	106.86
	आयकर वापसी पर ब्याज	65.96	28.60
	विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव का लाभ (निवल)	3.06	0.29
	वसूल किया गया माल भाड़ा	9.48	1.78
	पार्टियों से प्राप्त छूट	340.70	0.32
	विविध क्रेडिट शेष वापस लिखा गया	38.14	2.24
	प्रतिवर्ती अतिरिक्त प्रावधान	4.95	-
	स्क्रैप - विनिर्माण के इतर	3.07	5.59
	अन्य गैर परिचालन आय	11.86	19.26
		749.68	**392.16**
26	**उपभोग की गई सामग्री की लागत**		
	क. कच्चा माल		
	I. स्वदेशी	18286.18	17916.06
	II. आयातित	0.00	0.00
		18286.18	**17916.06**

(अन्यथा उल्लेख न किया गया हे, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
26	**ख. पैकिंग सामग्री**		
	I. स्वदेशी	4687.42	3880.47
		4687.42	**3880.47**
	(क + ख)	22973.60	21796.53
	निवल उपभोग	**22973.60**	**21796.53**
27	**निर्मित माल, प्रगतिशील कार्य तथा व्यापार स्टॉक की मालसूचियों में परिवर्तन**		
	प्रारम्भिक स्टॉक		
	प्रगतिशील कार्य	528.66	194.56
	निर्मित माल	3014.95	2870.83
	व्यापार स्टॉक	615.41	498.37
		4159.02	3563.76
	घटाएँ : अंतिम स्टॉक		
	प्रगतिशील कार्य	1177.84	528.66
	निर्मित माल	2479.51	3014.95
	व्यापार स्टॉक	870.25	615.41
		4527.60	4159.02
	सीएसआर व्यय के तहत आपूर्ति किया गया निर्मित माल	8.55	7.39
		(377.13)	**(602.65)**
28	**कर्मचारी लाभ व्यय**		
	वेतन, मजदूरी, बोनस और भत्ते	6308.74	5621.71
	भविष्य निधि और अन्य कोषों में योगदान	798.20	725.61
	कार्मिक तथा कर्मचारी कल्याण व्यय	942.30	860.96
		8049.24	**7208.28**
29	**वित्तीय लागत**		
	बैंक उधार पर ब्याज	25.14	64.35
	ब्याज अन्य	562.74	43.07
		587.88	**107.42**
30	**मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय**		
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	731.13	759.83
	पट्टा परिसंपत्तियों पर परिशोधन	26.06	54.12
		757.19	**813.95**

(अन्यथा उल्लेख न किया गया हे, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
31	अन्य व्यय		
	– विनिर्माण व्यय		
	उपभोज्य भंडार एवं कलपुर्जे	143.34	168.69
	प्रयोगशाला व्यय	203.10	123.57
	बिजली और ईंधन	1097.55	950.84
	भवनों की मरम्मत	160.42	69.18
	मशीनरी की मरम्मत	246.89	292.14
	अनुबंध श्रम प्रभार	1817.57	1683.52
	अन्य विनिर्माण व्यय	1093.27	953.72
		4762.14	**4241.66**
	– विक्रय एवं वितरण व्यय		
	जावक ढुलाई	752.48	700.01
	कमीशन एवं छूट	4297.60	3372.31
	विज्ञापन, विक्रय और वितरण व्यय	304.02	314.35
		5354.10	**4386.67**
	– स्थापना व्यय		
	किराया	15.20	63.16
	दर एवं कर	179.50	183.92
	यात्रा एवं सवारी खर्च	634.14	467.78
	कानूनी एवं व्यावसायिक प्रभार	130.31	123.42
	सामान्य अनुरक्षण खर्च	248.87	248.38
	बैंक कमीशन और प्रभार	45.93	21.99
	बीमा प्रभार	31.86	30.23
	लेखा परीक्षकों को भुगतान		
	लेखा परीक्षक के रूप में	5.55	5.50
	संचार व्यय	15.66	16.93
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	43.34	32.35
	फुटकर प्राप्य, बट्टे खाते में डाला गया है	9.99	10.99
	भर्ती एवं प्रशिक्षण खर्च	4.66	3.09
	विविध खर्च	142.17	113.57

(अन्यथा उल्लेख न किया गया हे, सभी राशियाँ लाख रुपए में हैं)

		विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
	सीएसआर खर्च		63.18	58.32
	पट्टा पुनर्मापन हानि		37.29	0.00
	अन्य प्रावधान		173.25	340.21
			1780.90	**1719.84**
			11897.14	**10348.17**
	(दरों और करों में रु.116.44 लाख (पिछले वर्ष रु.87.21 लाख) शामिल हैं बेची गई दवाईयों पर प्रदत्त जीएसटी है, जिसमें जीएसटी क्रेडिट योग्य नहीं है।)			
32	**प्रतिधारित अर्जन के तहत अन्य व्यापक आय के घटक**			
	क (i)	**मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा**		
		परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ / (हानि)	0.68	(65.76)
		उप कुल	0.68	(65.76)
	क (ii)	**क (i) पर आयकर**	(0.17)	16.55
		उप कुल	(0.17)	16.55
			0.51	**(49.21)**

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

33. आकस्मिक देनदारिया

क. आकस्मिक देनदारियाँ, प्रावधान नहीं की गई:

i) कंपनी के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, में शामिल हैं:

प्रकृति	31 मार्च 2023 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
बिक्री कर: सांविधिक प्रपत्रों की अप्राप्ति के लिए बिक्री कर में अंतर	18.93	18.93
बिक्री कर: पूर्व वर्षों से संबंधित विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष अपील में लंबित बिक्री कर के प्रति देयता:		
1. गेज और पट्टियाँ, फ़ीड की खुराक, अस्वीकृत निर्यात बिक्री और वित्तीय वर्ष 1999-00 के लिए अधिरोपित कर (एलएसटी)	7.33	7.33
2. गेज और पट्टियाँ, फ़ीड की खुराक, अस्वीकृत निर्यात बिक्री और वित्तीय वर्ष 1999-00 के लिए अधिरोपित कर (सीएसटी)	0.19	0.19
3. गेज और पट्टियाँ, फ़ीड की खुराक, अस्वीकृत निर्यात बिक्री और वित्तीय वर्ष 2000-01 के लिए अधिरोपित कर (एलएसटी)	7.14	7.14
4. गेज और पट्टियाँ,, फ़ीड की खुराक, अस्वीकृत निर्यात बिक्री और वित्तीय वर्ष 2000-01 के लिए अधिरोपित कर (सीएसटी)	3.73	3.73
5. **अन्य दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया**		
क. कर्मचारी कानूनी मामले	72.00	90.00
ख. मेसर्स् अंकुर ड्रग्स एंड फार्मा लिमिटेड के पक्ष में मध्यस्थता पुरस्कार	-	502.02
सिटी सिविल कोर्ट ने 01.08.2022 को मध्यस्थता पुरस्कार को बरकरार रखा है।		

ख. पूँजी खाते (अग्रिमों का निवल) पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित और मान्य न प्राप्त राशि ₹10782.25 लाख (गत वर्ष ₹254.04 लाख) है।

भारत सरकार ने ₹27500 लाख की अनुमानित लागत पर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के तहत 7-एसीए (अमीनोसेफालोस्पोरेनिक एसिड) के निर्माण के लिए इकाई के निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी है।

34. कर्मचारी हितलाभ:

(क) उपदान योजना : कंपनी की एक परिभाषित लाभ योजना है जो उपदान भुगतान प्रदान करती है। कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ सामूहिक उपदान योजना मास्टर पॉलिसी ली है। उपदान नीति पात्र कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति पर एकमुश्त उपदान भुगतान प्रदान करती है। भुगतान की राशि संबंधित कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन और कंपनी के साथ रोजगार के वर्षों पर आधारित है।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

भारतीय लेखांकन मानक 19 के तहत आवश्यक उपदान (वित्त पोषित) योजना की स्थिति निम्न तालिका में निर्धारित की गई।

मान्यता प्राप्त व्यय	31 मार्च 2023 पर	31 मार्च 2022 पर
वर्तमान सेवा लागत	189.58	177.28
ब्याज लागत	259.53	254.10
योजना परिसंपत्तियों की प्रत्याशित वापसी	(240.18)	(234.56)
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	208.93	196.82

दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य का मिलान	31 मार्च 2023 पर	31 मार्च 2022 पर
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3431.40	3182.57
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	(3694.15)	(3644.77)
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त संपत्ति/(देयता)	(262.75)	(462.20)

दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	उपदान	
	31 मार्च 2023 पर	31 मार्च 2022 पर
प्रारम्भिक परिभाषित दायित्व	3644.77	3602.21
ब्याज लागत	259.53	254.10
वर्तमान सेवा लागत	189.58	177.28
प्रदत्त लाभ	(359.44)	(419.46)
पुनर्मापन के कारण:		
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00
वित्तीय मान्यताओं में बदलाव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	44.92	(70.86)
अनुभव परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(85.21)	101.50
अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	3694.15	3644.77

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	31 मार्च 2023 पर	31 मार्च 2022 पर
वर्ष के प्रारम्भ में योजना परिसंपत्तियाँ, उचित मूल्य पर	3182.57	3280.02
योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित वापसी (अनुमानित)	240.18	234.56
योगदान	407.70	122.57
स्थायी लाभ	(359.44)	(419.46)
योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/हानि	(39.61)	(35.12)
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियाँ, उचित मूल्य पर	3431.40	3182.57

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त दायित्व में संचलन	31 मार्च 2023 पर	31 मार्च 2022 पर
प्रारम्भिक देयता	462.20	322.19
लाभ व हानि में मान्यता प्राप्त व्यय	208.93	196.82
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त पुनर्मापन प्रभाव	(0.68)	65.76
प्रदत्त अंशदान	(407.70)	(122.57)
अंतिम देयता	262.75	462.20

अन्य व्यापक आय	31 मार्च 2023 पर	31 मार्च 2022 पर
बीमांकिक हानि/(लाभ):		
– जनसांख्यिकीय मान्यताओं में बदलाव के कारण	0.00	0.00
– वित्तीय मान्यताओं में बदलाव के कारण	44.92	(70.86)
– अनुभव परिवर्तन के कारण	(85.21)	101.50
योजना परिसंपत्तियों पर पर वापसी छूट दर (से अधिक)/से कम	39.61	35.12
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल पुनर्मापन प्रभाव	(0.68)	65.76

मूल्यांकन तिथि पर मान्यताएं	31 मार्च 2023 पर	31 मार्च 2022 पर
छूट कारक	7.55%	7.49%
वेतन वृद्धि दर	9.00%	8.44%
योजना परिसंपत्तियों पर वापसी की दर (अपेक्षित)	7.49%	7.49%
संघर्षण दर	10.00%	10.00%
मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2012-14) (अंतिम)	

संवेदनशीलता विश्लेषण	31 मार्च 2023 पर	31 मार्च 2022 पर
31.03.2023 तक महत्वपूर्ण मान्यताओं के लिए एक मात्रात्मक संवेदनशीलता विश्लेषण निम्नानुसार है:	डीबीओ में वृद्धि/कमी	डीबीओ में वृद्धि/कमी
छूट दर + 100 आधार अंक	(200.09)	(202.42)
छूट दर - 100 आधार अंक	224.67	227.34
वेतन वृद्धि + 100 आधार अंक	101.66	122.82
वेतन वृद्धि - 100 आधार अंक	(113.10)	(130.02)
संघर्षण दर + 100 आधार अंक	(8.93)	(8.64)
संघर्षण दर - 100 आधार अंक	10.24	10.06
मृत्यु दर 10% ऊपर	(0.20)	(0.31)

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

योजना परिसंपत्तियों का विभाजन: 31 मार्च, 2023 तथा 31 मार्च 2022 के अनुसार संपत्ति श्रेणी के आधार पर उपदान योजना की भारित-औसत संपत्ति आबंटन निम्नानुसार था:

विवरण	31 मार्च 2023 पर	31 मार्च 2022 पर
बीमा कंपनियों द्वारा प्रबंधित निधि	100%	100%
अन्य	-	-

31 मार्च, 2023 को उपदान के संबंध में अपेक्षित भावी नकदी प्रवाह इस प्रकार था:

संवेदनशीलता विश्लेषण	31 मार्च 2023 पर	31 मार्च 2022 पर
प्रत्याशित योगदान		
वर्ष के अंत के दौरान	122.72	129.84
प्रत्याशित भावी लाभ भुगतान		
31 मार्च 2023	-	427.63
31 मार्च 2024	524.81	487.33
31 मार्च 2025	486.36	454.75
31 मार्च 2026	487.33	458.96
31 मार्च 2027	419.70	395.01
31 मार्च 2028	375.98	-
अगले 5 वर्ष के भुगतान (31 मार्च 2028-2032 को समाप्त वर्ष)	1316.41	1489.97
दस वर्ष से अधिक भुगतान	2801.86	2648.20
31.03.2023 के अनुसार निहित लाभ दायित्व	3638.42	3613.29

(ख) भविष्य निधि लाभ: कंपनी ने 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को समाप्त को समाप्त वर्ष के दौरान भविष्य निधि योजना में क्रमशः ₹587.71 लाख और ₹528.79 लाख का योगदान दिया।

(ग) क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति: अर्जित अवकाश दायित्व के लिए कंपनी द्वारा दर्ज की गई कुल देयता 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 तक क्रमशः ₹1989.58 लाख और ₹1788.95 लाख थी। बीमारी छुट्टी दायित्व के लिए कंपनी द्वारा दर्ज की गई कुल देयता 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 तक क्रमशः ₹392.61 लाख और ₹387.11 लाख थी।

(घ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस): कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कर्मचारियों के लिए वीआरएस को मंजूरी नहीं दी है।

(ङ) सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा योजना: भारत सरकार के आदेशों के अनुपालन में, बोर्ड ने अपनी 171वीं बैठक में 01.01.2017 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के या उनके पति या पत्नी (सेवा काल में देहांत कर्मचारी) के लिए केएपीएल सेवानिवृत्ति के उपरांत स्वास्थ्य बीमा योजना नामक योजना को शुरू करने की मंजूरी दे दी। आदेश के अनुसार अधिकतम योगदान कर पूर्व लाभ का 1.50% है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹5.00 (पिछले वर्ष ₹5.00 लाख) प्रदान किए गए हैं। कंपनी ने इस योजना को संचालित करने के लिए एक ट्रस्ट बनाया है।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

35. खंड जानकारी

कंपनी मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के विनिर्माण और विपणन के एकल व्यवसाय खंड में लगी हुई है और इसकी विभिन्न गतिविधियों के लिए एक इकाई के रूप में प्रबंधित किया जाता है, और जोखिमों और वापसी के समान सेट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसलिए, रिपोर्ट करने योग्य कोई प्राथमिक खंड नहीं हैं।

भौगोलिक खंड: प्रबंधन की दृष्टि में, भारतीय और निर्यात बाजार भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

बाजार द्वारा बिक्री: भौगोलिक बाजार द्वारा कंपनी की बिक्री का वितरण निम्नलिखित है:

भौगोलिक खंड	2022-23	2021-22
भारत	48516.77	44928.85
भारत के बाहर	4240.57	2458.57
कुल	**52757.34**	**47387.42**

खंड परिसंपत्तियों की मूल कीमत:

भौगोलिक खंड	2022-23	2021-22
भारत	40546.03	38356.81
भारत के बाहर	500.75	377.80
कुल	**41046.78**	**38734.61**

एक से अधिक अवधि के दौरान उपयोग के लिए प्रत्याशित खंड संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का अधिग्रहण करने की उम्मीद के साथ वर्ष के दौरान हुए कुल लागत निम्नानुसार है:

भौगोलिक खंड	भारत 2022-23	भारत के बाहर 2022-23	भारत 2021-22	भारत के बाहर 2021-22
मूर्त परिसंपत्तियाँ	1557.34	-	643.21	-
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-

36. प्रति शेयर अर्जन की गणना (मूल और तनुकृत)

विवरण	2022-23	2021-23
1. इक्विटी शेयरों की संख्या	13,49,000	13,49,000
2. इक्विटी शेयरों का नाममात्र मूल्य (₹ में)	₹ 100.00	₹ 100.00
3. इक्विटी शेयरों के लिए कारण बने निवल लाभ	₹ 2,488.79	₹ 2,465.82
4. मूल और तनुकृत ईपीएस (₹ में)	₹ 184.49	₹ 182.79

37. **पट्टा:**

(I) एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

पट्टे:

एक अनुबंध एक पट्टा है, या इसमें शामिल है, यदि अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को विचार के बदले में समय की अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

परिचालन पट्टा प्रतिबद्धताएं – कंपनी पट्टेदार के रूप में

कंपनी की पट्टा परिसंपत्ति वर्ग में मुख्य रूप से भवन के लिए पट्टा शामिल है, जिसे 01.07.2021 से पट्टे पर लिया गया है। कंपनी पट्टा शुरू होने की तारीख पर पट्टे की अवधि के लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति का उपयोग करने के अपने अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाली उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति को मान्यता देती है। स्थापना के समय मापी गई उपयोग के अधिकार की संपत्ति की लागत में प्रारंभ की तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता के प्रारंभिक माप की राशि शामिल होगी, जिसमें प्राप्त कोई पट्टा प्रोत्साहन, साथ ही अंतर्निहित परिसंपत्ति को हटाने या हटाने या अंतर्निहित परिसंपत्ति या साइट को पुनर्स्थापित करने में पट्टेदार द्वारा खर्च की जाने वाली लागत का अनुमान कोई प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल होगी। उपयोग के अधिकार की संपत्ति को बाद में किसी भी संचित मूल्यह्रास, संचित हानि हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर मापा जाता है और पट्टे की देयता के किसी भी पुनर्मापन के लिए समायोजित किया जाता है। उपयोग के अधिकार की संपत्ति का मूल्यह्रास शुरू होने की तारीख से सीधी-रेखा पद्धति का उपयोग करके पट्टे की अवधि से कम या उपयोग के अधिकार की संपत्ति के उपयोगी जीवन पर किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन का निर्धारण उसी आधार पर किया जाता है जैसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के आधार पर किया जाता है। जब भी कोई संकेत मिलता है कि उनकी मूल कीमत वसूली योग्य नहीं हो सकती है, तो उपयोग के अधिकार की संपत्ति की हानि के लिए परीक्षण किया जाता है। क्षति हानि, यदि कोई हो, को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है। कंपनी पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता को मापती है जो कि पट्टे की प्रारंभ तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है। पट्टा भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, यदि वह दर आसानी से निर्धारित की जा सकती है। यदि उस दर को आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो कंपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है।

कंपनी ने इंड एएस 116 पट्टों की आवश्यकताओं को उन सभी परिसंपत्तियों के अल्पकालिक पट्टों पर लागू नहीं करने के लिए चुना है जिनकी पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम है और ऐसे पट्टे जिनके लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है। इन पट्टों से जुड़े पट्टा भुगतानों को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

उपयोग के अधिकार की परिसंपत्तियाँ मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से पट्टे की अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर एक सीधी रेखा पद्धति पर किया जाता है। पट्टे की देयता को प्रारंभ में भविष्य के पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या, यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इन पट्टों के अधिवास के देश में वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है। पट्टे की देयता को उपयोग संपत्ति के संबंधित अधिकार के लिए एक समान समायोजन के साथ फिर से मापा जाता है यदि समूह अपना मूल्यांकन बदलता है यदि वह विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगा। इसी समायोजन के साथ फिर से मापा जाता है। पट्टे की देयता को शुरू में भविष्य के पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या, यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इन पट्टों के मौलिक देश में वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है। पट्टे की देयताओं को इसी समायोजन के साथ फिर से मापा जाता है।

पट्टा देयता और आरओयू परिसंपत्ति को अलग-अलग तुलन पत्र में प्रस्तुत किया गया है और पट्टा भुगतान को नकदी प्रवाह के वित्तपोषण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

उपयोग के अधिकार का वहन मूल्य

विवरण	मार्च 31, 2023	मार्च 31, 2022
प्रारंभिक शेष - सकल ब्लॉक	362.63	0.00
जोड़ें: जोड़	738.88	362.63
घटाएँ : पुनः मापन	19.16	0.00
घटाएँ : संचित मूल्यह्रास	87.21	54.12
अंतिम शेष	**995.14**	**308.51**

पट्टे की देयताओं में संचलन

विवरण	मार्च 31, 2023	मार्च 31, 2022
प्रारंभिक शेष	308.76	0.00
जोड़ें: जोड़	360.76	343.91
घटाएँ : पुनः मापन	7.49	0.00
घटाएँ : पट्टा देनदारियों का भुगतान	54.39	35.15
अंतिम शेष	**622.62**	**308.76**

चालू और गैर - चालू पट्टे की देयताओं का ब्योरा

विवरण	मार्च 31, 2023	मार्च 31, 2022
गैर-वर्तमान पट्टा देयताएँ	554.17	225.04
वर्तमान पट्टा देयताएँ	68.25	83.72
कुल	**622.62**	**308.76**

पट्टे की देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण

विवरण	मार्च 31, 2023	मार्च 31, 2022
एक वर्ष से कम	68.25	83.72
एक से पांच वर्ष	193.68	225.04
पांच वर्षों से अधिक	360.69	0.00
कुल	**622.62**	**308.76**

38. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय

(क) खर्च करने के लिए आवश्यक सकल राशि - ₹ 63.18 लाख (गत वर्ष - ₹ 58.32 लाख)
(ख) निम्नलिखित पर वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:

क्रम सं.	विवरण	प्रदत्त	प्रदत्त करने योग्य	कुल
(i)	किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	शून्य (गत वर्ष शून्य)	शून्य (गत वर्ष शून्य)	शून्य (गत वर्ष शून्य)
(ii)	ऊपर (i) के इतर अन्य उद्देश्यों पर	63.18 (गत वर्ष 58.32)	शून्य (गत वर्ष शून्य)	63.18 (गत वर्ष 58.32)

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च करने हेतु अपेक्षित राशि	63.18	58.32
(ii) खर्च की गई राशि	63.18	58.32
(iii) वर्ष के अंत में कमी	0.00	0.00
(iv) पिछले वर्षों की कुल कमी	0.00	0.00
(v) कमी का कारण	-	-
(vi) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	स्वास्थ्य एवं शिक्षा	स्वास्थ्य
(vii) संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण, उदाहरण के लिए, सीएसआर के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार व्यय	-	-
(viii) जहां एक संविदात्मक दायित्व में प्रवेश करके किए गए दायित्व के संबंध में प्रावधान किया जाता है, वर्ष के दौरान प्रावधान में संचालनों को अलग से दर्शाया जाएगा।	-	-

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

39. उचित मूल्य मापन

(क) कंपनी के वित्तीय साधनों, जिन राशियों के अलावा जो उचित मूल्य का उचित अनुमान लगाते हैं, की मूल कीमत और उचित मूल्य के वर्ग की तुलना नीचे निर्धारित है:

31 मार्च, 2023 पर

विवरण	अमूर्त लागत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफ़वीटीओसीआई)	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफ़वीटीपीएल)	कुल मूल कीमत	कुल उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियाँ:					
– प्राप्य व्यापार	12312.07	0.00	0.00	12312.07	12312.07
– नकद और नकद समतुल्य	1478.26	0.00	0.00	1478.26	1478.26
– अन्य बैंक शेष राशि	4788.02	0.00	0.00	4788.02	4788.02
– ऋण	98.35	0.00	0.00	98.35	98.35
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	627.43	0.00	0.00	627.43	627.43
कुल	**19304.13**	**0.00**	**0.00**	**19304.13**	**19304.13**
वित्तीय देयताएं					
– उधार	75.68	0.00	0.00	75.68	75.68
– व्यापार देनदारियाँ					
▪ सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय	2420.65	0.00	0.00	2420.65	2420.65
▪ अन्यों को देय	7144.67	0.00	0.00	7144.67	7144.67
– अन्य वित्तीय देयताएं	622.62	0.00	0.00	622.62	622.62
– अन्य वित्तीय देयताएं	794.42	0.00	0.00	794.42	794.42
कुल	**11058.04**	**0.00**	**0.00**	**11058.04**	**11058.04**

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

31 मार्च, 2022 पर

विवरण	अमूर्त लागत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफ़वीटीओसीआई)	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफ़वीटीपीएल)	कुल मूल कीमत	कुल उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियाँ:					
– प्राप्य व्यापार	14839.19	0.00	0.00	14839.19	14839.19
– नकद और नकद समतुल्य	1164.63	0.00	0.00	1164.63	1164.63
– अन्य बैंक शेष राशि	3325.48	0.00	0.00	3325.48	3325.48
– ऋण	112.35	0.00	0.00	112.35	112.35
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	591.14	0.00	0.00	591.14	591.14
कुल	**20032.79**	**0.00**	**0.00**	**20032.79**	**20032.79**
वित्तीय देयताएं					
– उधार	375.68	0.00	0.00	375.68	375.68
– व्यापार देनदारियाँ					
• सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि	2647.00	0.00	0.00	2647.00	2647.00
• अन्यों को देय राशि	6211.86	0.00	0.00	6211.86	6211.86
– अन्य वित्तीय देयताएं	308.76	0.00	0.00	308.76	308.76
– अन्य वित्तीय देयताएं	714.06	0.00	0.00	714.06	714.06
कुल	**10257.36**	**0.00**	**0.00**	**10257.36**	**10257.36**

उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (अनसमायोजित)

स्तर 2 – स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी, मूल्यों के रूप में) या परोक्ष रूप से (यानी, मूल्यों से प्राप्त) देखने योग्य हैं।

स्तर 3 – परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए इनपुट जो कि अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अदृश्य इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

40. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की गतिविधियाँ कई तरह के वित्तीय जोखिमों को प्रकाश में लाती हैं, जिसमें बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और चलनिधि जोखिम शामिल हैं। कंपनी के प्राथमिक जोखिम प्रबंधन का ध्यान अपने वित्तीय प्रदर्शन पर बाजार के जोखिम के संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है। कंपनी के जोखिम प्रबंधन मूल्यांकन और नीतियां और प्रक्रियाएं कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने, उचित जोखिम सीमाएं और नियंत्रण निर्धारित करने और ऐसे जोखिमों की निगरानी और उसके अनुपालन के लिए स्थापित की जाती हैं। जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ताकि बाजार की स्थितियों और कंपनी की गतिविधियों में परिवर्तन को प्रतिबिंबित किया जा सके। निदेशक मंडल और लेखा परीक्षा समिति कंपनी के जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। यह कंपनी की नीति है कि अव्यवहार्य प्रयोजनों के लिए व्युत्पन्न में कोई भी व्यापार नहीं किया जा सकता है।

क. क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम कंपनी को वित्तीय नुकसान का जोखिम है यदि ग्राहक या वित्तीय साधन के प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और मुख्य रूप से ग्राहकों से कंपनी की प्राप्तियों से उत्पन्न होता है। क्रेडिट जोखिम को क्रेडिट अनुमोदन के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है, क्रेडिट सीमा की स्थापना की जाती है और ग्राहकों की क्रेडिट योग्यता की निरंतर निगरानी की जाती

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

है, जिसके लिए कंपनी व्यवसाय के सामान्य क्रम में क्रेडिट की शर्तों को अनुदान देती है। कंपनी क्रेडिट हानि और क्षति के लिए एक भत्ता स्थापित करती है जो निवेश, व्यापार और अन्य प्राप्तियों के संबंध में अपेक्षित नुकसान के अपने अनुमान का प्रतिनिधित्व करती है।

व्यापार और अन्य प्राप्य

क्रेडिट जोखिम के लिए कंपनी का प्रदर्शन मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। ग्राहक की जनसांख्यिकी, जिसमें उद्योग और उस देश का व्यतिक्रम जोखिम शामिल है जिसमें ग्राहक संचालित होता है, का भी क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है। क्रेडिट जोखिम को क्रेडिट अनुमोदन के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है, क्रेडिट सीमा की स्थापना की जाती है और ग्राहकों की क्रेडिट योग्यता की निरंतर निगरानी की जाती है, जिसके लिए कंपनी व्यवसाय के सामान्य क्रम में क्रेडिट की शर्तों को अनुदान देती है।

वित्तीय परिसंपत्तियां जो न तो विगत में देय हैं और न ही क्षति है

बैंकों के पास सावधि जमा (यानी, जमाराशि के प्रमाण पत्र) सहित कंपनी का कोई भी नकद समतुल्य 31 मार्च, 2023 तक विगत में देय या क्षति नहीं है।

वित्तीय परिसंपत्तियां जो विगत में देय पर क्षतिग्रस्त नहीं है

ग्राहकों के लिए कंपनी की क्रेडिट अवधि आमतौर पर 30 से 180 दिनों तक होती है। प्राप्य व्यापार की उम्र जो विगत में देय पर क्षतिग्रस्त नहीं है, का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	2022-23	2021-22
< 6 महीने	9858.95	11124.71
> 6 महीने से 1 वर्ष	933.70	1528.98
> 1 वर्ष से < 2 वर्ष	1190.48	1399.06
> 2 वर्ष और उससे अधिक	328.94	786.44
कुल	**12312.07**	**14839.19**

प्राप्य व्यापार के अलावा, कंपनी के पास वित्तीय परिसंपत्तियों का कोई महत्वपूर्ण श्रेणी नहीं है जो विगत में देय पर क्षतिग्रस्त नहीं है।

ऋण घाटे के लिए भत्तों का मिलान

31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान ऋण घाटे के लिए भत्ते में बदलाव के विवरण इस प्रकार हैं:

विवरण	31-मार्च-23	31-मार्च-22
1 अप्रैल को शेष राशि	526.55	377.24
वर्ष के दौरान किए गए जोड़	251.41	240.00
वर्ष के दौरान किया गया उत्क्रमण	(108.07)	(90.69)
31 मार्च को शेष राशि	669.89	526.55

भारतीय लेखांकन मानक 109 को अपनाने के कारण, कंपनी क्रेडिट हानि का आकलन करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करती है। इस उद्देश्य के लिए, कंपनी व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि राशि की गणना करने के लिए एक प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करती है। प्रावधान मैट्रिक्स बाहरी और आंतरिक क्रेडिट जोखिम कारकों और विभिन्न ग्राहकों के क्रेडिट घाटे के ऐतिहासिक डेटा को ध्यान में रखता है। प्रबंधन का मानना है कि 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च,2022 को समाप्त वर्ष के दौरान क्रेडिट हानि के लिए भत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

ऋण और अग्रिम

ऋण और अग्रिम मुख्य रूप से कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों (ईएमडी) और ठेकेदारों को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दिए जाते हैं।

31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान संदिग्ध ऋण और अग्रिमों के प्रावधान में परिवर्तन का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	2022-23	2021-22
अप्रैल को शेष राशि	7.12	7.12
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
वर्ष के दौरान बट्टे खाते में लिखा ऋण और अग्रिम		
वर्ष के दौरान प्रावधान वापस लिखा गया		
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव		
31 मार्च को शेष राशि	7.12	7.12

ख. चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम वह जोखिम है जो कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगी क्योंकि वे देय हो जाते हैं। जहाँ तक संभव हो, कंपनी अपनी चलनिधि जोखिम का प्रबंधन इस प्रकार करती है कि यह हमेशा अपनी देयताओं को, दोनों सामान्य या तनावपूर्ण परिस्थितियों में, कंपनी की प्रतिष्ठा के लिए अस्वीकार्य नुकसान या जोखिम के बिना पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता होगी।

प्रबंधन कंपनी की चलनिधि की स्थिति (नीचे अनाहरित उधार सुविधाओं सहित) और अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर नकदी समतुल्यों के रोलिंग पूर्वानुमान की निगरानी करता है। यह आमतौर पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमाओं के अनुसार कंपनी के परिचालन क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है। उक्त सीमाएँ बाज़ार में उस बाज़ार की चलनिधि को ध्यान में रखते हुए बदलती हैं जिसमें इकाई संचालित होती है। इसके अलावा, कंपनी की चलनिधि प्रबंधन नीति में प्रमुख मुद्राओं में नकदी प्रवाह का अनुमान लगाना और इनका वहन करने के लिए आवश्यक तरल संपत्तियों के स्तर पर विचार करना, आंतरिक और बाहरी नियामक आवश्यकताओं के विरुद्ध तुलन पत्र चलनिधि अनुपात की निगरानी करना और ऋण वित्तपोषण योजनाओं को बनाए रखना शामिल है।

रिपोर्टिंग वर्षों के अंत में कंपनी के पास निम्नप्रकार कार्यशील पूंजी थी:

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 22
चालू परिसंपत्तियाँ (क)	28251.38	30062.11
चालू देयताएं (ख)	13958.44	13839.06
कार्यशील पूंजी (ग)= (क-ख)	**14292.94**	**16223.05**

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

नीचे दी गई तालिका महत्वपूर्ण देनदारियों के अनुबंध संबंधी परिपक्वताओं के बारे में विवरण प्रदान करती है :

31 मार्च, 2023 के अनुसार

विवरण	2024	2025	2026	2027	उसके बाद	कुल
गैर - चालू उधार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
व्यापार देनदारियां	9565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9565.32
वर्तमान उधार	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	75.68
अन्य वित्तीय देयताएं	794.42	0.00	0.00	0.00	0.00	794.42
पट्टे की देयताएं	68.25	78.85	90.62	24.19	360.71	622.62
कुल	**10503.67**	**78.85**	**90.62**	**24.19**	**360.71**	**11058.04**

31 मार्च, 2022 के अनुसार

विवरण	2023	2024	2025	2026	उसके बाद	कुल
गैर - चालू उधार	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
व्यापार देनदारियां	8858.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8858.86
वर्तमान उधार	300.68	0.00	0.00	0.00	0.00	300.68
अन्य वित्तीय देयताएं	714.06	0.00	0.00	0.00	0.00	714.06
पट्टे की देयताएं	54.40	64.67	76.26	89.33	24.10	308.76
कुल	**9928.00**	**139.67**	**76.26**	**89.33**	**24.10**	**10257.36**

ग. बाजार ज़ोखिम

बाजार जोखिम भविष्य का अर्जन, उचित मूल्यों या भावी नकदी प्रवाह के नुकसान का जोखिम है जो बाजार दरों और कीमतों (जैसे ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर और कमोडिटी की कीमत) में या बाजार जोखिम-संवेदनशील उपकरणों की कीमत में प्रतिकूल परिवर्तनों के परिणामस्वरूप हो सकता है, इस तरह के प्रतिकूल परिवर्तनों के परिणामस्वरूप बाजार दरों और कीमतों में भी प्रभाव पड़ते हैं। बाजार जोखिम सभी बाजार जोखिम-संवेदनशील वित्तीय साधनों, सभी प्राप्य विदेशी मुद्रा और देय तथा सभी अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण के लिए जिम्मेदार है। कंपनी मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा दर जोखिम और ब्याज दर जोखिम से संबंधित बाजार जोखिम के संपर्क में है। इस प्रकार, बाजार जोखिम के लिए कंपनी का निवेश विदेशी मुद्राओं में निवेश और उधार गतिविधियों और राजस्व सृजन और परिचालन गतिविधियों का एक कार्य है।

घ. विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम उसके विदेशी मुद्रा राजस्व और व्यय से उत्पन्न होता है, (मुख्य रूप से यूएस में)। विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त संपत्तियों और देनदारियों से उत्पन्न होता है जो एक कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (भारतीय रुपए) नहीं है। कंपनी के निर्यात राजस्व का एक महत्वपूर्ण अंश इस विदेशी मुद्रा में है, जबकि इसकी लागत का एक महत्वपूर्ण अंश भारतीय रुपये में है। परिणामस्वरूप, यदि भारतीय रुपये का मूल्य इन विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यांकित करता है, तो भारतीय रुपये में मापा गया कंपनी का राजस्व घट सकता है। भारतीय रुपए और इन विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर में हालिया समय में काफी बदलाव आया है और भविष्य में इसमें काफी उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

निम्न तालिका 31 मार्च 2023 तक गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों से भारतीय रुपये में विदेशी मुद्रा जोखिम का विश्लेषण करती है।

($ लाखों में)

विवरण	यूएस $	अन्य	कुल
परिसंपत्तियाँ			
प्राप्य व्यापार	5.99	-	5.99
कुल	**5.99**		**5.99**
देयताएं			
व्यापार देनदारियां	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**

निम्न तालिका 31 मार्च 2022 तक गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों से भारतीय रुपये में विदेशी मुद्रा जोखिम का विश्लेषण करती है।

($ लाखों में)

विवरण	यूएस $	अन्य	कुल
परिसंपत्तियाँ			
प्राप्य व्यापार	2.75	-	2.75
कुल	**2.75**		**2.75**
देयताएं			
व्यापार देनदारियां	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**

निम्न तालिका गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों से विदेशी मुद्रा जोखिम का विश्लेषण करती है:

विवरण	लाभ पर प्रभाव	
	31-मार्च-23	31-मार्च-22
अमरीकी डालर संवेदनशीलता		
₹ / यूएसडी - 2% की वृद्धि	9.85	4.18
₹ / यूएसडी - 2% की कमी	(9.85)	(4.18)

ङ. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो एक वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण उतार-चढ़ाव होगा। कंपनी की निर्धारित दर उधार राशि को परिशोधन लागत पर ले जाया जाता है। इसलिए वे भारतीय लेखांकन मानक 107 में परिभाषित ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं हैं, चूंकि न तो मूल कीमत और न ही भविष्य के नकदी प्रवाह में बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण उतार-चढ़ाव होगा। इसके अलावा, जमाओं में कंपनी का निवेश बैंकों और विद्युत प्राधिकारियों के साथ है और इसलिए कंपनी को महत्वपूर्ण ब्याज दरों के जोखिम के बारे में प्रकट नहीं होते हैं।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

कंपनी की परिवर्तनीय दर उधार ब्याज दर जोखिम पर निर्भर है। निश्चित दर और परिवर्तनीय दर उपकरणों के संबंध का विवरण नीचे दिया जाता है:

विवरण	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
नियत दर उपकरण		
वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
वित्तीय देयताएं	75.68	375.68
परिवर्तनीय दर उपकरण		
वित्तीय देयताएं	0.00	0.00

सावधि जमा में कंपनी का निवेश बैंकों के साथ है और इसलिए इसलिए कंपनी को महत्वपूर्ण ब्याज दरों के जोखिम के बारे में प्रकट नहीं होते हैं।

उपयोगी वस्तु दर जोखिम

उपयोगी वस्तुओं की कीमतों के संबंध में बाजार जोखिम के लिए प्रकटन मुख्य रूप से कंपनी की खरीद और सक्रिय दवा सामग्री और निर्मित खुराक योगों की बिक्री से उत्पन्न होता है, जिसमें इस तरह के सक्रिय दवा सामग्री और निर्मित खुराक के लिए आवश्यक कच्चे माल के घटक भी शामिल हैं। ये उपयोगी वस्तुओं के उत्पाद हैं, जिनकी कीमतें कम समय के लिए काफी उतार-चढ़ाव हो सकती हैं। कंपनी के कच्चे माल की कीमतों में आम तौर पर उपयोगी वस्तुओं के चक्रों के साथ उतार-चढ़ाव होता है, हालांकि कंपनी के सक्रिय दवा सामग्री व्यवसाय में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की कीमतें आम तौर पर अधिक अस्थिर होती हैं। कच्चे माल की लागत कंपनी के परिचालन खर्च का सबसे बड़ा अंश बनता है। उपयोगी वस्तुओं के मूल्य दर जोखिम का मूल्यांकन और संचालन प्रक्रियाओं और स्रोतन नीतियों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। 31 मार्च 2023 तक, उपयोगी वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव के जोखिम के बचाव केलिए कंपनी ने किसी भी व्युत्पन्न अनुबंध में प्रवेश नहीं किया था।

41. पूंजी प्रबंधन

पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी के उद्देश्य लाभकारी कारोबार वाला संस्थान के रूप में जारी रखना है, ताकि वे शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के लिए लाभ प्रदान कर सकें, और पूंजी की लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रख सकें। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश की राशि को समायोजित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी लौटा सकती है, ऋण को कम करने के लिए नए शेयर जारी कर सकती है या संपत्ति बेच सकती है।

उद्योग में दूसरों के साथ संगत, कंपनी निम्नलिखित गियरिंग अनुपात के आधार पर पूंजी की निगरानी करती है:

कुल इक्विटी प्लस निवल ऋण (जैसा कि तुलन पत्र में दर्शाया गया है) द्वारा विभाजित निवल ऋण (नकद और नकद समकक्षों का कुल उधार)।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

गियरिंग अनुपात इस प्रकार थे:

विवरण	31-मार्च-23	31-मार्च-22
उधार	75.68	375.68
घटाएँ : नकद और नकद समतुल्य	1478.26	1164.63
निवल ऋण (क)	-	-
इक्विटी शेयर पूंजी	1349.00	1349.00
अन्य इक्विटी	24644.28	22559.68
कुल इक्विटी (ख)	**25993.28**	**23908.68**
इक्विटी और निवल ऋण (ग)=(क+ख)	**25993.28**	**23908.68**
गियरिंग अनुपात (क/ग)	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

इस समग्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, कंपनी के पूंजी प्रबंधन को, अन्य बातों के साथ, यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य होना है कि यह पूंजी संरचना आवश्यकताओं को परिभाषित करने वाली उधार से जुड़ी वित्तीय प्रतिज्ञाओं को पूरा करे। वित्तीय प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में उल्लंघनों से बैंक को तुरंत ऋण और उधार लेने की अनुमति मिलेगी। चालू अवधि में किसी भी उधार की वित्तीय प्रतिज्ञाओं में कोई भौतिक उल्लंघन नहीं है।

42. भारतीय लेखा मानक 24 के अंतर्गत संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण

क) केएपीएल भारत सरकार द्वारा 59.17% शेयरों और कर्नाटक राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (केएसआईआईडीसी) के माध्यम से कर्नाटक सरकार द्वारा 40.83% शेयरों के साथ एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है। 31.03.2023 तक प्रवर्तकों की हिस्सेदारी इस प्रकार है:

क्रम सं.	शेयरधारकों के नाम	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	संबंध
1.	भारत के राष्ट्रपति	798180	59.17	नियंत्रण
2.	केएसआईआईडीसी	550820	40.83	महत्वपूर्ण प्रभाव
	कुल	**1349000**	**100.00**	

सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी को भारतीय लेखा मानक 24 के पैरा 25 के अनुसार सरकार / सरकारी संस्थाओं के साथ संबंधित पक्षकार के लेन-देन के प्रकटीकरण से छूट दी जाती है।

ख) (i) टिप्पणी संख्या 28 के अंतर्गत कर्मचारी लाभ व्यय में श्री सुनील कुमार कैमाल, प्रबंध निदेशक (इंड एएस-24 के अनुसार मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक) का पारिश्रमिक निम्नांकित अनुसार शामिल हैं:

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
क) वेतन और भत्ते	41.63	37.02
ख) भविष्य निधि में योगदान	3.49	3.17
ग) अन्य	3.71	3.84
कुल	**48.83**	**44.03**

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

ख) (ii) टिप्पणी संख्या 28 के अंतर्गत कर्मचारी लाभ व्यय में अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक निम्नांकित अनुसार शामिल हैं :

विवरण	मुख्य वित्तीय अधिकारी		कंपनी सचिव	
	31-मार्च-23	31-मार्च-22	31-मार्च-23	31-मार्च-22
क) वेतन और भत्ते	20.43	17.60	19.25	17.12
ख) भविष्य निधि में योगदान	1.70	1.51	1.70	1.51
ग) अन्य	1.53	1.39	2.71	0.23
कुल	**23.66**	**20.50**	**23.66**	**18.86**

ग) अन्य निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए निम्नानुसार बैठक शुल्क दिया गया है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	31-मार्च-23	31- मार्च -22
1.	श्री टी के अनिल कुमार, आईएएस	0.03	0.03
2.	श्री कृष्ण कूमार पिल्ली, आईटीएस	0.01	0.01
3.	श्री के पी मोहन राज, आईएएस	0.00	0.01
4.	श्री बी टी खानापुरे	0.05	0.04
5.	डॉ मधुचंद कर	0.90	0.15
6.	डॉ एम आर रवि, आईएएस	0.01	0.00
7.	श्री सुमित गर्ग	0.01	0.00

43. प्रभावी कर की दर का मिलान

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
आयकर से पहले लाभ	3425.40	3251.62
भारत में लागू कर की दर	25.17%	25.17%
गणना की गई कर व्यय	862.17	818.43
कर उद्देश्य के लिए व्यय पर कर (कटौती योग्य)/गैर-कटौती योग्य	131.79	(32.39)
पिछले वर्षों के लिए कर समायोजन	(57.35)	(0.24)
आयकर व्यय	936.61	785.80
प्रभावी कर की दर	27.34%	24.17%

44. रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्येक ₹100/- के पूर्ण रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयर के लिए ₹15/- (गत वर्ष ₹30/-) के लिए कुल मिलाकर ₹15/- (गत वर्ष ₹30/-) के लाभांश की सिफारिश की है, जो 31 मार्च, 2023 को प्रासंगिक शेयर पूंजी पर आधारित है। वास्तविक लाभांश राशि संबंधित शेयर पूंजी पर निर्भर होगी जो अभिलेख की तिथि/बही खाता बंद होने पर बकाया होगी।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

45. वर्ष के दौरान प्रावधान का संचालन

विवरण	वर्ष के प्रारम्भ में शेष	वर्ष के दौरान प्रदान की गई राशि	वर्ष के दौरान भुगतान की गई/ समायोजित राशि	वर्ष के अंत में शेष
आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान:				
क) विवादित कानूनी मामले	341.25 (340.75)	37.00 (0.50)	140.00 (0)	238.25 (341.25)
कुल	341.25 (340.75)	37.00 (0.50)	140.00 (0)	238.25 (341.25)

46. मूर्त परिसंपत्तियों (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) पर अतिरिक्त जानकारी:

क: कदबेगेरे पर भूमि – बेंगलूरु:

कर्नाटक सरकार ने कदबगेरे गांव, दासनपुरा होबली, बेंगलूरु उत्तर तालुक, बेंगलूरु में सर्वेक्षण नंबर 80 (नई नं.197) में 20 एकड़ भूमि तथा सर्वेक्षण नंबर 22 (नई नं.196) में 4 एकड़ और 20 गुंटा भूमि दी है। सर्वेक्षण नंबर 80 (नई नं.197) के संबंध में आरटीसी प्राप्त किया गया है और सर्वेक्षण संख्या 22 (नई संख्या 196) के संबंध में आरटीसी प्राप्त नहीं किया गया है। (मूल रूप से दी गई भूमि को 10 एकड़ से घटाकर 4 एकड़ 20 गुंटा कर दिया गया था। कर्नाटक सरकार द्वारा 10 एकड़ के लिए जारी मूल आरटीसी उपलब्ध है)। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल 10 एकड़ के लिए राजस्व कर स्वीकार कर लिया गया है, जो 4 एकड़ 20 गुंटा पर केएपीएल के स्वामित्व अधिकारों की पुष्टि करता है। 4 एकड़ 20 गुंटा के लिए उत्परिवर्तन प्रमाणपत्र प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। कंपनी ने उपरोक्त सर्वेक्षण संख्याओं के लिए कर्नाटक सरकार से सर्वेक्षण रिपोर्ट के लिए आवेदन किया था। सर्वेक्षण संख्या 80 (नई नं.197) के संबंध में सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई और लगभग 3 एकड़ और 25 गुंटा की सीमा तक अतिक्रमण की सूचना मिली। सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिखाए गए अतिक्रमण के अलावा, सर्वेक्षण संख्या 80 (नई नं.197) में 1 एकड़ (लगभग) की सीमा तक अतिक्रमण है जिसे सर्वे क्षण रिपोर्ट में दर्शाया नहीं गया है। रिपोर्ट में इस अतिरिक्त अतिक्रमण का उल्लेख करने और सभी अतिक्रमण को हटाने के लिए कंपनी ने राजस्व अधिकारियों के साथ मामला उठाया है। इस बीच, उक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया।

कंपनी ने तब से जमीन के शेष हिस्से को घेरा कर दिया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्शाये गए 3 एकड़ और 25 गुंटा के अतिक्रमण में से, अतिक्रमित पार्टी में से एक ने सिविल जज कोर्ट, बेंगलूरु में कंपनी के विरुद्ध एक सिविल मुकदमा दायर किया है जिसका कंपनी द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है। इसके बाद, मामले को नेलमंगला स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावा, दि.19.02.2010 को सम्पन्न अपनी 131वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड ने चरण ख में 10 एकड़ में औषधीय पौधारोपण करने का निर्णय लिया। तद्नुसार कदबगेरे भूमि पर औषधीय पौधे उगाए जा रहे हैं।

कंपनी ने आवश्यक शुल्क का भुगतान करके और राजस्व विभाग के साथ लगातार पीछा करके दोनों सर्वेक्षण संख्याओं की भूमि के सर्वेक्षण के लिए आवेदन किया है। कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को संबोधित दि.11-07-2018 और 22-03-2019 के पत्रों द्वारा सर्वेक्षण करने और अतिक्रमण के निष्कासन के लिए अनुरोध किया गया। प्रबंध निदेशक द्वारा शहरी जिला उपायुक्त, बेंगलूरु को भी दि.27-07-2018 और 22-03-2019 के पत्र द्वारा संबोधित किए गए। दि.18-09-2018 को संयुक्त निदेशक भूमि अभिलेख को भी पत्र भेजा गया तथा इसके प्रत्युत्तर में संयुक्त निदेशक भूमि अभिलेख ने अपने दि.11-10-2018 और 21-01-2019 के पत्र द्वारा भूमि अभिलेख के सहायक निदेशक को संबोधित किया। दि.21-03-2019 को फिर से पत्र लिखा गया था और मामले का पालन किया जा रहा है। इसके अलावा हमने दिनांक 29-03-2019 के पत्र द्वारा तहसीलदार, बेंगलूरु उत्तर तालुक को भूमि के सर्वेक्षण के लिए अनुरोध किया है।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

वर्ष 2019-20 के दौरान प्रबंध निदेशक द्वारा 20.03.2020 को राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा गया था और दिनांक 20.03.2020 को कंपनी सचिव और सहायक महाप्रबंधक (प्रशासन) द्वारा तहसीलदार बेंगलूर उत्तर तालुक को पत्र लिखा गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान प्रबंध निदेशक द्वारा 29-06-2020,17-12-2020 और 31-03-2021 को राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा गया था और दिनांक 29-06-2020 और 31-03-2021 को उपायुक्त को पत्र लिखा गया था और कंपनी सचिव और सहायक महाप्रबंधक (प्रशासन) द्वारा तहसीलदार, बेंगलूर उत्तर तालुक को पत्र दिनांक 08-07-2020 और 17-12-2020 लिखा गया था और भूमि अभिलेख के सहायक निदेशक को पत्र दिनांक 21-09-2020 लिखा गया था।

वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी सचिव और सहायक महाप्रबंधक (प्रशासन) द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को 31.03.2022 और उपायुक्त, बेंगलूर शहरी जिला को पत्र लिखा गया था। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ने बेंगलुरु शहरी जिले के आयुक्त को एक पत्र लिखा, जिसकी प्रति 20.05.2022 को मेसर्स कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को प्राप्त हुई।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी सचिव और उप महाप्रबंधक (प्रशासन) द्वारा दिनांक 29.11.2022 और 01.02.2023 के पत्र सहायक निदेशक, भूमि अभिलेख, बेंगलुरु उत्तर भूमि राजस्व और भूमि अभिलेख विभाग को भेजे गए थे। मामले का अवलोकन किया जा रहा है।

ख. धारवाड़ संयंत्र:

दि.26.09.2016 को सम्पन्न अपनी 157 वीं बैठक में बोर्ड ने कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (केएसएफसी) की ई-नीलामी के माध्यम से धारवाड़ में (6 एकड़ और 14 गुंटास भूमि पर) फार्मास्युटिकल इकाई की खरीद को मंजूरी दी थी और बोली राशि तय करने के लिए प्रबंध निदेशक को अधिकृत किया था। तदनुसार, कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (केएसएफसी) के विजयवाणी दिनांक 24.10.2016 में छपे एक विज्ञापन के आधार पर, कंपनी ने ई-नीलामी में भाग लिया और भूमि और भवन की ओर रु.517.37 लाख की राशि और संयंत्र और मशीनरी की ओर रु.93.64 लाख की राशि उद्धृत किया था। केएसएफसी द्वारा 08.12.2016 दिनांकित पत्र द्वारा कंपनी की बोली स्वीकार की गई थी। बोली राशि का भुगतान करने के बाद, भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी का अधिग्रहण दि.12.12.2016 को जैसा है, वैसा ही के आधार पर किया गया। बोर्ड की मंजूरी के अनुसरण में, नवीकरण की गतिविधियाँ पूरी हुईं और आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्माण शुरू किया गया। भूमि एवं भवन के प्रति रु.517.37 लाख के मूल्य का लेखा-जोखा भूमि एवं भवन को अलग-अलग पेशेवर इंजीनियर द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर आबंटित किया गया था, जिन्होंने खारब ए भूमि के 7 गुंटा को छोड़कर 6 एकड़ और 7 गुंटा के लिए भूमि का मूल्यांकन किया है।

पंजीकरण करने से पहले कंपनी ने दि.17.01.2017 को तहसीलदार, धारवाड़ को संबोधित पत्र तथा दि.18.01.2017 को महाप्रबंधक, कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम, बेंगलूरु को संबोधित पत्र द्वारा कोतूर गाँव, एनएच4, पी.बी.रोड, बेलूर औद्योगिक क्षेत्र के सर्वेक्षण नं.429/1 और सर्वेक्षण नं.429/2ए के सर्वेक्षण करने तथा सीमा तय करने का अनुरोध किया। मैसर्स कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (केएसएफसी) के पत्र सं.केएसएफसी/बीओ/डीडब्ल्यूआर/2605/2016-17 दिनांक 04.02.2017 के अनुसार, दोनों सर्वेक्षण नं. याने सर्वेक्षण संख्या 429/1 (5 एकड़ और 18 गुंटा) और सर्वेक्षण संख्या 429/2 ए (36 गुंटा) के तहत कुल 6 एकड़ और 14 गुंटा दिखाई गई थी। सर्वेक्षण विभाग को किए गए अनुरोध के आधार पर, भूमि का सर्वेक्षण दि.16.03.2017 को किया गया। सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर, यह देखते हुए कि 26 गुंटा की सीमा तक भूमि की कमी है, केएपीएल ने मैसर्स कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (केएसएफसी) से अनुरोध किया कि उक्त भूमि की लागत के प्रयोजन के लिए उपलब्ध संशोधित भूमि पर विचार किया जाए तथा अंतर राशि वापस की जाए तथा हमारे नाम पर संपत्ति भी पंजीकृत किया जाए।

उपरोक्त के मद्देनजर, कंपनी निरंतर रूप से मेसर्स केएसएफसी, धारवाड़ और बेंगलूरु के साथ हमारे दिनांक 07.06.2017, 05.12.2017 और 29.01.2018 के पत्रों द्वारा अंतर राशि का पुन: भुगतान करने और मेसर्स कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) के नाम पर संपत्ति का पंजीकरण करने के मामले में तेजी लाने के लिए इसका अनुसरण कर रही है। दिनांक 02-07-2018 को पत्र के माध्यम से मामले का पालन किया गया। मेसर्स कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (केएसएफसी) ने उपलब्ध भूमि के संयुक्त मापन करने का निर्णय लिया। संयुक्त मापन में, 26 गुंटो की सीमा तक भूमि की कमी बताई जा रही है और दिनांक 24-01-2019,

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

09.04.2019, 17.05.2019, 03.02.2020, 31.03.2020, 17.11.2020 और 24.11.2020 के पत्रों के माध्यम से हमने अंतर राशि की वापसी और हमारे नाम पर संपत्ति का पंजीकरण के लिए अनुरोध किया है और मामले का अवलोकन किया जा रहा है।

इस बीच, मैसर्स एल्विना फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, प्रबंध निदेशक और अन्य ने कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय, धारवाड़ बेंच में मेसर्स कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (केएसएफसी) के विरुद्ध रिट याचिका संख्या 100258/2018 के माध्यम से एक रिट याचिका दायर की, जिसका प्रतिनिधित्व उप महाप्रबंधक, रायपुर तालुका, धारवाड़ जिला, प्रथम पक्ष, उप महाप्रबंधक, मेसर्स कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (केएसएफसी) रायपुर तालुका, धारवाड़ जिला, द्वितीय पक्ष और मैसर्स कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) का प्रतिनिधित्व इसके प्रबंध निदेशक, बेंगलूरु तृतीय पक्ष द्वारा किया गया। कंपनी ने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अधिवक्ता नियुक्त किया है। मामला अभी भी लंबित है और मामले की जांच की जा रही है।

कंपनी ने सभी सांविधिक देय का भुगतान करते हुए 7 अप्रैल 2022 को धारवाड़ का पंजीकरण पूरा किया है।

इसके अलावा कंपनी मैसर्स कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (केएसएफसी) के साथ मैसर्स कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) को भुगतान की जाने वाली भूमि की कमी पर अंतर राशि की वापसी के लिए इसका अनुवर्ति कार्रवाई की जा रही है।

47. क्रय की गई उपयोग की गई परिसंपत्तियों (धारवाड़ संयंत्र) के उपयोगी जीवन का विवरण इस प्रकार है:

परिसंपत्ति	उपयोगी जीवन		
	कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार	तकनीकी सलाह के अनुसार	कंपनी द्वारा अपनाया गया
भवन	30	39	30
संयंत्र और मशीनरी	15	12	12
विद्युत संस्थापन	10	12	10
कार्यालयी उपकरण	5	3	3
कंप्यूटर और बाह्य उपकरण	3	2	2
फर्नीचर और फिटिंग्स	10	2	2

48. अन्य प्रकटीकरण

क. बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

ख. कंपनी ने वर्ष के दौरान बंद कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है।

ग. कंपनी के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जो अभी तक सांविधिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत नहीं है।

घ. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

ङ. कंपनी के पास ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो आयकर अधिनियम, 1961 (जैसे, आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन खोज या सर्वेक्षण या कोई अन्य प्रासंगिक प्रावधान) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में आत्मसमर्पण या प्रकट किए गए खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं है।

(सभी राशियाँ लाख रुपये में हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

50. अनुसूची खखख के अनुसार 25% से अधिक के अंतर के कारण सहित अनुपात

क्रम सं.	अनुपात	अंश–गणक	विभाजक	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	% अंतर
1	चालू अनुपात	चालू परिसंपत्तियाँ	चालू देयताएँ	2.02	2.17	-6.91%
2	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण (उधार)	शेयरधारकों की इक्विटी	0.00	0.02	-100.00%
	परिवर्तन उधार में कमी के कारण है					
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ब्याज, कर, मूल्यह्रास और असाधारण वस्तुओं से पूर्व अर्जन	ब्याज व्यय + लंबी अवधि के ऋणों के लिए वर्ष के दौरान किए गए पूँजी पुनर्भुगतान	537.29	1024.25	-47.54%
4	इक्विटी अनुपात पर वापसी	असाधारण मदों से पूर्व अवधि के लिए अवधि के लिए लाभ/(हानि)	शेयरधारक की औसत इक्विटी	9.97%	10.77%	-7.43%
5	मालसूची टर्नओवर अनुपात	बेचे गए माल की लागत = उपभोग की गई सामग्री की लागत + मालसूची में अंतर	औसत मालसूची	3.73	3.60	3.61%
6	प्राप्य व्यापार टर्नओवर अनुपात	परिचालन से राजस्व	औसत प्राप्य व्यापार	3.90	4.10	-4.88%
7	देय व्यापार टर्नओवर अनुपात	उपभोग की गई सामग्री की लागत + मालसूची में अंचक + संपत्ति की बिक्री पर हानि और हानि को छोड़कर अन्य व्यय	औसत देय व्यापार	2.99	3.11	-3.86%
8	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	परिचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी = चालू परिसंपत्तियाँ - चालू देयताएँ	3.70	2.93	26.28%
9	निवल लाभ अनुपात	असाधारण मदों से पूर्व अवधि के लिए लाभ / (हानि)	परिचालन से राजस्व	6.48%	6.84%	-5.26%
10	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	ब्याज, कर और असाधारण वस्तुओं से पूर्व अर्जन	औसत पूंजी नियोजित = कुल इक्विटी + कुल ऋण	15.39%	13.83%	11.28%
11	निवेश पर प्रतिफल	अंतिम कुल इक्विटी - प्रारंभिक कुल इक्विटी – शेयरधारकों को नकद भुगतान	प्रारंभिक कुल इक्विटी	7.03%	7.34%	-4.22%

50. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

यह समदिनांक लैखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित
लाभ और हानि का विवरण है।
कृते योगानन्ध राम एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन : 005157एस/एस200052

मनोज कुमार जैन
भागीदार
सदस्यता सं.218610

तारीख : 18 जुलाई 2023
स्थान : बेंगलूरु

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से
कर्नाटक एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
सीआईएन: U24231KA1981GOI004145

सुनिल कुमार कैमाल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08528088

डॉ. मधुचंदा कर
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन: 09519016

जगदीश सी
उप महाप्रबंधक - वित्त

सुप्रिया कुल्कर्णी
कंपनी सचिव

(रु. लाख में)

क्रम सं.	विवरण	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
01	उत्पादन मूल्य	36682	38863	48957	43464	47976	52865
02	बिक्री कारोबार	35383	36036	43215	42616	47387	52757
03	निर्यात (ऊपर 2 में शामिल)	2397	2803	2682	2917	2459	4241
04	रोकड़ लाभ	2380	3136	3868	3813	4066	4182
05	कर पूर्व लाभ	1903	2523	3151	3074	3252	3425
06	कर के उपरांत लाभ	1174	1582	2299	2318	2466	2489
07	शेयर पूँजी	1349	1349	1349	1349	1349	1349
08	आरक्षित एवं अधिशेष	15628	16609	18538	20548	22560	24644
09	निवल मूल्य	16977	17958	19887	21897	23909	25993
10	सकल ब्लॉक	8005	8443	9720	10344	11050	11699
11	दीर्घ कालीन उधार	1300	975	1008	675	376	76
12	राजकोष में अंशदान	6269	7370	8190	8666	10158	12163
13	श्रम शक्ति (संख्या)	717	658	681	618	578	748
14	प्रति कारख़ाना कर्मचारी पर औसत	49	55	64	69	82	71
15	उत्पादन (रु.)	176	197	244	230	270	284
16	लाभांश (%)	20	22	28	30	30	15
17	प्रतिशेयर बही खाता मूल्य(रु.) (अंकित मूल्य रु.100)	1258	1331	1474	1623	1772	1927
18	प्रति शेयर अर्जन (रु.) (अंकित मूल्य रु.100)	87	117	170	172	183	184
19	बिक्री पर फुटकर देनदार (%)	29	30	34	20	31	23
20	सकल स्थायी परिसंपत्तियों का कारोबार (%)	442	427	450	412	429	451
21	बिक्री के लिए अंतिम मालसूची का मूल्य (%)	15	22	13	15	17	14
22	कारोबार की वित्तयि लागत (%)	0.22	0.54	0.31	0.21	0.23	1.11
23	कारोबार पर सामग्री की लागत (%)	47	48	50	50	55	55

दि.06.03.2023 को श्री एन.युवराज, आई.ए.एस., संयुक्त सचिव, फार्मास्युटिकल्स विभाग ने केएपीएल के दोनों कॉर्पोरेट कार्यालय तथा संयंत्र का संदर्शन किया। उनके संदर्शन के दौरान उन्होंने केएपीएल के सभी विभागाध्यक्षों, वरिष्ठ अधिकारियों तथा संघ के पदाधिकारीगण के साथ वार्तालाप किया।

12 जुलाई 2023 को सुश्री एस.अपर्णा, आई.ए.एस., सचिव, फार्मास्युटिकल्स विभाग के कॉर्पोरेट कार्यालय के संदर्शन के दौरान श्री सुनिल कुमार कैमाल, प्रबंध निदेशक उनका स्वागत करते हैं।

दि.06.03.2023 को श्री एन.युवराज, आई.ए.एस., संयुक्त सचिव, फार्मास्युटिकल्स विभाग के केएपीएल कॉर्पोरेट कार्यालय के संदर्शन के दौरान श्री सुनिल कुमार कैमाल, प्रबंध निदेशक उनका स्वागत करते हैं।